

**DUE DATE SLIP**

**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

**KOTA (Raj.)**

**Students can retain library books only for two weeks at the most.**

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

## भारत में आर्थिक नियोजन (ECONOMIC PLANNING IN INDIA)

“आर्थिक नियोजन की गत दशावधि  
में हमने जितनी प्रगति की है, वह  
समझतः नियोजन के पूर्व ५०  
वर्षों में भी नहीं की थी और  
ग्राहिक तेज गति से आर्थिक  
विकास के लिये हमको  
इससे प्रेरणा लेनी  
चाहिये ।”

—डा० सर्वेपल्ली राधाकृष्णन  
(राष्ट्रपति)

- ग्रन्थालय २६. आर्थिक नियोजन के दस वर्ष
- ३०. तृतीय पंचवर्षीय योजना
- ३१. देश की भावात्मक एकता और सुनियोजित धर्ष-व्यवस्था

## आर्थिक नियोजन के दस वर्ष

*(Ten Years of Economic Planning)*

---

२६ जनवरी सन् १९५० को भारतीय संविधान लागू होने के बाद ही भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास तथा लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार करने के लिये पंचवर्षीय योजनायें तैयार करना था। अभी तक दो पंचवर्षीय योजनायें क्रियान्वित हो चुकी हैं। एक की अवधि तो सन् १९५५-५६ में समाप्त हो गई और द्वितीय योजना ३१ मार्च सन् १९६१ को समाप्त हुई। इन दोनों योजनाओं ने देश के आर्थिक व सामाजिक कल्याण को बहुत काफी सीमा तक बदल दिया है। प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएँ भारत के आयोजित आर्थिक एवं सामयिक विकास के प्रथम व द्वितीय चरण हैं। आर्थिक नियोजन के गत दस वर्षों में राष्ट्रीय आय और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में राराहनीय वृद्धि हुई है और भारत के नागरिकों के रहन-सहन का स्तर भी उन्नत हुआ है। इस अवधि में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का अपेक्षाकृत काफी तेज गति से विकास हुआ है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना का मूलभूत उद्देश्य तेज गति से भावी आर्थिक व औद्योगिक प्रगति के हेतु एक हड़ नींव की स्थापना करना था। इसी उद्देश्य से नियोजन के प्रथम पांच वर्षों में नदी धारों विकास योजनाओं, बहु उद्देशीय योजनाओं, भूमि-सुधार, सिवाई व शक्ति की सुविधाओं का प्रसार, सहवारी आन्दोलन का नवीनीकरण एवं पुनरुत्थान, कृषि एवं उद्योग की सहायतार्थ विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, प्रादि के क्षेत्र में अनेक प्रयत्न किए गये हैं। इसके बाद के आगामी पांच वर्षों में, प्रायत् द्वितीय योजनावधि में पहिले सो चालू योजनाओं की पूर्णता को प्रायमिकता दी गई, किन्तु साथ-साथ आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर विशेष वल दिया गया। देश के आर्थिक नव-निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण भाग दिया गया। इस अवधि की विविध योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार की सुविधाएँ बढ़ाने, आय तथा सम्पत्ति की विप्रस्तापणों को घटाने एवं आर्थिक साधनों को केवल मुद्रा भर लोगों के हाथों में जाने से रोकने पर अधिक और दिया गया था। निम्न विवरण से गत दस वर्षों की आर्थिक समृद्धि का आभास मिलता है:—

योजना व्यवहार में पूँजी विनियोजन—जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है, प्रथम दो योजनाओं में १०,११० करोड़ रुपये का विनियोजन किया गया, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र में ६,५६० करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ :—

(करोड़ रुपये)

	प्रथम योजना (१९५१-५६)	द्वितीय योजना (१९५६-६१)	कुल (१९५१-६१)
सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वजनिक क्षेत्र में पूँजी विनियोजन	१,५६०	४,६००	६,५६०
निजी क्षेत्र में पूँजी विनियोजन	१,५६०	३,६५०	५,२१०
कुल नयी पूँजी	३,२६०	६,७५०	११,११०

राष्ट्रीय आय में वृद्धि—ऐसा अनुमान है कि इन योजनाओं के कलास्वरूप सन् १९५१ और १९६१ तक के १० वर्षों में भारत की राष्ट्रीय आय में ४२% और प्रति व्यक्ति आय में २०% की वृद्धि हुई है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि—पिछली दशान्दी में कृषि का उत्पादन ४०% बढ़ गया है। निम्न तालिका से सन् १९४६-५० से आज तक की कृषि उपज की वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है :—

कृषि उपज का सूचक अঙ्क ( $1946-50 = 100$ )

मावे	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
सभी जिस	६६	११७	१३१
अनाज की कसतें	६१	११५	१३२
अन्य कसतें	१०६	१२०	१४२

उपरोक्त तालिका से पता लगता है कि कृषि उपज से वृद्धि की प्रवृत्ति रही है, परंपरा विभिन्न वर्षों में काफी अन्तर रहा। गत दशान्दी में वृद्धि की कुल दर ३०% प्रति वर्ष रही, प्रति एकड़ उत्पादन में भी काफी उपराहि हुई। कुछ प्रमुख कृषि पदार्थों की मात्रा में उत्पादन का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है :—

फसलें	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
(१) अनाज (ग्रौ, दाल आदि)	मिलियन टन	५२०२	६५८	७६०
(२) चिलहन	मिलियन टन	५०१	६४५	७११
(३) गन्ना (मुड़)	मिलियन टन	५०६	६००	८००
(४) कपास	मिलियन गांठ	२०६	४०	५११
(५) जूट	मिलियन गांठ	३०३	४३	४००

गत दशाब्दि में कृषि, सामुदायिक विकास तथा सिचाई पर कुल मिलाकर १,५५१ करोड़ ८० व्यय किये गये। कृषि उत्पादन में वृद्धि से सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रमों में निम्न उल्लेखनीय हैं—सिचाई सुविधाओं का विस्तार, रासायनिक खाद की पूर्ति, खाद के स्थानीय साधनों का विकास, उप्रत बीजों का वितरण, उप्रत कृषि कला का उपयोग तथा कृषि क्षेत्र में विस्तार। द्वितीय योजना के अन्त तक देश की लगभग आधी आमीण जन-संस्था एवं ३ लाख ७० हजार गाँव सामुदायिक विकास आन्दोलन के प्रत्यार्गत आ गये। राष्ट्रीय विस्तार सेवा के प्रत्यार्गत लगभग ६०,००० ग्राम सेवकों एवं विकास अधिकारियों के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। पिछले दस वर्षों में सहकारी आन्दोलन ने भी सराहनीय प्रगति की। दूसरी योजना के अन्त तक प्रारम्भिक कृषि समितियों की संख्या २,१०,००० थी, जो कि सन् १९५०-५१ की अपेक्षा लगभग दुगुनी है। इस अवधि में लगभग १,८७० सहकारी विषयन समितियां एवं ४१ सहकारी चौनी कारखानों की स्थापना की गई। सहकारी कृषि के क्षेत्र में अनेक लाभदायक प्रयोगों का प्रचलन किया गया एवं इसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय सहकारी कृषि परामर्शदाता बोर्ड की भी स्थापना की गई।

सन् १९५०-५१ में ५१५ मिलियन एकड़ भूमि पर सिचाई की जाती थी; सन् १९६०-६१ में यह संख्या बढ़कर ७० मिलियन एकड़ हो गई। दूसरी योजना में सिचाई की सुविधा प्राप्त सभी क्षेत्रों को उप्रत बीज की पूर्ति करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज पैदा करने के लिये लगभग ४,००० कार्म खोले गये। सन् १९५०-५१ से १९६०-६१ की अवधि में नेत्रनी खाद का उपभोग ५५ हजार टन से बढ़कर २ लाख ३० हजार टन हो गया। इसी प्रकार फास्फेटिक खाद का उपभोग ७,००० टन से बढ़कर ७०,००० हजार टन हो गया। पशु-धन में उन्नति, मछली उद्योग, दुष्पूर्ति, बन सम्पद, भूमि के कटाव को रोकने, आदि के सम्बन्ध में अनेक रचनात्मक प्रयास किये गये।

शौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि—गत दशाब्दी में शौद्योगिक प्रगति के क्षेत्र में हमें जो सफलतायें मिली हैं, वे सब मुख्य यदृत प्रेरणादायक हैं। शौद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के निम्न निर्देशांक से इसका अनुमान लगाया जा सकता है—

(१९५०-५१ = १००)

वर्ग	१९५५-५६	१९६०-६१
सामान्य निर्देशांक	१३६	१६४
मूली वस्त्र	१२८	१३३
तोहा एवं इस्पात	१२२	२३८
प्रदेशीक प्रकार की मरीजतरी	१६२	५०३
रासायनिक पदार्थ	१७६	२६८

प्रौद्योगिक उत्पादन के निवेशांकों में ७% आर्थिक की गति से बढ़ि हुई। प्रथम योजना के सफल समापन से तबे उद्योगों ( विशेषतः पूँजीगत एवं निर्माणी उद्योग ) का विकास करना सफल हो सका। आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास का काम मुश्यतः सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। पिछले १० वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों एवं स्थानिज के विकास पर ₹७४ करोड़ ₹० व्यय किया गया। राज-कीर्य क्षेत्र में स्थापित लरकेला, भिलाई व दुर्गपुर के इस्पात के विशाल कारखाने, जिन्होंने अपने मुख से लौह उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है, हमारी आर्थिक सफलता के ज्वलंत प्रतीक हैं। निवी दोष में भी इस्पात के कारखानों का काफी विस्तार किया गया। अब हमारा इस्पात का उत्पादन सद् १९५०-५१ में ₹४ मिलियन टन से बढ़कर सद् १९६०-६१ में ₹५ मिलियन टन हो गया है। इसी प्रकार पिंग आयरन का उत्पादन भी ₹५ लाख टन से बढ़कर ₹८ लाख टन हो गया है। यह सचमुच बड़े गर्व का विषय है कि अब हमारा देश विभिन्न प्रकार के मशीनरी और आयरन का उत्पादन भी ₹५ लाख टन से बढ़कर ₹८ लाख टन हो गया है। यह सचमुच बड़े गर्व का विषय है कि अब हमारा देश विभिन्न प्रकार के मशीनरी और आयरन का उत्पादन भी ₹५ लाख टन से बढ़कर ₹८ लाख टन हो गया है। यह सचमुच बड़े गर्व का विषय है कि अब हमारा देश विभिन्न प्रकार के मशीनरी और आयरन का उत्पादन भी ₹५ लाख टन से बढ़कर ₹८ लाख टन हो गया है। यह सचमुच बड़े गर्व का विषय है कि अब हमारा देश विभिन्न प्रकार के मशीनरी और आयरन का उत्पादन भी ₹५ लाख टन से बढ़कर ₹८ लाख टन हो गया है।

बहुद उद्योगों के ग्रलावा, गत चाहत्वादी में, आम उद्योगों, कुटीर व लघु उद्योगों का भी पर्याप्त विकास हुआ है। इस अवधि में भारत सरकार द्वारा इन उद्योगों के विकास के लिये २१८ करोड़ ₹० व्यय किये गये। लगभग तभी राज्यों में लघु उद्योग सहायक संस्थाएँ बना दी गई हैं तथा ₹५३ विस्तार केन्द्र भी स्थापित किये गये। द्वितीय योजना के अंत तक हमारे देश में लगभग ६० आर्थिक विस्तारी स्थापित की गई; जिनमें ₹१,००० से अधिक लघु उद्योग खोले गये हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा इन छोटे उद्योगों को किरायाखरीद प्रणाली पर मरीने दी जाने लगी हैं।

**एथ लेखों में प्राप्ति—**एत दसाव्दी में जल विद्युत व वर्षत शक्ति की अनेक योजनाएँ पूरी हो गईं, जिन पर, सार्वजनिक क्षेत्र में, लगभग ₹०८ करोड़ ₹० व्यय किया गया। जल विद्युत शक्ति की समता ₹७४ मिलियन किलोवाट से बढ़कर ₹८७३ मिं किलोवाट हो गई है। भारत विशाल बहु-उद्देशीय योजनाओं की पूर्ति—दामोदर पाटी, भावरा नागल, तुङ्गभद्रा तथा हीराकुण्ड—इस क्षेत्र में हमारी सफलता के प्रतीक हैं। पिछले १० वर्षों में यातापात के क्षेत्र में भी अनेक विकास हुए। इसी मद पर राजसीय क्षेत्र में कुल ₹८२३ करोड़ ₹० व्यय किया गया। पहली पंचवर्षीय

योजना में मुख्य उद्देश्य यह था कि युद्ध और विभाजन के कारण रेलों के विकास को जो क्षति हुई है, उसे पूरा किया जाय। दूसरी योजना अवधि में विभिन्न यातायात सेवाओं का विकास व विस्तार किया गया। रेल-इंजनों की संख्या, जो दूसरी योजना के प्रारम्भ में ६,२०० थी, योजना के अन्त में बढ़कर १०,६०० हो गई। रेल-डिब्बों की संख्या २३,००० से बढ़कर २८,२०० और माल-डिब्बों की संख्या ३,६८,५०० से बढ़कर ३,४१,००० हो गई। प्रदूष योजना के प्रारम्भ में ६७,५०० मील लम्बी सड़कें थीं, जो सदू १९६०-६१ तक १,४४,००० मील तक बढ़ गई इसी प्रकार जहाजों का ठन भार ३,६०,००० जी० आर० टी० से बढ़कर ६,००,००० जी० आर० टी० हो गया।

योजना के इन दस वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। प्राथमिक स्कूलों की संख्या २,१०,००० से बढ़कर ३,४२,००० हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या ७,३०० से बढ़कर १७,००० हो गई। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों व कालिजों की संख्या क्रमशः २७ व ५४२ से बढ़कर ४६ व १,१५० हो गई। तात्त्विक प्रशिक्षण के विकास पर विशेष वल दिया। वैज्ञानिक व टैक्नोलॉजीकल अनुसंधान को प्राथमिकता दी गई तथा इस हेतु २० रोप्हीय अनुसन्धान-शालाओं व क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफ़ी विस्तार हुआ है। सदू १९५०-५१ में देश में ८,६०० अस्पताल थे जिनमें १,१३,००० पलंग थे, सदू १९६०-६१ में यह संख्या बढ़कर क्रमशः १२,६०० व १,८५,६०० हो गई। इनके अतिरिक्त २,८०० प्रायोगिक स्वास्थ्य-केन्द्र स्थाने गये। मेडीकल कॉलेजों को संख्या भी ३० से बढ़कर ५७ हो गई। सदू १९६०-६१ में परिवार नियोजन सेवा में ५४६ केन्द्र नगरीय क्षेत्रों में तथा १,१०० केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थान थे। गत्वी बहुआओं की सफाई व भिज़ड़ी जातियों के विकास के लिये भी रचनात्मक प्रयास किये गये।

**उपसंहार—**इतनी प्रगति होने हुए भी आज अनेक ऐसी समस्याएँ हैं, जिन पर हम अभी तक विजय प्राप्त नहीं कर सके हैं। हमारी कुछ प्रमुख असफलताएँ निम्न-लिखित हैं:— (१) वेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या अभी भी समारे सामने है; (२) बड़े हुए मूल्य-स्तर पर नियन्त्रण संग्राम में हम असमर्थ रहे हैं; (३) जनता का सहयोग प्राप्त करने में सरकार पूर्णतः सफल नहीं हुई है; (४) सामुदायिक विकास योजनाओं में मूल भावना जागृत नहीं है; (५) प्रतिकूल व्यापारिक संतुलन के कारण विदेशी मुद्रा को कठिनाई बढ़ गई है। अतएव यह नितान्त आवश्यक है कि गृहीय योजना में हम इन दावाओं को दूर करने की चेष्टा करें; तभी हमारा देश आर्थिक उन्नति करके समाजवादी समाज के निर्माण का मध्य प्राप्त कर सकेगा।

### STANDARD QUESTION

1. Write an essay on "Ten Years of Economic Planning."

## तृतीय पंचवर्षीय योजना (Third Five Year Plan)

यह दस वर्षों में प्रदम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा देश प्राप्ति के साधनों और जनता की शक्ति को राष्ट्र के विकास कार्यों में लगाने का प्रयत्न किया गया है। प्राप्ति ने ही इस बात का स्थान रखा गया है कि योजना का उद्देश्य केवल पैदावार का बढ़ाना और देश की दशा सुधारना ही नहीं है बरब स्वतन्त्र व लोकतन्त्र पर आधारित ऐसी सामाजिक और प्रार्थिक व्यवस्था की रचना करना है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। देश को द्वितीय महायुद्ध और विभाजन से जो व्यक्ति हुई थी उन्हें पूछ बरने का प्रयास प्रथम योजना अवधि में किया गया। सामुदायिक विकास योजना का आरम्भ और मूल्य मुद्धार इस पौँजना की उल्लेखनीय बातें हैं। द्वितीय योजना में पहली योजना की हो नीतियों को जारी रखते हुए पैदावार बढ़ाने, विकास में अधिक रसायन लगाने और लोगों को अधिक रोजगार देने का प्रयास किया गया है। प्रथम योजना में राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष ३५% और द्वितीय योजना में प्रति वर्ष ५% की वृद्धि हुई।

तृतीय योजना के उद्देश्य—देश के आर्थिक विकास में लीडरों योजना का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके मुख्य उद्देश्य ये हैं :—

(१) अगले ५ साल में राष्ट्रीय आय में वार्षिक ५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करना और इस हिसाब से देश के विकास में दशा संगवाना, दिल्ली आगे भी वृद्धि का दर्हन जारी रहे।

(२) धनाच की पैदावार में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और वन्दे मातृ दी उपज को इतना बढ़ाना कि दृष्टि हमारे उद्योगों की जरूरतें भी पूरी हों और निर्यात भी हो।

(३) इसपात्र, विज्ञान, तेल, ईंधन आदि वृनियादी उद्योगों को बढ़ाना और

मशीन बनाने के कारखाने कायम करना, जिससे १० वर्ष के अन्दर अपने देश के आद्योगिक विकास के लिए आवश्यक मशीनें देश में ही बनाई जा सकें।

(४) देश की जन या श्रमशक्ति का पूरा उपयोग करना और लोगों को रोजगार के अधिक जरिये देना। तथा

(५) धन और आय को विषमता को पठाना और सम्पत्ति का अधिक न्यायोचित वितरण करना, जिससे कि समाज का छाँचा समाजवादी ढङ्ग का हो सके, जिससे सब लोगों को उभति करने का पूर्ण अवसर मिले।

तृतीय योजना का एक मुहूर्त उद्देश्य यह भी है कि देश में विकास का ऐसा क्रम चालू हो जाय जो अपने आप चलता रहे। ऐसे स्वयं स्फूर्त विकास का अर्थ यह है कि देश के लोग इतना धन बचाते व लगाते रहें जिससे राष्ट्र की सम्पत्ति निरन्तर बढ़ती जाय।

**भौतिक लक्ष्य**—उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि आगामी पांच वर्षों में देश की अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नियत न्यूनतम विकास आवश्य हो जाना चाहिए। तृतीय योजना के भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही किया गया है। ऐसा न्यूनमान है कि अगले पांच वर्षों में कुल राष्ट्रीय आय ३०% और प्रति व्यक्ति आय लगभग १७% बढ़ जायेगी। नीचे दी हुई तालिका से आगामी पांच वर्षों में होने वाली प्रगति का एक आभास मिल जाता है :—

### प्रमुख लक्ष्य

मद	इकाई	१६६०-६१	१६६५-६६	वृद्धि की प्रतिशत
(१) हृषि उत्पादन का				
सूचनाक	१६४६-५० = १००	१३५	१७६	३०
(२) स्थानों का उत्पादन	मिलियन	७६	१००	३२
(३) आद्योगिक उत्पादन का				
सूचनाक	१६५०-५१ = १००	१६४	३२६	७०
(४) उत्पादन				
इस्पात के दोके	मिलियन टन	३५	६२	१६३
मशीन के पुर्जे	करोड़ रुपयों में	५५	३००	२४५
कपड़ा	मिलियन बजे	७,४७६	६,३००	२४
(५) शक्ति (शमता)	मिलियन किलोवाट	५७	१२७	१२३
(६) नियति	करोड़ रुपये	६४५	८५०	३२
(७) रिपिङ्ग टनेज	लाख G. R. T.	६०	१००६	२१

निम्नलिखित विवरण से भारतीय अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हीने वाले कार्यक्रमों का अनुमान लगाया जा सकता है :—

तृतीय योजना में कृषि—तृतीय योजना में कृषि के विकास को प्रायमिकता दो गई है। अनाज में आस्तनन्नर्भता और उद्योगों तथा निर्यात के लिए कच्चे माल की पैदानार बढ़ाना तृतीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। तृतीय योजना के प्रन्तर्गत कृषि सिवाई तथा सामुदायिक विकास पर कुल मिला कर १,७१८ करोड़ रुपया व्यय किया जायेगा। द्वितीय योजना में यह राशि केवल ६५० करोड़ रुपया थी। इस व्यय से, ऐसी आशा है कि कृषि उत्पादन में विकास की गति लगभग दुगुनी हो जायगी। खाताओं का उत्पादन ३०% एवं मन्य फसलों का ३१% बढ़ने की आशा है। कृषि क्षेत्र का एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामोण जनशक्ति का पूर्णतम उपयोग करना है। यह कार्य विविध कार्यक्रमों द्वारा पूरा विचार जायेगा, जैसे सिवाई की वृद्धि योजनाएँ, भूमि संरक्षण, गुण्ठ कृषि, स्थानीय साद पदार्थों की डूढ़ि, सहकारी कृषि आदि। अन्तूपर सन् १९६२ तक देश के सभी गंवों में सामुदायिक विकास का कार्य चल पड़ेगा। सहकारी संगठन भी बढ़ाया जायेगा और कृषि के लिये सहकारी समितियों द्वारा अधिक श्रृंग दिलवाए जायेंगे।

तृतीय योजना में उद्योग-धर्वे—तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूँजीगत उद्योगों के विकास पर बहुत अधिक वज्र दिया गया है, विशेषतः ऐसे उद्योग जो उपभोक्ता उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली विशाल मशीनों का निर्माण करें। इस कार्यक्रम के प्रन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र को अत्यन्त नहूंपूर्ण भाग दिया गया है, किन्तु साध-साध ऐसी भी आशा की गई है कि निजी क्षेत्र भी योजना द्वारा नियन्त्रित कलेक्टर के अन्तर्गत अपना सकिय भाग प्रदा करेगा। उपभोक्ता पदार्थों के उत्पादन का विकास मुख्यतः निजी क्षेत्र में ही होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रन्तर्गत मुख्यतः निम्न उद्योगों के विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जायगा—मैटरसर्जी, औद्योगिक मशीनरी, मशीन टूल्स, रासायनिक साद, आधारभूत रसायन, मुख्य दवाइयों तथा पैट्रोल घोषन। लौह एवं इसात उद्योग के प्रन्तर्गत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति राजकीय क्षेत्र के तीन विशाल वारखानों—रुक्केना, भिलाई व दुर्गापुर—की उत्पादन क्षमता ५०६ मिलियन तक बढ़ाकर तथा बोकारो में एक चौथा इस्पात का वारखाना स्थापित करके पूरी की जायगी। तृतीय योजना अवधि में मशीनरी तथा इंजीनियरिंग उद्योगों के विकास पर विशेष वज्र दिया जा रहा है। यही में एक भारी मशीनरी का प्लाट्ट स्थापित किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने पर यह आशा है कि देश का भवित्व में विदेशों से अधिक मात्रा में भारी मशीनरी नहीं भेंगायेगा। तृतीय योजना अवधि में आँगोंबांग उद्योग के लक्ष्य ३०,००० कार तथा ६०,००० अन्य अवधि में आँगोंबांग उद्योगों के लक्ष्य ३०,००० कार तथा ६०,००० अन्य अवधि में आँगोंबांग वाहनों के लक्ष्य ३०,००० के हैं। तृतीय योजना में सम्मिलित अन्य औद्योगिक व्यापारिज्ञ कारोड़ों के लिये उत्पादन नाम उल्लेखनीय है—सनातनगढ़ में लियेकी इमारत का बार-कार्यक्रमों में निम्न के नाम उल्लेखनीय हैं—सनातनगढ़ में लियेकी इमारत का बार-साला, अधिकेश के निकट एन्टीबॉयोटिक ब्लाट की स्थापना हथा केरल में प्रीरो-साला,

केमिकल के कारखाने की स्थापना। उपभोक्ता पदार्थों के क्षेत्रों में निम्नलिखित वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है—कपड़ा, बागज, चीनी, घड़ियाँ आदि।

खनिज के क्षेत्र में भी विकास के अनेक कार्यक्रम हैं, जिनमें सबसे अधिक प्राथमिकता खनिज तेल के साधनों के अनुसंधान व शोपण को दी गई है।

**ग्रामीण एवं लघु उद्योग**—बहुत उद्योगों के विकास के साथ-साथ तृतीय योजनावधि में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का भी पर्याप्त विकास होगा, जिससे कि (i) अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और (ii) उपभोक्ता पदार्थों तथा कुछ पूँजीगत पदार्थों के उत्पादन में बढ़ि हो सके। ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के विभिन्न कार्यक्रमों पर सार्वजनिक क्षेत्रों के अन्तर्गत २६४ ह० के व्यय का आयोजन किया गया है। निजी क्षेत्र में भी लगभग १७५ करोड़ ह० के विनियोग का अनुमान है। तृतीय योजना अवधि में लगभग ३०० नई औद्योगिक वस्तियों की स्थापना की जाएगी। गांव व नगरों दोनों में छोटे उद्योग चलाने और उनको बड़े उद्योगों से जोड़ने का प्रयत्न किया जायेगा, जिससे वे बड़े उद्योगों के लिए छोटे पुर्जे आदि का निर्माण करें।

**अन्य क्षेत्र**—निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में विद्युत शक्ति के विकास कार्यक्रमों पर कुल १,०८६ करोड़ व्यय किया जायगा। यातायात एवं सन्देशवाहन के साधनों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। आशा है कि सन् १९६५-६६ में रेलगाड़ियाँ २३ करोड़ ५० लाख टन भाल ढोएंगी, जबकि सन् १९६०-६१ में १६ करोड़ २० लाख टन ढो रही थी। १,२०० भील नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। सब १९६५-६६ में परकी सड़कों की सम्भाइ बढ़कर १,६४,००० मील हो जायगी। भोटर यातायात का विकास अधिकासतः निजी क्षेत्र में होगा। तृतीय योजना में ६ वर्ष से ११ वर्ष की ग्राम्य के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायगी। विज्ञान व शिल्प की शिक्षा का विशेष रूप से विस्तार किया जायगा। अस्पतालों व दवाखानों की संख्या १२,६०० से १४,६०० और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या २,८०० से बढ़कर ५,००० हो जायगी। संदर्भ-निरोध केन्द्रों की संख्या भी १,८०० से बढ़कर ८,२०० हो जायेगी। कम आप खाले लोगों और औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान बनाने, गन्दो वस्तियों की सफाई और उभयं सुधार करने, मकानों के लिए जमीन लेने तथा उसका सुधार करने के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। मवान बनाने के लिए घन आवास वित्त निम्नमो द्वारा दिया जायगा।

देहाती क्षेत्रों में कुछ न्यूनतम उपलब्ध सुविधायें प्राप्त हो, इसके लिये तीसरी योजना में स्थानीय विकास का एक कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है वे निम्न हैं:—(ग) पीमे के पानी की

पूर्ति; (ब) प्रत्येक गांव को निकटतम मुख्य सड़क या रेल्वे स्टेशन से जिलाने के लिए सड़कों का निर्माण; और (स) गांव के स्तूल के वयन का निर्माण, जो सामुदायिक केन्द्र और पुस्तकालय का भी कार्य करेगा।

**तृतीय योजना का अध्ययन—**अबर जिन लक्षणों का उल्लेख किया गया है, उनको पूरा करने के लिए तृतीय योजना की अवधि में ११,६०० करोड़ ६० अब्द दोनों। इसमें चालू खर्च की राशि के १,२०० करोड़ भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार तृतीय योजना में कुल वित्तियोजन १०,४०० करोड़ होगा, जिसमें से सार्वजनिक क्षेत्र का भाग ६,२०० करोड़ ६० और निजी क्षेत्र का भाग ४,१०० करोड़ ६० का है। निन्म तालिका से यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में ७,५०० करोड़ ६० किस-किस मुख्य भद्दो पर अप्य किया जायगा :—

### सार्वजनिक क्षेत्र में खर्च का व्यौदा

( करोड़ ६० )

विवरण	कुल वित्तियोग	योग का प्रतिशत
(१) लेती और सामुदायिक विकास	२,०६८	१४
(२) स्तिवार्दि के बड़े और मध्यम काम	६०५	६
(३) विजली	१,०१२	१३
(४) ग्रामोद्योग और ढोटे उद्योग	२६४	४
(५) बड़े उद्योग और खनिज	१,५२०	२०
(६) यातायात और सेवार	१,४८६	२०
(७) सामाजिक सेवा आदि	१,३००	१७
(८) कच्चा और अर्द्ध कच्चा व्यार माल (Inventories)	२००	३
 योग	७,५००	१००

**वित्तीय साधन—**सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए जो वित्त व्यवस्था की गई है वह तीव्र दी नई सारणी में दी जा रही है :

## वित्तीय साधन

(करोड़ ₹)

मद

कुल राशि

(१) अतिरिक्त कर, जिनमें सार्वजनिक उद्यमों में अधिक बचत करने के लिए किए जाने वाले उपाय भी सम्बन्धित हैं।	₹ १,७१०
(२) वर्तमान राजस्व से इच्छी हुई राशि (अतिरिक्त करों को छोड़कर)	५५०
(३) रेलों से प्राप्ति	१००
(४) अन्य सार्वजनिक उद्योगों से बचत	४५०
(५) जनता से छहरा (शुद्ध)	८००
(६) छोटी बचतें व प्रौद्योगिक फण्ड (शुद्ध)	८६५
(७) विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	२७५
(८) घाटे की अर्थ-व्यवस्था	१५५०
(९) विदेशी सहायता के रूप में बजट में दिखलाई गई राशि	₹ २,२००
कुल योग	₹ ७,५००

तृतीय योजना अवधि में ₹ १०,५०० करोड़ ₹ का जो कुल विनियोजन किया गया है, वह द्वितीय योजना में किए गए विनियोजन की अपेक्षा ३४% अधिक है। प्रथम योजना में यह राशि ₹ ३,२६० करोड़ ₹ है और द्वितीय योजना में ₹ ६,७५० करोड़ रुपया थी। उपरोक्त आंकड़ों के एक मात्र अवलोकन से एक बात स्पष्ट है कि समस्त वित्तीय साधनों में अतिरिक्त करारीपण सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग अदा करेगा, व्योकि इसके द्वारा ₹ १,७१० करोड़ ₹ की प्राप्ति की आशा है। दूसरा महत्वपूर्ण वित्तीय साधन है विदेशी सहायता। विश्व के अविकसित भागों के विकास के लिए मिल-जुल कर सहायता देने की दशा में यह एक साहस्रपूर्ण प्रगति है। मिल देशों की इस सद्भावनापूर्ण प्रवृत्ति को देखते हुए, हमें भी अपने आन्तरिक साधन जुटाने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि उपलब्ध सहायता का अर्थ-व्यवस्था के सर्वाधिक हित में उपयोग किया जाये। जहाँ तक आन्तरिक व विदेशी साधनों का प्रश्न है, हमें उत्पादन और बचत में निरन्तर बुद्धि करनी होगी; योजना की सफलता के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है। तृतीय योजना में वित्तीय साधनों वा एक महत्वपूर्ण सक्षम पाटे की

आर्थ-व्यवस्था पर अपेक्षाकृत कम निर्भरता है। धाटे के राजस्वन से प्राप्त राशि केवल ५५० करोड़ है, जबकि द्वितीय योजना में यह राशि १,२०० करोड़ थी। यह कमी वास्तव में अनिवार्य थी।

**आलोचनात्मक मूल्यांकन—**यद्यपि देश के विभिन्न भागों में तृतीय योजना का सहृदयता के साथ स्वागत किया गया है, किन्तु फिर भी देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसको 'जन योजना' नहीं बरन् 'नेहरू की योजना' कहते हैं। इन लोगों के मतानुसार हमारी तृतीय योजना प्रधिक महत्वाकांक्षी है तथा दूरदर्शिता से परे है। इसमें देश की प्रमुख समस्या गरीबी व बेरोजगारी का निवारण नहीं होता। इकानांमिक टाइम्स के अनुसार "योजना में ऐसो कोई चौज नहीं है जिससे कि राष्ट्र परिचित न हों, इसमें जन समाज के लिए समृद्धि व खुशहाली का कोई संदेश नहीं है।" कुछ लोगों ने तो वहाँ तक आलोचना की है कि "तृतीय योजना देशवासियों के रहन-सहन के स्तर को बढ़ावा देने के लिये नहीं बनाई गई है, बरन् यह तो एक प्रकार का 'इलेवेशन मैनिफेस्टो' है।" योजना के मन्तर्गत अतिरिक्त कारारोपण से गरीब जनता और भी दब जाएगी। इसी प्रकार विदेशी सहायता के न मिलने पर हमारे स्वतंत्र कार्य-क्रम भी खटाई में पड़ सकते हैं। धाटे का राजस्वन भी दूरदर्शिता की वज्र से उचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार की 'आलोचनाएँ' करने वाले लोगों में प्रमुख हैं देश के वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ थीं राजनीपालाचार्य, प्री० एन० जी० रङ्गा, आवार्य कृपलाली, अशोक मेहता, प्रटल विहारी बाजपेयी, आदि।

उपरोक्त तथ्यों में भले ही कुछ सत्यता हो, किन्तु इस सम्बन्ध में दो मत नहीं ही सकते कि तृतीय योजना पूर्णतया जनतन्त्र एवं समाजवाद के सिद्धान्तों पर आधारित है। यह वास्तव में नेहरू अयवा कांग्रेस पार्टी की नहीं बरन् ४४ करोड़ लोगों की योजना है, जो 'भारत' में निवास करते हैं। देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की देखते हुए तृतीय पंच-वर्षीय योजना को कोई भी विवेकशील व्यक्ति 'प्रधिक महत्वाकांक्षी' नहीं कह सकता। स्वयं स्कूलिं विकास, जो तृतीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य है, तभी ही सकता है, जब कृपि और उद्योग दोनों की समुचित उन्नति हो। यही कारण है कि तृतीय योजना में कृपि व उद्योग के विकास को प्रायमिकता दी गई है। तृतीय योजना को समाप्ति पर ग्रोथोग्राफिक उत्पादन का सामान्य सूचतांक, जो प्रगति का परम्परागत सूचक रहा है, ३२६ तक पहुँच जायेगा (आधार वर्ष १९५०-५१ = १००), जबकि द्वितीय योजना की समाप्ति पर वह १६४ और प्रथम योजना की समाप्ति पर १३६ था। विकास कार्यों की अपेक्षित गति को देखते हुए योजना के मन्तर्गत सागर हुए करों के भार को असहनीय नहीं कहा जा सकता। अप्रत्यक्ष करों और वस्तुओं के मूल्य में बढ़ि होने से निश्चय ही लागत और मूल्य दोनों बढ़ेंगे, किन्तु यह एक ऐसा त्याग है जो करना ही पड़ेगा।

**उपसंहार—**धाटे की आर्थ-व्यवस्था के आधार पर जो भी योजना बनाई जाएगी, उससे मुद्रा स्फीति को बल मिलेगा, जिसके फलस्वरूप मूल्य बढ़ि होना स्वाभाविक

है। किन्तु हमारी तृतीय योजना के विशाल रूप (१०,२०० करोड़ रुपये की योजना) को देखकर किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिये। आज जनता ने यह अनुभव कर लिया है कि इतने बड़े राष्ट्र के लिए जिसकी जनसंख्या सन् १९६५ तक लगभग ४८ करोड़ हो जायगी, छोटी मोटी योजना से काम नहीं चल सकेगा। इसके अतिरिक्त चीन की आक्रामक कार्यवाहियों ने भारत की आँखें खोल दी हैं और आज हम सब इस बात का अनुभव करते रहे हैं कि भविष्य में चीन से लोहा लेने के लिए राष्ट्र का आर्थिक हृष्टि से स्वावलम्बी होना अनिवार्य है। अन्त में यह लिखना अनावश्यक न होगा कि तृतीय योजना की सफलता के लिए बलिदान की अनावश्यकता है। बलिदान तभी होगा जब इच्छा होगी और इच्छा तभी जागृत होगी जब सहयोग की भावना होगी। अतएव जनता के इच्छापूर्वक सहयोग की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।

### STANDARD QUESTION

1. Write a critical note on Third Five Year Plan.
-

## देश की भावात्मक एकता और सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था

(Emotional Integration and Planned Economy)

गहर कुछ समय से हमारे नेतागण 'भावात्मक एकता' पर ध्याक बह देने लगे हैं। भावात्मक एकता का रपष्ट आशय यह है कि हम सब लोग यह अनुभव करने सर्वे कि हमारा अन्तिम लक्ष्य एक ही है, और वह है सम्पूर्ण देश को उन्नति करना। इस हास्ति से हम सोचो की मस्तिष्क की संकीर्णता से बिल्कुल दूर रहना चाहिए एवं छोटे-मोटे यहाँ-यहाँ को मुताकर समर्थन दातों के सम्बन्ध में एक मत हो जाना चाहिए।

किसी भी राष्ट्र की चहूँमुखी प्रगति के लिए भावात्मक एकता नितान्त आवश्यक है, इसे सभी लोग स्वीकार करते हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि राष्ट्र आगे बढ़ता है, तो इसी से व्यक्ति की भी उन्नति होती है, उसकी मानमर्यादा बढ़ती है और उसकी आर्थिक दशा में सुधार होता है। यहाँ यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो फिर राष्ट्र की एकता के विरोध में घातक तत्व समय-समय पर अपना सिर दबो उठाते हैं? कभी भाषा के प्रश्न को लेकर भगड़े होते हैं, तो कभी राज्य के हितों का प्रश्न लेकर, कभी धर्म और सम्प्रदाय को आइ में हैप फैसाया जाता है तो कभी जारियाँति के संरुचित विचारों को उभार कर समाज में कूट फैलाइ जाती है।

भावात्मक एकता क्यों कर सम्भव हो?—यदि कोई भी राष्ट्र सुनियोजित अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत प्रगति करना चाहता है, तो बिना भावात्मक एकता के यह सम्भव नहीं है। 'राष्ट्र की एकता वो सुदृढ़ बनाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि देश में व्याप्त विघटनकारी दक्षिणों का मूल कारण खोजा जाए और उसे बड़मूल से नष्ट करने के उपायों पर विचार किया जाए।' राष्ट्र की भावात्मक एकता को भवित्व बनाने के लिए कुछ लोग देश की वर्तमान अर्थ-व्यवस्था तथा बदले हुए समय की मांग

का ध्यान न रखते हुए कुछ पुराने घिसे-पिटे साधनों का सुझाव देते हैं। उदाहरण के लिए उनका कहना है कि हमें अपने देश की प्राचीन परम्पराओं, मान्यताओं और धार्मिक विश्वायों के प्रति अद्वा जागृत करनी चाहिए, अपने पुराने धर्म-मुनियों एवं धार्मिक प्रम्थों द्वी शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। देश की प्राचीन संस्कृति और आचार संहिता का प्रसार करना चाहिए, आदि। ये समस्त सुझाव विभिन्न परिस्थितियों एवं अपने-अपने स्थान पर टीक हो सकते हैं, किन्तु वे देश में व्याप्त उस असन्तोष के मूल कारणों का विश्लेषण नहीं करते जिसके कारण, एक ही धर्म, एक ही संस्कृति, एक ही परम्परा और एक ही आचार संहित्य में विश्वास करने वाले लोग भी आपस में लड़ते रहते हैं एवं कुछ निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए समाज में हिंसा और फूट का थीज बोने वाले तत्वों को उभारते हैं।

**कुछ भूलभूत समस्याएं—**अब यह प्रश्न उठता है कि यह निहित स्वार्थ क्या है एवं उसका निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है? यदि सूझम हृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होगा कि हमारे धार्मिक, प्रान्तीय, भाषा सम्बन्धी और जाति-नांति आदि से सम्बन्धित संघर्षों के पीछे हमारे आर्थिक हित छिपे हुए हैं। हमारे देश में जीवनशायन या रोजगार के साधन भी सीमित हैं। यद्यपि देश प्राकृतिक प्रसाधनों का भण्डार है, किन्तु उन साधनों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जाता। सार्वजनिक सेवा में भी सेवाओं की कमी है। देश में जन-संस्था का भार निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। बेरोजगारी अपना विकराल रूप धारण किए हुए बढ़ती ही जा रही है। यद्यपि देश में रुकेला, भिताई और दुर्गापुर जैसे विज्ञालकाय उद्योग स्थापित हो गए हैं, परन्तु उनमें अधिक लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। ऐसे बृहत उद्योगों से न तो बेरोजगारी को समस्या मिटी है और न मिटेगी। मशीनों द्वारा अधिक उत्पादन होने से गरीबों और ग्रमीरों के बीच की साई बढ़नी जा रही है। आज कुछ परिस्थिति ही ऐसी हो गई कि मुट्ठी भर लोग अधिक धनाढ़ी बनते चले जा रहे हैं और दरिद्र लोग अधिक गरीब होने जा रहे हैं। एक समय या जब धर्म और भाष्य के नाम पर मालदार लोग गरीबों को सिर उठाने और अपने अधिकारों की माँग करने से रोक सकते थे। परन्तु आधुनिक लोकतन्त्र और राजनीतिक व सामाजिक चेतना के युग में यह सम्भव नहीं रहा है।

हमारे प्रतिदिन के संघर्षों में यह आर्थिक स्वार्थ ही छुपा हुआ है। रोटी और रोजगार की माँग को एक ऐसे आकर्षक नारे का रूप दे दिया जाना है जिसके सहारे समाज के एक गुट विशेष की सहानुभूति प्राप्त हो जाती है और किर उन लोगों के विहृद आनंदोलन खड़ा किया जा सकता है जिनके हाथ में आर्थिक सत्ता विद्यमान है तथा जिनकी शक्ति वो नष्ट करके जीवनशायन के साधनों पर अधिकार किया जा सकता है।

**कुछ उदाहरण—**नए राज्य के निर्माण के प्रस्तुति को ही ले लीजिए। आज समस्त भारत में जनता को एक से ही नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त है,

उन्हे हर राज्य में निवास करने तथा स्वतन्त्र रूप से भनमाना व्यापार करने की सुविधा है। सामान्यतः नए राज्यों के निर्माण अध्यवा उनकी सीमाओं में शौटी घटावड़ी करने से साधारण जनता के अधिकारी पर प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ऐसे लोगों को दोगार तथा सत्ता प्राप्ति के साथ अवश्य मिल जाते हैं, जो जनता की निम्न मानवनायों को उभार कर उन्हें अपने साथ भिला लेते हैं और फिर मन्त्री एवं प्रथवा विधाता मण्डल की सदस्यता प्राप्त कर अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर लेते हैं। इसी प्रवाह जब दक्षिणांचासी देश पर उत्तरी भारत के लोगों वी प्रवृत्ति की बात करते हैं अध्यवा हिन्दों को समझ देश की राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विरोध करते हैं तो इसका यह कारण नहीं है कि वे वास्तव में ऐसा सोचते हैं अध्यवा हिन्दी की व्यापकता और उपलब्धिता को स्वीकार नहीं करते, बरत यह है कि उन्हें भय होता है कि हिन्दों को शिक्षा तथा सरकारी कामबाज की भाषा बना देने से उन लोगों को सरकारी नौकरियों के निलंबने में कठिनाई हो जाएगी, जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी के स्थान पर तामिल, तैत्तिगु, मलियालम, कन्नड़ पा इसी प्रकार की अन्य भाषाएं हैं। इसी प्रकार जब विसी राज्य, जिसे अध्यवा स्थान विशेष के हितों की रक्षा की बात की जाती है, तो उस मार्ग के पीछे भी हमारी वही क्षुद्र मानवा होती है कि देश का व्यापक हित भले ही हो या न हो, परन्तु हमारे क्षेत्र का विशेष आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हो जाएं जिनसे हमें स्वयं रोजगार मिले तथा हमारी जिजी आर्थिक व्यापारिक प्रगति जा मार्ज प्रशस्त हो। अभी पिछले दिनों जब भारत सरकार के सम्मुख यह प्रश्न आया था कि समाज के पिछड़े हुए वर्गों को राष्ट्र के उन्नतशोल वर्गों के स्तर पर लाने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं दो जाएं और इस हेतु सन् १९५३ में काका कालेनकर के सभापतित्व में एक आयोग की स्थापना की गई थी, तो देश की लगभग २,५०० जातियों और सम्प्रदायों ने अपने सम्मान की चिन्ता न करते हुए आयोग से प्रार्चना की कि उन्हें पिछला हुआ वर्ग मानकर विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं। सरकार ने यह देखा कि यदि इन सब लोगों वी मांग स्वीकार कर ली जाए, तो देश के ८०% लोग पिछड़े हुए वर्ग के लोग भान लिए जाएंगे।

**कुछ सुझाव—प्रतः** यह स्पष्ट है कि देश की एकता को बनाए रखने तथा विद्वन्कारी और संरुचित स्थायों का सामना करने के लिए जहाँ कुछ भावात्मक उपायों (जैसे शिक्षा प्रणाली में सुधार, इतिहास का पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक अवस्था, जनता का बीड़िक विकास, आदि) की सहायता ली जा सकती है, वहाँ उनके मूल कारणों यो नष्ट करने के लिए राष्ट्र के समस्त नागरिकों का समान आर्थिक विकास आवश्यक है। जब सरकार स्पष्टतः यह कह सकेगी कि देश की जनता वी रोटी व रोजी का उत्तरदायित्व उस पर है, वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवनव्यापन के समुचित साधन दपलध्य कर सकेगी और इस बात का भी प्रयत्न करेगों कि समाज में आर्थिक असमानताएं कम हो जाएं, द्योटे और बड़े का भेद-भाव मिट जाए, समाज से दोषण की प्रभा का अन्त हो जाए तो राष्ट्रीय एकता अपने आप स्थापित हो जाएगी। प्राजि

इन्हीं कारणों से देश में समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य अपनाया गया है। हमारी पंच-वर्षीय व सामुदायिक विकास योजनाओं की पृष्ठभूमि में भी यही रहस्य छिपा हुआ है। यही कारण है कि हम उन्हें देश की एकता का सबसे बड़ा प्रहरी मानते हैं। हमारी योजनाओं की प्रस्तावता में स्पष्ट कहा गया है कि उनका उद्देश्य यह है कि देश का लेज मति से आर्थिक विकास हो, उत्पादन बढ़े, जिससे द्वेरोजगारी और दरिद्रता का अन्त हो तथा देश में आर्थिक असमानताएं विप्रस्तावित जाएं।

**उपसंहार—**यहाँ यह लिखना अनावश्यक न होगा कि अभी तक हमारी योजनाएँ भावात्मक एकता में बृद्धि के उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हुई है, वे उन क्षेत्रीय भावनाओं का सामना करने में भी असफल रही हैं जिनके अधीन देश का प्रत्येक राज्य यह चाहता है कि उसके क्षेत्र को विशेष सुविधाएँ मिलें, बड़े-बड़े कारखाने उसी के यहाँ खुलें तथा विजली, सिचाई व विशाल कृषि फार्मों की स्थापना उसी के यहाँ हो। परन्तु इसका आशय यही है कि हमें देश की योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रत्येक सम्भव उपाय काम में लाना चाहिए। सर्व इसो बात का प्रयास करना चाहिए कि राज्य-राज्य, क्षेत्र-क्षेत्र, नगर-नगर और गाँव-गाँव के आर्थिक विकास में किसी प्रकार का भेद-भाव न बरता जाए। प्रगति के लिए सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। देश में कोई भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र अथवा जनता का वर्ष न रहे। अल्प संस्कृत जातियों व पिछड़े हुए वर्गों को समाज के अन्य लोगों के स्तर पर लाने के लिए हर प्रकार की सुविधाएँ दी जाएं। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार व अपने व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर दिया जाए। राष्ट्र की भावात्मक एकता को स्थायी ह्य देने के लिए यही सबसे बड़ा उपाय है।

### STANDARD QUESTION

1. Write an essay on “Emotional Integration and Planned Economy.”

## श्रम समस्याएँ ( LABOUR PROBLEMS )

“जब कि समूर्ख राज्य यह प्रयत्न कर रहा है कि जनता के साथ उचित न्याय हो, तब राज्य यह सहन नहीं कर सकता कि समाज के दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के साथ—चाहे वे श्रीदोगिक अमिक हों, कृषि अमिक हों अथवा किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति हों—अन्याय होता रहे।”

—श्री खंडु भाई देसाई

- प्रधाप ३२. भारत में श्रम-संघ चान्दोलन
- ३३. प्रमुख श्रम-समस्याएँ (I)
- ३४. प्रमुख श्रम-समस्याएँ (II)
- ३५. भारत में सामाजिक सुरक्षा

३२.

## भारत में श्रम-संघ आन्दोलन (Trade Union Movement in India)

भारतीय श्रम संघ आन्दोलन का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। परन्तु आन्दोलन के इस संक्षिप्त इतिहास में ही अनुभव तथा क्रान्तिकारी कार्यों के इतने अधिक उदाहरण मिलते हैं जिनमें अन्य देशों के अधिक पुराने तथा विकसित आन्दोलनों में भी नहीं मिलते। भारतीय श्रम संघ आन्दोलन के इतिहास का अध्ययन हम निम्न चरणों (Stages) के अन्तर्गत कर सकते हैं—

### ऐतिहासिक विवेचना

**प्रथम चरण—अन्य देशों की भाँति भारत में भी श्रम संघ आन्दोलन की उत्पत्ति औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप ही हुई है।** यत् शताब्दी के मध्य में बड़े उद्योगों के विकास के साथ ही औद्योगिक संगठनों की स्थापना की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। किन्तु आरम्भ में सेवा योजनों के ही संगठन बने, जिन्होंने श्रमिकों के विरुद्ध अपने हितों को रक्षा के लिये अपने संघ बनाये। मालिकों के संगठनों में सरकार की श्रम नीति को भी प्रभावित किया। फलतः श्रम संगठनों का विकास यमुचित रूप से न हो सका क्योंकि इनके विकास के लिये परिस्वतियाँ अनुकूल नहीं थीं। श्रमिक भ्रष्टाचार, दुर्बल ये, जबकि उनके मालिक अधिक शक्तिशाली थे। जनता भी श्रम संगठनों के सम्बन्ध में उदासीन थी और सरकार की भी उनसे कोई सहानुभूति न थी।

भारत में श्रम-संघ का प्रारम्भ उत्तोसवी शताब्दी के उत्तरार्ध से समझता चाहिये। सन् १८५८ में सोहराब जी शाहपुरी के नेतृत्व में कुछ समाज सुधारकों ने बम्बई की घस्त मिलों में काम करने वाले श्रमिकों, विशेषतः स्त्रियों और बच्चों की दोन दशा के विरुद्ध आन्दोलन चलाया और सरकार से इसकी दशा में सुधार करने के लिए आवश्यक सञ्चियम बनाने की मांग की।

श्रमिकों में किसी प्रकार के संगठित प्रथम का प्रथम संकेत १८७७ में मिला, जब नागपुर की एक प्रेत मिल के श्रमिकों ने मजदूरी की दरों के प्रश्न को लेकर

हटाता था। इनके बाद और भी अनेक हड्डाएं हुईं। तब १८६२ से १८६० के दीव में मद्रास और बम्बई में २५ हड्डाओं का विवरण पाया जाता है।

श्रमिकों की वास्तुविक संगठन की प्रथम नींव तब १८५४ में पड़ी, जब भी एन० एस० लोकांडे ने बम्बई ने श्रमिकों ने एक सभा बुलाई और प्रथमीय मार्गों के अनेक प्रस्ताव पास किये जैसे सामाजिक अवकाश का होना व्याप के बोच धारा घटने द्वारा अवकाश, मालिक सजूदी वा विवेदित रूप से मुआवात, दुर्घटना वी दरों में क्षतिपूर्ति करना, आदि। इन मार्गों से सम्बन्धित एक स्मरण-बत (Memorandum) भारतीय बारखाना प्रायोग (Indian Factory Commission) के पास भेजा गया। इन आयोग ने श्रमिकों की मार्गों को स्वीकार कर लिया, परन्तु हलाहल भारत सरकार ने सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया। थी लोकांडे के नेतृत्व में आन्दोलन चराचर चलता रहा। तब १८६० में श्री लोकांडे ने श्रमिकों को संघित किया। इस संघ की स्थापना से भारतीय श्रमिकों में धर्मसंघ का इतिहास आरंभ होता है। इसी समय थीं लोकांडे ने 'दीनबग्ध' नामक एक पत्र भी विद्वाला विधिक माध्यम से श्रमिकों की मार्गों को उनके अधिकारियों व सरकार तक पहुँचाया जाता था।

अम संघ आन्दोलन के प्रथम चरण की मुख्य विद्योपायें थीं—(१) श्रमिकों में अच्छी यह भावना पैदा नहीं हो पाई थी कि आन्दोलन द्वारा उन्हें अपने जीवन एवं कार्य द्वारा भी ज्ञानिकारी सुधार लाना है। (२) यह आन्दोलन सबल ही विकसित हो गया था। (३) इसका विकास भारत के सभी उद्योगों में समान रूप से नहीं हो पाया था। तब १८६१ में कारखाना प्रधिनियम (Factory Act 1891) पास हुआ थी और इसके साथ ही हम भारतीय धर्मसंघ आन्दोलन के प्रथम चरण की इति थी करते हैं। थी लोकांडे उन्होंने श्री बंगाली की पूर्ण से आन्दोलन जी गति दुष्ट की सी गई।

द्वितीय चरण—उद्दृ० १८०४ में भारत में वस्त्र शिलो की प्रगति देख गई तो वे हीने लगा। बड़ी मार्गों वौ पूर्ण करने के लिये श्रमिकों से कई घटने काम चलाया जाने लगा। वैधानिक नियन्त्रण के अभाव से मिल-भालिको ने लूट फनारी थी। परन्तु यह स्थिति अधिक न चल सकी। श्रमिकों भे धोर अन्तोप्ति फैल गया। सौ १८०५ में बंगाल विभाजन के समय धर्म आन्दोलन ने दुन, सिर उडाय। राजनीतिक नेतृत्वों ने भी श्रमिकों का पक्ष लिया। स्वदेशी आन्दोलन जो इसी समय शुरू हुया था, उसने भी श्रमिकों को देखा था वो मुश्किल के प्रयत्न में सहायता दी। मनों के बाद जब व्यवसाय में दुःख दृनव्यतात हुया तो श्रमिकों हारा अविक मज़हूरी की मार्ग दी गई। इन सबके परिणामस्वरूप उद्दृ० १८०५ और १८०१ के मध्य हड्डाओं वी एक बाढ़ ही थी गई। बम्बई की वस्त्र शिलो में दाम के घटों में वृद्धि के बारे

हड्डतालें हुई, रेलवे कर्मचारियों ने बेतन वृद्धि के लिए हड्डतालें की तथा इसी प्रकार बलकत्ते के सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में भी हड्डताल हुई। इसी समय श्रमिकों के 'कुछ संगठन भी बन गए जैसे सन् १९०५ में कलकत्ता में मुद्रक संघ श्रमिकों की एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था 'कामगर हित वर्धक सभा' (Workers Welfare Association) का निर्माण हुआ। इस संस्था ने 'Labour News' शीर्षक एक साप्ताहिक पत्र निकाला। इस संगठन ने श्रमिकों के रहन-सहन की तथा काम करने की दशाओं में सुधार करने के लिये, उनके भगड़ों को निपटाने के लिए, काम के घण्टों में कमी करने के लिए तथा दुर्घटना की दशा में उन्हे क्षतिपूर्ति दिलाने के लिये अनेक सफल प्रयत्न किए गये तथा सरकार को भी प्रार्थनाभूत (Petitions) भेजे गये जिनके परिणामस्वरूप सन् १९११ में पुनः कारखाना अधिनियम (Factory Act 1911) पास हुआ।

अब आन्दोलन के इस द्वितीय चरण के अन्त तक भी हमारे अमजोबी एक नियमित संस्था के रूप में संगठित नहीं हो सके। श्रमिक ग्रप्पों शिकायतों के लिये छोटी-छोटी समितियाँ बना लेते थे; कभी-कभी सरकार को प्रार्थनापत्र भेज देते थे, और कभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हड्डतालें कर लेते थे। इस काल में आन्दोलन का मार्ग-दर्शन करने के लिये कोई श्रेष्ठ नेता नहीं था।

**तृतीय चरण—प्रथम महायुद्ध के अन्त तक श्रमसंघ आन्दोलन अत्यन्त धीमी गति से बढ़ा।** श्रमसंघों का वास्तविक प्रारम्भ युद्धोपरान्त काल में हुआ जबकि अनेक कारणोंबाट श्रमिकों भे असन्तोष तथा रक्षा की भावना पैदा हो गई थी। श्रमिक अशिक्षित थे। उनमें अनुशासनहीनता थी न उनका कोई नेता था और न ही कोई संगठन।

युद्ध के बाद के समय में श्रीदीगिक श्रमिकों में जागृति आगई। युद्ध से लौटे हुये संनिको ने अन्य देशों के श्रमिकों की अच्छी दशाओं का वर्णन किया। फिर लूसी क्रान्ति से भी अन्य देशों में एक क्रान्ति की लहर पैदा हो गई जिससे भारतीय श्रमिक भी अद्भुते न रहे। इसी समय हमारे कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी श्रमिकों के संगठन में रुचि दिखाई। उदाहरणार्थ, लोकमान्य तिलक, ऐनीडिसेन्ट और महात्मा गांधी ने जो आन्दोलन चलाए उनसे भारतीय श्रमिक संघ आन्दोलन को काफी प्रेरणा द यत्न मिला। मदुरासर गांधी के सन् १९२१ के असदूयोग आन्दोलन का योग्योगिक श्रमिकों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हीं के प्रयास स्वरूप Ahmedabad Textile Labour Association की स्थापना की गई। इस संघने ने श्रमिकों के संघों को अहिंसात्मक ढंग से निपटाने पर अधिक बल दिया। इसके अतिरिक्त 'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' (International Labour Organisation) की स्थापना होने से भी श्रमिकों में ग्राम-सम्मान की भावना पैदा हुई और उन्हें यह अधिकार मिल गया था कि इस संघ के वार्षिक सम्मेलनों में अपना एक प्रतिनिधि

भेज सके। इसका परिणाम यह हुआ कि सद् १९२० में श्रमिकों की एक केन्द्रीय संस्था (All India Trade Union Congress) बनाई गई। इसने अमसंघ आन्दोलन को काफी बढ़ावा दिया। सद् १९१६-२३ के बीच अनेक अमसंघ बने। किन्तु उसके सम्मुख अनेक कठिनाइयाँ थीं, जैसे नियत संविधान का अभाव, पैसे की कमी, पदाधिकारियों में काम का उचित विभाजन होना भावित। कुछ संघ जैसे जमशेदपुर अमसंघ, बम्बई ट्रेनस्टाइल सेवर संघ, गिरनी कामगार महामण्डल, बम्बई, आदि पूर्णतया सुव्यवस्थित थीं और इनके सदस्यों की संख्या कई हजार से अधिक थी किन्तु अन्य संघों में सदस्य संख्या बहुत घोड़ी थी तथा इनका संगठन भी ढीला-डाला था। चाह बागानों में काम करने वाले श्रमिकों में किसी प्रकार का संगठन नहीं था।

**चतुर्थ चरण—**—सद् १९२६ में Indian Trade Union Act पास हुआ। यह अधिनियम भारतीय अमसंघ आन्दोलन के इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रजिस्टर्ड अमसंघों को वैष्णविकासी भावना प्राप्त हो गई। अमसंघों का रजिस्ट्रेशन बड़ी तेजी से होने लगा और इससे जनसत्ता के सम्मुख दृश्यकर महत्व स्पष्ट हो गया। यही नहीं मिल-मालिक भी इनके महत्व को स्वीकार करने लगे।

सद् १९२६ के बाद से अम आन्दोलनों का नेतृत्व साम्यवादियों के हाथ में पहुँच गया। ये साम्यवादी अमसंघ आन्दोलन की आड़ में घपना स्वार्थ तिद्ध करने लगे। अन्य देशों के कुछ साम्यवादी जैसे ब्रिटिश साम्यवादी दल के नेता स्ट्रैट एं ब्रैडल सद् १९२७ में कानपुर अमसंघ काँप्रेस के अधिकारियों में भाग लेते देखे गये। सद् १९२७ में आन्दोलन में दो दल हो गये। एक साम्यवादियों का और दूसरा सुधारवादियों का। सद् १९२७ में साम्यवादियों ने नये संघों को संगठित करने तथा सुधारवादियों के नियन्त्रण के संघों को छीनते के उद्देश्य से 'Workers' Peasants' पार्टी बनाई। बम्बई में Girni Kamgar Union बनाई गई जिसकी सदस्य संख्या ५४,००० थी। दोनों दलों में खुला संघर्ष चल पड़ा जो समग्र छा माहू तक चलता रहा। इस बीच अनेक हड्डालें होती रही सद् १९२८ में भरिया में साम्यवादियों ने अखिल भारतीय अमसंघ बाँप्रेस पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। तब सुरक्षार के कान खड़े हुये और उसने इसने व सुधार के प्रबल किये। इसने तीर्ति के अन्तर्गत अनेक साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा इन पर मुकद्दमे चलाये गये। यह मुकद्दमा Meerut Trial के नाम प्रसिद्ध है। यह मेरठ में जारी वर्षों तक चलता रहा तथा साम्यवादी नेताओं को अनेक वर्षों तक काररागार में रहती पड़ा। सुधार का जो आश्वासन दिया गया था, उसके फलस्वरूप सद् १९२८ में अम शाही कमीशन (Royal Commission on Labour) की नियुक्ति की गई।

**पाठ:** घटनाओं के परिणामस्वरूप अमसंघ आन्दोलन में गहरी फूट पड़ गई। इस फूट से आन्दोलन में बड़ी कमी आ गई। सद् १९२६ में पंडित जवाहरलाल

नेहरू की अध्यक्षता में नागपुर में अखिल भारतीय श्रमसंघ कांग्रेस का दसवां अधिवेशन हुआ, जिसमें चाँतिकारी दल वाले कुछ प्रस्तावों को पास करने में सफल हो गये। जिनमें से मुख्य प्रस्ताव थे—श्रम के शाही कमीशन का बहिष्कार करना तथा अखिल भारतीय श्रमसंघ कांग्रेस को मास्को में होने वाली तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सभा के साथ सम्मिलित करना। इन प्रस्तावों के पास हीने से कुछ लोगों ने अखिल भारतीय श्रमसंघ कांग्रेस को छोड़कर यथार्थ नीति के आधार पर All India Trade Union Federation की स्थापना की। इस Federation ने श्रमिकों के हितों की रक्खा के लिये अपेक्षाकृत अधिक रचनात्मक रीति को सामने रखा।

**पंचम चरण—**यह वह समय था जब महात्मा गांधी ने अपना Civil Disobedience आन्दोलन शुरू किया था (१९३०)। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप राजनीतिक नेताओं का ध्यान इस और आकर्षित हुआ। इसी समय घोर आर्थिक भूनी व कारण मिल-मालिकों ने भी श्रमिकों को छठनी तथा उनकी मजदूरियों में कमी की। श्रमिकों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई तथा हड्डतालें की, परन्तु असंगठन के कारण उन्हें अधिक सफलता न मिली। सन् १९३१ में Trade Union Congress में पुनः फूट पड़ गई और Red Trade Congress के नाम से नए संगठन का प्रादुर्भाव हुआ। रेलवे कर्मचारियों का भी अपना एक पृथक फेडरेशन था। इस फेडरेशन में श्रम संस्थाओं में एकता लाने के उद्देश्य से सन् १९३१-३२ में एक मिली-जुली सभा बुलाई। इस सभा की कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप National Trade Union Federation नामक एक नये संगठन का जन्म हुआ। रेलवे कर्मचारियों के श्रमसंघ भी इसमें सम्मिलित थे। दिसम्बर, १९३७ में नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में ट्रेड यूनियन कांग्रेस को मिलाने का प्रस्ताव रखा गया। अप्रैल १९३८ में नागपुर में Trade Union Congress इस Federation में मिल गई।

**षष्ठम चरण—**श्रमसंघ आन्दोलन का छठा चरण द्वितीय महायुद्ध सन् १९३९ से प्रारम्भ होता है। श्रमसंघों की एकता में पुनः विच्छेद पैदा हो गया। कांग्रेसी नेता जेल में डाल दिये गये और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा। श्री एम॰ एन॰ राय और उनके अनुवायियों ने एक भलग संस्था बनाई जिसका नाम था Indian Federation of Labour। इस संगठन को सरकार से भी आर्थिक सहायता मिलती रही और इसी कारण इसको जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त न हो सका।

सन् १९४४ में भारत सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इण्डियन फेडरेशन आँक लेवर, इन दोनों ही संस्थाओं को बारी-बारी से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया जाय। अतः सन् १९४४ में फेडरेशन से और सन् १९४५ में ट्रेड यूनियन कांग्रेस से प्रतिनिधि भेजने के लिए परामर्श लिया गया। युद्ध युग में श्रमिकों के सहयोग को पाने के लिए सरकार ने कुछ कल्याण कार्य भी किये तथा Welfare

Committees की स्थापना की। कुछ सरकारी गिलों में श्रमिकों के कल्याण की देव-भाव के लिए Welfare Officers की नियुक्ति की गई। श्रमिकों के लिए केन्द्रीय व्यवस्था की गई। श्रीयोगिक संघर्षों को निपटाने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई। सन् १९४४ में अम जांच समिति की स्थापना हुई।

**सम्बन्ध चरण—** सन् १९४५ में पुनः एक विभाजन हुआ। समाजवादी आलग ही गए और उन्होंने 'हिन्द मजदूर सभा' (Hind Mazdoor Sabha) के नाम से प्रश्ना एक आलग मजदूर संघ बनाया। श्री एम॰ एन॰ राय की जो भारतीय फेडरेशन थोक लेवर थी वह इसी में विलीन हो गई। मई सन् १९४८ में प्रो॰ के॰ टी॰ शह तथा श्री एम॰ के॰ खोस ने श्रमिकों का एक नवा संगठन दबावार जिसका नाम Joint Trade Union Congress पड़ा। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संगठन में समाजवादियों का प्रभुत्व छा गया और थी जडप्रकाशनाराज इसके सभापति हुए। श्री हरिहरनाथ शाही की अध्यक्षता में रेलवे कर्मचारियों का एक और संगठन बना जिसका नाम 'भारतीय राष्ट्रीय रेलवे कर्मचारी संगठन' पड़ा।

**बर्तमान स्थिति—** बर्तमान समय में दृष्टिक्षण नेतान्त ट्रैड यूनियन कांग्रेस देश के श्रमिक संघों की सबसे अधिक प्रतिनिधिक संस्था है। इसमें लगभग ८०० संघ सम्मिलित हैं, जो लगभग १२ लाख श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद आँख इण्डिया ट्रैड यूनियन कोर्पोरेशन है, जो किसी समय श्रमिकों की प्रतिनिधि संस्था थी, परन्तु कम्यूनिस्टों के धुस आने पर जब से भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांग्रेस उससे अलग हो गई तब से उसकी संस्था घटवी जा रही है। आल इण्डिया ट्रैड यूनियन कांग्रेस के अतिरिक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित हिन्द मजदूर सभा भी है तथा दूर १९४८ में यूनाइटेड ट्रैड यूनियन कांग्रेस की और स्थापना हुई। इस प्रकार भारत में आज ४ प्रमुख अखिल भारतीय अम संगठन हैं, जिनके सदस्यों की संख्या निम्नलिखित तालिका से ज्ञात की जा सकती है:—

**तालिका I**  
**रजिस्टर्ड अम संघ तथा उनकी संख्या**

कांग्रेस संघ

	१९४५—५६	१९४६—५७	१९४७—५८	१९४८—४९
रजिस्टर में लिखित संघों की संख्या	१७४	१७३	२२३	२१२
रिट्रैट फायल बरने वाले संघों की संख्या	१०५	१०२	१३६	१६४
रिट्रैट फायल करने वालों की संख्या	२,१२,८४८	१,८७,२६१	३,४२,२६५	२,६८,८१७

## राजकीय संघ

	१९५५—५६	१९५६—५७	१९५७—५८	१९५८—५९
रजिस्टर में लिखित संघों की संख्या	७,२२१	८,१८०	६,८२२	८,४२१
रिट्रॉ फाइल करने वाले संघों की संख्या	३,६०१	४,२६७	५,३८४	५,८७६
रिट्रॉ फाइल करने वालों की सदस्यता	२०,६१,८८४२१,८६,४६७	२६,७२,८८३३३,४८,३३७	२६,७२,८८३३३,४८,३३७	२६,७२,८८३३३,४८,३३७

## तालिका

एफोलियोटेक संघों की सदस्यता	सदस्यता					
	१९५७	१९५८	१९५९	१९५७	१९५८	१९५९
१. इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कार्प्रेस	६७२	७२७	८८६	६,३४,३८५	६,१०,२२१	१०,२३,३७१
२. हिन्द मजदूर सभा	१३८	१५१	१८५	२,३३,६२०	१,६२,१४२	२,४१,६३६
३. प्रवित्रि भारतीय ट्रेड यूनियन कार्प्रेस	—	८०७	८१४	—	५,३७,५६७	५,०७,६५४
४. यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कार्प्रेस	—	१८२	१७२	—	८२,००१	८०,६२६
योग	—	१८६७	२०५७	—	२७,२२,७३१	१८,६३,२६०

भारतीय श्रम संघ आन्दोलन के तीव्र विकास में बाधाएँ एवं उत्तरों, दूर करने के लिए सुझाव

भारतीय श्रम संघ आन्दोलन के इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट पता लगता है कि कुछ उन्नतशील पासचाल्य देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ आन्दोलन की गति उत्तरी तेज नहीं रही बितनी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए प्रोट्रिटेन में ही श्रम संघ आन्दोलन ने काफी प्रगति की है और वही के यांत्रिकों को भारतीय अमिकों की अपेक्षा

कही अधिक सुविधाएँ प्राप्त हैं। सच वात तो यह है कि भारतीय श्रम संघ आन्दोलन के तीव्र विकास में प्रारम्भ से ही प्रतेक कठिनाइयाँ व बाधाएँ रही नहै। इन बाधाओं को हम दो शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन कर सकते हैं:—(I) आन्तरिक बाधाएँ। (II) बाहरी बाधाएँ।

### (I) आन्तरिक बाधाएँ

आन्तरिक बाधाओं के अन्तर्गत हम प्रायः निम्नलिखित घटकों का समावेश कर सकते हैं:—

**भारतीय श्रम-संघ की बाधाएँ हैं: १३**

#### I. आन्तरिक बाधाएँ

- (१) शिक्षा का निम्न स्तर।
  - (२) दरिद्रता तथा मजदूरी का निम्न स्तर।
  - (३) श्रमिकों की विभिन्नता।
  - (४) श्रमिकों की प्रवासी प्रवृत्ति।
  - (५) श्रमसंघों के नेताओं का श्रमिकों में से न होना।
  - (६) श्रमसंघों में संयुक्त प्रयत्न व एकता का प्रभाव।
  - (७) पारंपरिक सहयोग एवं कल्याणकारी कामों को मली प्रकार न समझना।
  - (८) निम्न जीवन-स्तर तथा काम करने की असन्तोषजनक दशाएँ।
  - (९) श्रम नेताओं के प्रति द्वेष।
  - (१०) श्रमिकों में घनुशासनहीनता।
  - (११) विशाल क्षेत्र।
- II. बाहरी बाधाएँ**
- (१२) मध्यस्थों का विरोध।
  - (१३) नियोक्ताओं का असहानुमतिपूरण द्वयवहार।

#### (१) शिक्षा का निम्न स्तर—

हमारे देश में शिक्षा का सामान्य स्तर बहुत नीचा रहा है। भारतीय श्रीदोगिक श्रमिक प्रायः अपढ़ हैं, अत्यु वे अनुशासन के महत्व को नहीं समझते और न संघों को बुद्धिमानी व चतुरता के साथ चला ही सकते हैं। उनके लिए तो इनका महत्व केवल हड्डियाँ करके अपनी मांगों के स्वीकृत करना मात्र था। जब उनकी मांगें पूरी हो गईं तब उन्होंने श्रम संघों के कामों में शक्ति लेना बन्द कर दिया। ऐसी परिस्थिति में हम श्रम संघों के तीव्र विकास की आशा कैसे कर सकते हैं।

#### (२) दरिद्रता तथा मजदूरी का निम्न स्तर—

श्रम संघों के तीव्र विकास में सबसे बड़ी बाधा श्रमिकों की निर्धनता की रही है। श्रम संघों को चलाने के लिए पेसे का एक मात्र स्रोत चन्दा है। भारतीय श्रीदोगिक श्रमिकों को बहुत कम वेतन मिलता है; इस कारण हमारे प्रतेक श्रमिक तो चन्दा दे ही नहीं पाते। यदि कुछ देते भी हैं, तो वह चुल्क इतना न्यून होता है कि उससे संघ को योग्य द्रव्य प्राप्त नहीं हो सकता। अतः हमारे श्रम संघ उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाते जितना कि उनसे आशा की जाती है। यही नहीं भारतीय श्रमिक केवल समस्या-

तमक लाभ के लिए शुल्क देने में संकोच करता है और अपने शुल्क के बदले में अपनी समस्त आपत्तियों से बचाव अवधि ही में बेतन बृद्धि की आशा रखता है।

(३) अमिक वर्ग की विभिन्नता—भारतीय अमिक वर्ग में विभिन्न प्रकार के धर्मों, विचारधाराओं, रीति रिवाजों और आदर्तों के अमिक पाये जाते हैं; अतः उनको संगठित करने में बहुत संभय लगता है। मिल-मालिक अमिकों की इस विशेषता से पूर्णतया परिचित थे और उन्होंने इसे अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। धर्म, भाषा व धर्म जाति के प्रश्न दो लेकर अनेक बार अमिकों में फूट पड़ी, जिससे श्रम संगठन का आधार छड़ न हो सका। सद् १९४३ में सदनऊ, दिल्ली और कलकत्ते में साम्प्रदायिक आधार पर कुछ श्रम संघों का निर्माण हुआ; परन्तु सरकार ने उन्हें मान्यता देने से इन्कार कर दिया।

(४) अमिकों की प्रवासी-प्रवृत्ति—भारतीय अमिक स्वभाव में ही प्रवासी रहा है। वे दूर-दूर के गाँवों से नौकरी की खोज में आते हैं और चले जाते हैं। अतः अधिकांश भारतीय अमिक अभी तक अपने उत्तरदायित्वाव अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक नहीं हो सके। वे एक स्वतन्त्र एवं स्थायी वर्ग के रूप में विविसित नहीं हो पाये और न अपनी प्रतुति वो मान्यता हीं दिला सके। प्रायः देखा गया है कि हड्डाल या तालाबन्दी के समय तो वे गाँव चले ही जाते हैं ऐसी स्थिति में कोई भी संयुक्त प्रयास व्योवर सफल हो सकता है? प्रारम्भ में अमिकों को उत्साह रहता है परन्तु कुछ अवधि के बाद जब वे गाँव से बापिस लौटते हैं तब तक उनका सारा जोश ठण्डा हो जाता है। कुछ लोगों को तो गाँव में ही आश्रय मिल जाता है, अतः वे बापिस ही नहीं आते। श्रम संघ आन्दोलन के हड विकास के लिए श्रोत्रोगिक सेत्रों में ही अमिकों वा रहना बहुत जरूरी था। बिन्तु ऐसा नहीं हो सका और परिणामतः इस आन्दोलन को विभिन्न राजनीतिक पक्षों के नेताओं ने अपने व्यक्तिगत स्वायों का अखाड़ा बना लिया।

(५) श्रम-संघों के नेताओं का अमिकों में से न होना—भारतीय श्रम-संघ आन्दोलन के पर्याप्त विकास में सदसे दड़ी बाधा यह रही है कि अमिकवर्ग में ने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो उसका नेतृत्व कर सके। फलतः वकीलों, समाज सुधारवर्गों तथा राजनीतिक नेताओं ने श्रम-संघ आन्दोलनों का नेतृत्व किया। ये लोग अमिकों में सच्ची रुचि नहीं रखते, योंकि उनका निजी स्वार्थ अधिका विशिष्ट हृष्टिकोण होता है। इन नेताओं में अपने-अपने स्वार्थ को मिल्दि के लिये भगड़े होते रहे हैं जिनका लाभ मिल-मालिकों ने उठाया। आज भी जितने श्रम-संघ हैं उन पर किसी न किसी राजनीतिक दल वा प्रभुत्व है।

(६) श्रम-संघों में संयुक्त प्रयत्न व एकता का अभाव—प्राजनव देश में श्रम-संघों की चार देशीय संस्थाएँ हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लघु स्वतन्त्र शाखाएँ भी हैं। भारतीय श्रम-संघ आन्दोलन के इतिहास में एक मात्र अवलोकन

से यह स्पष्ट है कि हमारे महां वडे संगठनों में से छोटे-छोटे संगठन बिंदा होते रहते हैं। देश में किसी भी समय अम-संघों का एक संयुक्त मोर्चा नहीं रहा। अम-संघों की केन्द्रीय संस्थाओं में परस्पर विरोध और वैभवस्य भतता रहा। हमारे अम-संघ, अभिवों के हितों की रक्षा करने के बजाय, विचारधाराओं और अपने-अपने आदर्शों एवं मान्यताओं के भावारू पर एक दूसरे के कार्यों को विफल करने के प्रयत्न करते रहते हैं। अविजित, अज्ञानी एवं लुटिकादी भारतीय अभिवों को व्यर्थ विचार-धाराओं के युद्ध में विस्ता पड़ा जिससे अभिवों का आन्दोलन तीव्रता से प्रगति न कर सका।

(५) पारस्परिक सहयोग एवं कल्याणकारी कार्यों को भली प्रकार न समझना—किसी भी संगठन के हृद विकास के लिये पारस्परिक सहयोग का होना बहुत आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त कोई भी संगठन अपने सदस्यों के जीवन के जितने भी अधिक पहलुओं से सम्बन्धित होगा, वह उतना ही अधिक हृद होगा। दुर्भाग्यवश भारतीय अम-संघों का संगठन अभिवों के केवल कुछ पहलुओं को सेकर ही हुआ। अम-संघ अभिवों के अधिकारों की मात्रा करने के तात्पर्य कुछ रखना-समक कार्य (जैसे कल्याण कार्य) वर सकते थे एवं उनके हारा उनके जीवन के प्रत्येक पहलु को स्पष्ट कर सकते थे। मरि ऐसा होता तो अम-संघों को अभिवों का निश्चय रूप से सक्रिय सहयोग मिलता। परन्तु दुर्भाग्य से अभिवों में पारस्परिक सहयोग की भावना का शुरू से ही अभाव रहा है। अभिवों हुड़ताल करते समय अम-समाज के कल्याण की अपेक्षा निज के हित की प्राप्तिकाला देता रहा है। इससे भी आन्दोलन के विकास में बढ़िनाई रही है।

(६) निम्न जीवन-स्तर तथा काम करने को भासतोपजनक दशाएँ—भारतीय अभिवों को कई बारे लगातार काम करना पड़ता है। काम करने के बाद उनमें इतनी शक्ति व सूखा नहीं रहती कि वे अम-संघ की क्रियाओं में भाग ले सकें। उन्हें ऐसी अवस्था परिस्थितियों में काम करना पड़ता है कि उन्हें सोचने-विचारने की अमरता ही नहीं रहती। निम्न जीवनस्तर के कारण उनका शारीरिक विकास भी कुंचित हो गया है। शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही हितिकोणों से दिवालिया अभिवों से हम वह शाश्वत नहीं कर सकते कि वह किसी हृद संगठन के बातों में सक्रिय भाग लेकर उसे सफल बनाने में सहयोग प्रदान कर सके। अम-संघों ने हमारे भजनकालों के निम्न जीवनस्तर को ऊंचा उठाने की दशा में कोई रक्तनिष्ठक प्रयत्न नहीं किया।

(७) अम नेताओं का प्रतिक्रिया—अधिकांश अमजोवियों में अपने नेताओं के प्रति सद्भावना नहीं होती। जनसाधारण भी उन्हे प्रायः विस्तवकारी व प्राय उगलने वाला कहकर दिनोंभर करते हैं।

(८) अभिवों में अनुशासनहीनता—अविज्ञा, अज्ञानता व लुटिकादी के

कारण भारतीय ध्रुमिक नियन्त्रण व शासन के अन्तर्गत रहने का आदी नहीं रहता। अतः धर्म-संघ की ओर से वह प्रायः लापरवाह रहता है।

(११) विशाल क्षेत्र—हमारे देश में श्रमजीवी बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं, और कुछ दशाओं में तो उन तक पहुँच भी नहीं हो पाती। उदाहरणार्थ, ग्रासाम के चाय के बागानों में अथवा नोलगिरो के कोंकी के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों से सम्बन्धित। दयनीय सूचनाओं को बड़ी ग्रासामी से दबाया जा सकता है। बाहर वालों को उनकी जानकारी नहीं हो पाती। यह स्थिति भी धर्म-संघों की प्रगति में बाधक है।

### बाहरी बाधाएँ

(१२) मध्यस्थों का विरोध—सेवायोजकों एवं जाँचर्स का विरोध भी धर्म-संघ आन्दोलन की प्रगति में बाधक सिद्ध हुआ है। श्रमिकों को गांवों से लाना, शहर में उन्हे काम तथा रोजगार दिलाना, ग्रावास की व्यवस्था करना, कहरा दिलाना, बीमारी अथवा दुर्घटना में जनकी सेवा करना, आदि सभी कार्य इन मध्यस्थों के द्वारा ही किये जाते हैं। श्रमिकों के शोषण पर ही इनका अस्तित्व निर्भर करता है। श्रमिकों में धर्म-संघ का हड़ होने का आशय यह था कि इन मध्यस्थों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता। अब: यह लोग सदैव यहीं प्रयत्न करते थे कि श्रमिकों में फूट पड़ी रहे और वे कभी भी समर्थित न हो सकें। जो श्रमिक संघ के प्रति असहानुभूति रखते हैं उन्हे तरह-तरह से परेशान किया जाता है। जब कभी संयुक्त प्रयत्न के द्वारा हड़तालें होती हैं, तो थे मध्यस्थ इन हड़तालों को विफल कराने की कोशिश करते हैं। इस कार्य में इन्हे मिल-मालिकों से प्रेरणा व वित्तीय सहायता भी मिलती है। इस प्रकार इन मध्यस्थों का निरन्तर विरोध भी आन्दोलन की प्रगति में बाधक रहा है।

(१३) नियोक्ताओं का असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार—मिल मालिकों का असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार भी धर्म-संघ आन्दोलन की एक बड़ी कठिनाई है। भारतीय नियोक्तागण यह नहीं समझते कि स्वच्छ व सुदृढ़ संघवाद हड़तालों के विरुद्ध बीमा वा कार्य करता है। इसके फलस्वरूप अनियमित, अनधिकृत तथा विजली की तरह दण्डिक हड़ताले नहीं हो पाती।

### भारत में धर्म-संघ आन्दोलन को हड़ बनाने के लिये सुझाव

आज जबकि हम औद्योगिक हिट से समृद्धिशाली बनना चाहते हैं, श्रमिकों के हड़ संगठन वी बहुत आवश्यकता है। औद्योगिक विकास के लिये श्रमिकों के प्रति विश्वास एवं सहानुभूति का हिटकोण अपनाना होगा, उनमें प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों को फूंकना होगा। श्री बी० बी० गिरि ने एक स्थान पर लिखा है, “श्रमिकों के हितों की रक्षा करने तथा उत्पादन के सक्षम को पूरा करने के लिए हड़ धर्म-संघ

आन्दोलन नितान्त आवश्यक है। यदि थम-संघ में इन उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता व हड्डता नहीं है तो भारत में पूर्ण समाजवादी प्रजातन्त्र के आधार पर बनाए जाने वाले औद्योगिक कलेवर को नीति हड्डि नहीं होगी और राज्य अपने थेट्टतम आदर्शों के होते हुये भी अभिकर्म को मौलिक अधिकार देने में असमर्प रहेगा।" आधुनिक थम-संघवाद को हड़ करने के लिये हमारे निम्नलिखित सुझाव हैं:-

(१) एकता पैदा करना—केवल कानून की सहायता से ही थम-संघ आन्दोलन का आधार हड़ नहीं हो सकता। इसके लिए तो निज में बहु की आवश्यकता है और इस हेतु एकता बहुत जरूरी है। थम-संघसंवाद के विकास के लिए यह आवश्यक है कि जो भी अभिक प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं, वे एक भव्ये के नीचे आकार मिल जायें और एक केन्द्रीय संस्था को जन्म दें। यदि ऐसी वोई केन्द्रीय संस्था बन जाती है तो वह अभिकों के लिए, सेवायोजकों के लिए तथा समस्त राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

(२) राजनीतिक दलों से आन्दोलन को स्वतंत्र रखना—आज हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है अतः अभिकों के लिए भी स्वतन्त्र बातावरण होना बहुत जरूरी है। अभी तक वे विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रभाव में रहे हैं। इससे अनेक हानियों की आशंका रहती है। एक तो देश के प्रजातान्त्रिक विकास में बाधा पड़ती है और दूसरे अभिकों के हड्डी की रक्षा नहीं हो पाती। अतः थम-संघ के नेताओं को चाहिए कि वे अभिकों को हर प्रकार के राजनीतिक प्रभावों से बचाए रखें। थम-संघ आन्दोलन का भावी संगठन अभिकों के लिये बाम करना य रहने की थेट्टतम दशाएँ उपलब्ध करना होता चाहिए, तभी थम-संघ मजदूरों का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

(३) जाति भेद का हूर किया जाना—जाति प्रथा के कारण भारतीय अभिकों में जाति-भेद की भावना बहुत बढ़ती है। इसके कारण उनका स्थायी संगठन नहीं हो सका है। यही नहीं कुछ अभिकों ने तो साम्राज्यिक आधार पर थम-संघों का निर्माण भी किया है। धर्म के आधार पर ऐसा एकीकरण सज्जा संघवाद नहीं कहा जा सकता। थम-संघ आन्दोलन के विकास के लिए अभिकों को जातिवाद से दूर रहना चाहिए। किसी धर्मक उद्दोग में अभिक किसी भी जाति, दप जाति अथवा धर्म के मानने वाले हों, किन्तु वे पहले तो मजदूर हैं और हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई बाद में। अतः थम-संघ आन्दोलन की हड्डता के लिए यह आवश्यक है कि अविष्य में वे अभिकों का वास्तविक हृष में सच्चा प्रतिनिधित्व करें, किन्तु सम्प्रदायों का नहीं।

(४) एक उद्योग में एक संगठन होना चाहिये—ऐसा होने से अभिकों में तथा उनके संगठन में एकता व सहयोग की भावना बढ़ेगी। इसके विपरीत अनेक

रंगठन होने से उनमें पारस्परिक स्नेह ग्रायवा एकता नहीं रह सकती। यदि संगठनों में संघर्ष होता रहा, तो इससे मिल-मालिक लाभान्वित होते हैं। इसी कारण श्री बी० बी० गिरि ने यह सुझाव दिया है कि श्रम-संघ के भावी दृढ़ निर्माण एवं विकास के 'एक उद्योग में एक संघ' का सिद्धान्त अपनाया जाना चाहिये। इससे श्रमिकों व मिल-मालिकों में पारस्परिक सहयोग बढ़ेगा तथा औद्योगिक उन्नति होगी।

(५) लाभ-कोषों की स्थापना—श्रम-संघों को लाभकोषों (Benefit Funds) की स्थापना करनी चाहिए और उनकी धन राशि से श्रमिकों की बोमारी, मृत्यु, दुर्घटना आदि के समय अर्थिक एवं सामाजिक सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें। इसका सुपरिणाम यह होगा कि एक तो श्रम-संघ निरन्तर क्रियाशील रहेंगे और दूसरे श्रमजीवी इनका महत्व समझकर सदैव अपने को इनसे सम्बद्ध करने का प्रयास करेंगे।

(६) हड्डताल कोषों की स्थापना—हमारे देश में श्रमिकों की हड्डतालें अधिकांश रूप में सफल नहीं हुई हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि सम्बी अवधि तक चनने के बाद अर्थभाव के कारण श्रम-संघों को ही अन्त में भुक्तना पड़ता है। बेचारा श्रमिक कब तक भूक्ता रह सकता है? दुख सहने की भी एक सीमा होती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हड्डताल के समय श्रमिकों की भोजन की व्यवस्था के लिए एक कोष बनाया जाय। इस कोष की उपस्थिति में मिल मालिक बहुत अधिक समय तक श्रमिकों की माँगों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। बहुत सम्भव है कि हड्डताल की नीबत आने से पूर्व ही मिल-मालिकों का श्रमिकों से कुछ समझौता हो जाय।

(७) वित्त-व्यवस्था—कोई भी संस्था बिना पर्याप्त वित्त व्यवस्था के अधिक समय तक नहीं चल सकती। अतः यदि भविष्य में श्रम-संघों को दृढ़ करना है, तो आनंदरिक एवं बाहरी साधनों में इनके वित्त की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। श्रमिक जो भी चला दें, वह भले ही घोड़ा हो, परन्तु नियमित रूप से भिलता रहना चाहिए। यही नहीं दान के रूप में भी काफी धन एकत्रित किया जा सकता है। अपने प्रतिदिन के भोजन की भाँति श्रमिकों को चाहिए कि चला देना भी एक अनिवार्य कार्य समझें। तभी श्रम-संघों के संगठन में हड्डता आ सकती है।

(८) शत्रु प्रतिशत् सदस्यता होनी चाहिए—सदस्यों की संस्था संस्था की हड्डता वा प्रतीक होती है। विसी भी उद्योग में बाम करने वाले सभी श्रमिकों को भ्रापस में संगठन रखना चाहिए। वे सब श्रम-संघ के सदस्य होंगे। "एक सब के लिए तथा सब एक के लिये" की भावना तभी पैदा हो सकती है। ऐसी भावना से श्रम-संघों के संगठन में हड्डता आ सकती है।

(९) वैतनिक कर्मचारियों की निपुक्ति—भारतीय श्रम-संघों के संगठन में एक बहुत बड़ा दोष यह है कि इसके कर्मचारियों को अवैतनिक रूप में काम करना

पड़ना है। ऐसे वर्मचारी लगन व उत्तमाह से काम नहीं करते। अतः आवश्यक इस बात को है कि शमन-संघों का काम करने के लिए पूरे समय के दौरानिक वर्मचारियों की नियुक्ति की जाय।

(१०) ताँचिक विशेषज्ञों की नियुक्ति—प्रत्येक शमन-संघ में से वह जो एक ताँचिक विशेषज्ञ (Technical Expert) होना चाहिये जो संघ से समन्वित उद्योग अथवा उद्योगों के विषय में सभी प्रकार का ताँचिक ज्ञान रखता हो। इससे जनमत बनाने तथा जनता का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करने में दड़े सुधिधा होगी।

(११) शमिकों में उत्तरदायित्व की भावना भरना—श्री वी० वी० गिरि (Shri V. V. Giri) ने एक स्थान पर लिखा है, “वास्तव में, एक ऐसे समाज में जो समाजवाद की राह पर चल पड़ा हो और जिसमें शमिक उचित मजदूरी की मौग करते हों तथा जिसमें शमिकों के काम करने की उचित दशाओं पर नियन्त्रण ध्यान दिया जाना हो, उसमें शमिकों का काफी उत्तरदायित्व है, जो उन्हें पूरी तरह समझना तथा निभाना चाहिए। समाजवाद औद्योगिक प्रजातन्त्र की स्थापना पर और देता है जो शमिक से एक और अनुशासन की मौग करता है और दूसरी और उनके ऊपर सञ्चार एवं कुशलता से कार्य करने का उत्तरदायित्व रखता है। यह विलक्षण सत्य है कि शमन-संघों का कार्य-क्षेत्र वेवल शमिकों की मांगों की पूर्ति तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए वरन् उनमें अनुशासन एवं उत्तरदायित्व की भावना भरने के लिए प्रयास करना चाहिए। शमन-संघों की प्रत्येक शमिक को उसके अधिकारी व वर्तम्यों के प्रति पूरी तरह जागृत करना चाहिए। ऐसी चेतना से नेवायोजनों व मजदूरों के पारस्परिक सम्बन्ध ग्रन्थ होंगे त्रिसके फलस्वरूप उद्योग एवं राष्ट्र दोनों ही सामाजिक होंगे।

(१२) “कार्य धीरे करने की प्रवृत्ति” को रोकना चाहिये—जाइनल श्रवण देखा जाना है कि शमिकों द्वारा हड्डाल का एक नया तरीका चल पड़ा है, और वह है “काम को धीरे-धीरे करना” (Go Slow Tactics)। इससे मित्र-मालिकों, उद्योग तथा राष्ट्र तीकों को ही नुकसान पहुँचता है। यहाँ नहीं, शमिकों को स्वयं भी इसमें हानि उठानी पड़ती है, योकि धीरे-धीरे कार्य करने से उनकी कार्यक्षमता भी घटने लगती है। बाद में शमिक नाहने पर भी संभिक धीरगति से काम नहीं चर पाते। अतः शमन-संघों द्वारा चाहिये ति शमिकों में इस दृष्टिप्रवृत्ति को रोकें, योकि इसमें अन्तिम स्पृष्टि में उनकी आय पर प्रभाव पड़ेगा और उदासा जोकन-स्तर निभ छोड़ देयेगा।

(१३) औद्योगिक प्रबन्ध में अम संघ के प्रतिनिधियों को भाग लेने की सुविधा देना—वर्तमान युग में यह आवश्यक समझा जाने लगा है कि शमिकों द्वारा दौद्योगिक प्रबन्ध में उपयुक्त नाम मिलता चाहिए। प्राधुनिक जनतन्त्रात्मक युग में

प्रीयोगिक उपचारि तभी हो सकती है, जब श्रमिकों के साथ समान स्तर पर व्यवहार किया जाये। यह कार्य श्रम संघों के प्रतिनिधियों को प्रबन्ध में भाग लेने की सुविधा प्रदान करके किया जा सकता है। इससे निश्चय ही हमारे श्रमसंघ आन्दोलन की स्थिति सुहृद होगी।

(१४) जनमत का समर्थन—श्रम-संघों की हड़ता के हेतु इनके पीछे जनमत का समर्थन होना ही आवश्यक प्रतीत होता है। श्रमिकों के महत्व को स्वीकार करते हुए जनता उनकी माँगों की सार्वजनिक एवं न्यायोचितता को भी स्वीकार करे तथा व्यापक रूप से उन्हें मान्यता देने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को बाध्य करें। श्रम संघ तथा श्रम वर्ग के लोग जनता का समर्थन पाकर ही सरकार को अपनी दशाओं को उद्धत करने के लिए उपयुक्त कानून बनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अतः श्रम संघों को चाहिए कि श्रमिकों में अपने अधिकारों की चेतना भरने के साथ-साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता पैदा करें तथा जनता पर अपनी माँगों की न्यायोचितता दर्शने का प्रयास करें। इससे श्रम संघों का संगठन निश्चय ही सुहृद होगा।

(१५) उचित नेतृत्व—किसी भी संस्था के सुहृद विकास के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसका नेतृत्व उचित व्यक्तियों के हाथ में हो। हमारे श्रम संघ आन्दोलन की धीमी गति का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि इसका नेतृत्व अभी तक बाहरी व्यक्तियों के हाथों में था। अतः भावी श्रम संघ आन्दोलन की हड़ता के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि योग्य व्यक्ति ही इसका नेतृत्व करें और वे भी श्रमिकों में से ही हो।

(१६) श्रमसंघों के कार्यों की उचित प्रशिक्षा की व्यवस्था—श्रम संघ आन्दोलन की हड़ता के लिए यह भी आवश्यक है कि श्रमिकों को श्रम संघ के कार्यों में पूरी-पूरी प्रशिक्षा प्रदान की जाए। जो व्यक्ति श्रम संघों के संगठन से सम्बन्धित हैं, उनके लिए ऐसा प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। सौभाग्य का विषय है कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु अभी हाल में कलकत्ता में Asian Trade Union College वी स्थापना की गई है। कुछ समय से महमदाबाद का Textile Labour Association श्रमिकों को श्रम संघ के कार्यों में शिक्षा देने का कार्य कर रही है। इसी प्रवार 'अखिल भारतीय श्रम संघ कॉर्डेस' (I. N. T. U. C.) द्वारा 'हिन्दुस्तान मजदूर सेवा संघ' ने भी इस प्रकार की प्रशिक्षा की व्यवस्था की है। भारत सरकार भी इस दिशा में सक्रिय कदम उठा रही है।

(१७) श्रम पत्रिका—श्रम संघ आन्दोलन के सुहृद एवं नियमित विकास के लिए एक स्वन्त्र 'श्रम पत्रिका' निकालना बहुत जरूरी है। इससे सबसे बड़ा सामने यह होगा कि श्रमिक अपने अन्य साधियों की समस्याओं से परिचित होंगे तथा उनमें सक्रिय चेतना पैदा होगी। उन्हें अपने उद्योग तथा अपने कार्य के विषय में महत्वपूर्ण

जनकारी उपलब्ध होगी। इस पत्रिका के माध्यम से शमिलों के हितों के लिए विए जाने वाले दायरों की सूचना भी प्रसारित की जा सकती है। ऐसी पत्रिका के द्वारा शायिक अपने कल्पाण कार्यों में स्वयं भी भाग ले सकते हैं।

### STANDARD QUESTIONS

1. Examine the main features of the Trade Union Movement in India and discuss the main drawbacks in its healthy growth. How far has it been possible to eliminate these drawbacks?
  2. Trace briefly the history of labour movement in India. What are its present day weaknesses, and how can they be overcome.
  3. Describe briefly the history of the Trade Union Movement in India. State its present position.
-

३३.

## हमारी कुछ प्रमुख श्रम समस्याएँ (I)

( Labour Problems—I )

भारत में श्रम समस्याओं का उदय—भारत में श्रम समस्याएँ अरेक्षाकृत कुछ नवीन ही हैं। प्राचीन काल में श्रमिकों की क्या स्थिति थी, उनकी काम करने की दस्तावें कौसी थीं और उनका जीवन-स्तर कैसा था, इस विषय में कोई व्यवस्थित विवरण नहीं मिलता। हाँ, तत्कालीन ग्रन्थों, साहित्य तथा रीति रिवाजों के आधार पर ग्रन्थुमान से यह बहा जा सकता है कि प्राचीन श्रमिक असंघठित, अरक्षित बिन्दु कार्य-कुशल थे। पुर्तनी कलाकारों तथा दस्तकारों द्वारा व गाँवों व नगरों में बला व दस्तकारी के उद्योग-धन्वे किये जाते थे। ये लोग गाँव के सेवक भी होते थे तथा नगरों में दस्तकारी संघों (Craft Guilds) में संगठित होते थे। प्रवीण दस्तकारी (Master-craftsmen) के यहाँ कुछ लोग Apprentice दस्तकारी का काम सीखते थे। काम सीखने के बाद वे स्वयं पृथक व्यवसाय करने लगते थे। श्रमिक का जो आधुनिक धर्य सिपा जाता है, वह १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही प्रारम्भ हुआ। सन् १८५७ के उपरान्त देश में नई शासन-व्यवस्या स्थापित हुई और आधुनिक उद्योगों व यातायात तथा आधुनिक धर्य-व्यवस्या का विकास होना प्रारम्भ हुआ। जैसे-जैसे देश में उद्योगों का विकास हुआ और नए कारखानों की स्थापना हुई, रेल, टार, डाक, चाय, रेड, सूत, छूट, लौह, इत्यादि सभी प्रकार के उद्योगों का विकास होने लगा। औद्योगिक क्रान्ति तथा ग्रन्थों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्तराइन के आधुनिक कारखाने की पद्धति ने ही श्रम की समस्याओं को जन्म दिया। २० वीं शताब्दी में इन समस्याओं का इन उपरान्त होता गया। एक भौर तो आधुनिक उद्योगों के विकास भौर दूसरा भौर कुटीर-उद्योगों के विनाश तथा कृषि भूमि पर जनवृंदा के उत्तरोत्तर बढ़ने वाले भार के कारण, गाँवों से मुण्ड का मुण्ड कार्यागर व किसान नगरों में जाकर श्रमिकों के हन में आबाद होने लगे। औद्योगिक नगरों का विकास हुआ और देश में बन्वई, अहमदाबाद, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास भौर दादानगर जैसे अमिन-प्रधान नगर विकसित हुए।

इस प्रश्नार जो एक नदा अमिक वर्ग उत्पन्न हुयां उसकी कुछ अपनी विशेषताएँ थीं। उनके पास न धन था, न भूमि और न कोई अन्य सम्पत्ति। उनके निवास दी भी जटिल समस्या थी। पवांत्र व उत्पन्नक घरों के अभाव में भारतीय अमिक वर्ग को नगरों की तंग, अंधेरी दुर्गच्छपूर्ण मतियों में नारदीय जीवन अतीत करने के लिए बाध्य होता पड़ा। प्रारम्भ में उसकी नौकरी की मुरक्का के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी जो नहीं। उसके काम करने के स्थान की दशाएँ बड़ी अनुपन्नक व स्वास्थ्य के प्रतिकूल थीं। दरे १२ में १५ घण्टे तक काम करना पड़ता था। उसके स्वास्थ्य व चिकित्सा तथा दुर्घटनाओं से रक्षा करने के लिये कोई प्रबन्धन था। उद्योगपति अमिकों का निर्दिष्टपूर्वक दोपण करते हैं और अमिक अपने स्वामी की दशा पर निर्भर एक बेवश व असहाय दोषित प्राणी था।

किन्तु समय बदला। प्रथम विश्व-युद्ध ने अम-समस्याओं को ऊपर लाकर रख दिया। अम तथा पूर्जी के बीच खाई, बांग्लादेश-भारत तथा धन व आव की बढ़ती असमानता के बारण अमिकों और मिल मालियों के बीच तीव्र वैमनस्य तथा हेप की आग भड़क उठी। प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान में भारतीय उद्योगपतियों ने भारी लाभ बमाये और अमिकों से शक्ति से भी अधिक काम लिया। इसमें मज़हूरों में कुछ जगृति हुई और उन्होंने अपनी दशा मुशारले के लिए आवाज उठाई, पर्याप्त इस आवाज में बल न था। युद्ध तथा युद्धोत्तर देशी से मूल्यों में असाधारण वृद्धि के कारण जीवन-यापन की लागत बढ़ गई थी और इससे अमर्जनियों में बड़ा असन्तोष लाया हुआ था। भंगार्ड, भत्तों, बोतसों पा ताभाओं और अधिक मज़बूरों प्राप्त करने के लिये हृत्तालों की देश में एक बाड़ सी आ गई थी। अम-संघों का संगठन हुआ, अमिकों को अपने भवत्व देखा अपनी शक्ति का ज्ञान हुमा। यही नहीं, अनारोप्यीय धन संधों व समेतनों में भी भारतीय अम संघों के प्रतिनिधि भाग लेने लगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की विश्व वा आठदां औद्योगिक-देश घोषित किया तथा भारतवर्ष को अनारोप्यीय धन निर्णयों को हीकार कर लागू करना पड़ा।

कुछ अम वल्यालकारी कानूनों का भी नियंत्रण किया गया, किन्तु अमिकों में संगठन वा अभाव होने के बारण उनके हितों की उचित रक्ता न हो सक्ता। सद १९२६ में अम-संघ अधिनियम के पास होने से उनकी दशा में सुधार की आज्ञा दर्शी। सद १९२१ में भारत सरकार ने रॉयल अम कमीशन की नियुक्ति की, जिसने आपा प्रतिबंधन सद १९३१ में प्रस्तुत किया। इसके आवार पर अमिकों के निवास, बार्य-दशाओं, बार्य अवधि, नौकरी की सुरक्षा तथा उनके हितकारी कार्यों के सम्बन्ध में वेन्ट्रोय तथा राज्य सरकारों ने अनेक अधिनियम पास किए। तत्पश्चात् सद १९३७ में कौद्रेस मनिमन्डलों ने अम हिन को एक प्रगतिशील नीति को जारीकित कर द्युरुपम भूति, नौकरी की मुरक्का, सति-सूति इत्यादि की व्यवस्था की।

देश की स्वतंत्रता के उपरान्त अम आम्लोतन वो एक नया बल मिला है। जोज देश में औद्योगिक तथा आर्थिक देशों में अमिकों के अनेक संगठन बार्य कर-

रहे हैं। औद्योगिक श्रमिकों की संख्या लगभग ६० लाख है, जो अधिकतर मिलों या कारखानों, खानों, बागानों, रेलों, जहाजों, बन्दरगाहों पानी तिजी दूकानों पानी व्यापारिक संस्थाओं में काम करते हैं। इनमें से लगभग ३० लाख श्रमिक देश के विभिन्न राज्यों के उन कारखानों में काम करते हैं जो कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, १० लाख श्रमिक रेल-उद्योग में काम करते हैं तथा लगभग ७ लाख श्रमिक केन्द्रीय सरकार के संस्थानों में लगे हुए हैं। आज का श्रमिक दिन प्रति दिन अपनी अवस्था व महत्व से परिचित होता जा रहा है। इस जेतना के परिणामस्वरूप श्रमिकों की स्थिति सुधारती जा रही है। तथापि कार्यक्षमता की दृष्टि से अन्य उन्नत देशों के समझ आने में हमारे श्रमिकों को अनवरत परिश्रम की आवश्यकता है। उनकी दशा में सुधार तथा जीवर-स्तर को उठाने में श्रम-संगठनों, उद्योगपतियों तथा सरकार तीनों ही को सहयोग करके उचित दिशा में प्रगतिशील कदम उठाने होंगे। देश के समुचित आर्थिक विकास के लिए एक पूर्ण सन्तुष्ट व सुखी वर्ग की आवश्यकता है। यदि भारत को अपने औद्योगिक विकास की प्रगति में अन्य देशों से कदम मिलाकर चलना है, तो उसे अवश्य ही अनन्तस्थाओं को अविलम्ब हल करना पड़ेगा।

### भारतीय श्रमिकों की विशेषताएँ(Characteristics of Industrial Labour)

भारतीय कारखाना मजदूरों की प्रवासी प्रवृत्ति—भारतीय औद्योगिक श्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता, जिसके गम्भीर आर्थिक एवं सामाजिक परिणाम हुए हैं, यह है कि वे अधिकतर गाँवों से आते हैं और यथा शीघ्र अवसर मिलने पर पुनः गाँवों को वापस लौट जाते हैं। यही कारण है कि भारत में अभी तक एक स्थायी श्रमिक-वर्ग का उदय नहीं हो पाया है।

पाश्चात्य देशों में कारखानों में काम करने वाले व्यावसायिक मजदूरों के स्थायी वर्ग होते हैं तथा वे हेती से एकदम सम्बन्ध विच्छेद कर लेते हैं। वहाँ प्रायः अधिकार मजदूरों का पालन-पोषण शहरों में ही होता है तथा कुछ तो गाँवों से अपना नाता पूर्णतः तोड़ कर दूहर के निवासी बन जाते हैं। कारखानों के क्षेत्र का लालन-पालन पश्चिमी देशों के श्रमिक की थोड़ता के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी है, परन्तु इस देश के कारखानों का श्रमिक तो प्रायः प्रवासी होता है और जायद ही कभी गाँव से सम्बन्ध विच्छेद करता है। अधिकांश मजदूरों का यही ही गाँव को लौटना तथा एक कारखाने में अधिक दिन न टिकना अवश्य ही इस बान का दोषक है कि वे कृपि कार्य अल्पकाल के लिये ही छोड़ते हैं। औद्योगिक केन्द्रों के अधिकार श्रमिक असल में ग्रामीण ही होने हैं, जिनकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँवों में ही होती है और ग्रामीण रीतिरिवाजों में ही उनकी प्रास्ता होती है। उनका अभीष्ट गाँव लौटना ही होता है तथा ऐसा करते में वे प्रायः सफल ही होते हैं।

प्रवासी प्रवृत्ति के कारण—श्रमिकों के गाँव से दूहर आने के बारें पर हम देखेंगे कि कृपि पर पड़ने वाली विषयति का पहला असर भूमिहीन

लेतिहर मजदूरों पर ही पड़ता है। यह: उन्हे गांव छोड़कर कारखानों, नौकरी-निर्माण स्थानों, बांगों तथा रेल, जिवाई आदि सरकारी निर्माण-कार्य वाले स्थानों में अधिक बेतन के लिए काम ढूँढ़ने जाना पड़ता है। उबलत आवागमन के साथ उनके इन प्रवास में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों तथा बम्बई के रेलवेरियादि कुछ जिलों में जन-धनत्व तथा मूँभार इतना अधिक है और अन्यायिक खोते इतना भयानक रूप द्वारा उठाये कर चुके हैं कि हाथ-रण कुपक जीविकोपार्जन के हेतु शहर में जाने को बाध्य हो जाते हैं। इस प्रवास कार्य में संयुक्त परिवार प्रणाली भी सहायक होती है। परिवार के कुछ सदस्य अरवे घर तथा जित से सम्बन्ध विच्छेद विए दिन। ही उसे परिवार के इन्ही व्यक्तियों की देख-रेख में छोड़ कर गांव से चले जाते हैं। कभी-कभी कुपक गांव के साहूकार तो बचने या भूमि और पशु खरीदने के लिए पर्याप्त धन कमाने के उद्देश्य से शहरों में नौकरी तलाज़ करते हैं। किंवित की जीविका और भावी जीवन को उत्तम बनाने की आशा से निम्न धरेणी के द्वानीण श्रमिक (जो कि दलित-वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं) शहरों और कस्बों को चढ़े जाते हैं। जूँकि उनके ज़ुगार जाने का प्रधान कारण कष्ट है, त कि महत्वाकांक्षा, यह: हम यह कह सकते हैं कि गांवों से नगरों को प्रवास करने वाले सदस्य कम कुशल और अस्यन्त निष्ठाय प्राप्तोण होते हैं। अम कभीशन के शब्दों में—

“प्रवास की प्रेरक शक्ति एक सिरे से आती है, अर्थात् गांवों से। औदोगिक अभिक नागरिक जीवन के आवर्षण से शहरों में नहीं जाता और न उसके प्रवास का कारण महत्वाकांक्षा ही होती है। शहर स्वयं उसके लिए कोई आकर्षण की वस्तु नहीं है और प्रणाला गांव छोड़ने के समय उसके मन में जीवन की आवश्यकताओं की भाँति के अतिरिक्त और कोई भवना नहीं रहती। बहुत ही कम औदोगिक-अभिक शहर में रहना चाहें, यदि उन्हे गांव में जीवनपापन के लिए पर्याप्त अन्न और वह सिल जाए। वे नगर की ओर आकर्पित नहीं होते, वरु ढूँढ़ते जाते हैं।”

प्रवासी प्रवृत्ति के आर्थिक इवं सामाजिक परिणाम—( १ ) प्रवासी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप दारखानों में काम करने वालों के शितने ही वर्ग धर्मने को एकदम अपरिचित रीति-रिवाजों और परम्पराओं के मध्य पाते हैं। यह भी ही सकता है कि वहाँ भाषा भी दूसरी हो।

( २ ) पुरानी प्रवासी और मानवाद्वारा के बन्धन दूँखे पड़ जाते हैं, नवीन सम्बन्ध शीघ्रता से नहीं स्वापित हो पाते। फलतः जीवन अधिकाधिक नैयकिक हो जाता है।

( ३ ) जलवायु के अत्यधिक परिवर्तन, दोषपूर्ण भोजन, स्थानानाव के कारण अत्यधिक भीड़-भाड़ संकार्द का अभाव तथा पारिवारिक जीवन से विच्छेद होने के बाद पुनः निलने का प्रलोभन, इन सदस्यों संयुक्त प्रभाव श्रमिक के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है।

(४) कुछ दुर्घटनों के कारण श्रमिक के नैतिक जीवन का और भी पतन होता है। शराब और जुआ इन दुर्घटनों के उदाहरण हैं, जोकि गांवों में अपेक्षाकृत अज्ञात हैं।

(५) चूंकि श्रमिक के मन में गांव लौटने की इच्छा सदैव वनी रहती है, अतः वह अपनी नागरिक वृत्ति में स्थायी रूचि उत्पन्न नहीं कर पाता। यही कारण है कि वह उच्च कोटि की प्रावधिक कुशलता नहीं प्राप्त कर पाता।

(६) उसके बार-बार गांव लौटने तथा अन्य कारणों से मालिक और श्रमिक के बीच सम्पर्क की घनिष्ठता तष्ट हो जाती है और उनमें प्रभावपूर्ण संगठन का भी अभाव हो जाता है।

(७) श्रमिक जब लम्बी अनुपस्थिति के बाद लौटता है तो यह निश्चित नहीं होता कि उसे काम मिलेगा ही। पुनः काम मिलने की कठिनाइयाँ उसे साहूकार, मजदूरों के ठेकेदार, शराब वेचने वाले आदि की दया पर आधित कर देती हैं।

यह श्रमिकों का गांवों से सम्पर्क उचित है?—जैसा कि हम पहले संकेत कर चुके हैं, श्रमिकों का अभीष्ट गांव लौटना ही होता है। अधिकाश श्रमिक अपना परिवार गांवों में ही रखते हैं। शहर में अपने पति के साथ आने वाली पत्नी भी प्रसव के समय प्रायः गांव ही चली जाती है। शहर में रहते हुए उनका सम्बन्ध गांव से इसलिए भी नहीं टूट पाता कि वहाँ उनको अपने परिवार, किसी सम्बन्धी या अपने साहूकार को कुछ रकम भेजनी ही होती है।

अब आयोग के मतानुसार श्रमिकों का गांवों से सम्पर्क लाभहीन नहीं है। शहरों की अपेक्षा गांवों के अधिक स्वास्थ्यप्रद बातावरण में पोषित होने के कारण ग्रामीण श्रमिकों का स्वास्थ्य अधिक उत्तम होता है। समय-समय पर गांव जाने से खोई हुई मानसिक और शारीरिक शक्ति फिर से लौट आती है। बीमारी और वृत्तिहीनता के अवहर पर गांव का घर एक शरणस्थल वा काम देता है। जिस प्रकार गांवों के आर्थिक भार को नगर प्रवास हल्का कर देता है उसी प्रकार गांव नगरों की वृत्तिहीनता के प्रति एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ग्रामीण और नागरिक जीवन का संयोग दोनों (नगरों और गांवों) के लिए हितकर होता है। इससे ग्रामीण जीवन में दाहरी दुनिया का थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तथा पुरानी जर्वर प्रथाओं की शून्यता वा तोड़ने से सहजता मिलती है। इसी प्रकार नागरिकों को भारतीय जीवन की वास्तविकताओं का सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है। अतः हमारा मत है कि इस समय गांवों से सम्बन्ध की कड़ी को बनायें रखना लाभदायक है। हाँ, यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सुनियमित और स्वास्थ्यप्रद हो।

(II) एकता का अभाव—भारतीय उद्योगों में श्रमजीवी प्रायः बहुत दूर-दूर से काम करने ग्राते हैं। ऐसे विरले ही आयोगिक नगर हैं जिन्हे निकटवर्ती क्षेत्रों से ही समस्त श्रमिक प्राप्त हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, मजदूरों वा वर्ग एक ऐसा

विचित्र मनुदाय दत गया है, जिसमें भिन्न-भिन्न धर्मों के विश्वनित भाग बोलते थे तो, भिन्न-भिन्न रहन-सहन एवं रीति-रिवाज के लोग होते हैं। मजदूर वर्ग में इन अनेक विश्वताओं के कारण संगठन नहीं है। संगठन तो दूर रहा, पारस्परिक मैल-जांच मी उनमें बहुत कम है।

(III) प्रतिप्रभित उपस्थिति—जैसा हम लग्ये सकते कर चुके हैं, भारतीय धर्मिक वारखानों के निष्टटर्टी गाँवों अथवा राज्यों से जात बरते के लिए नगरों में आते हैं, अतः अपने गाँवों के प्रति उनका आकर्षण बना रहता है। वे समय-न्येमम पर गाँव जाते रहते हैं। हृषि क्षेत्रों से आने वाले धर्मिक हृषि गौषधम में अथवा फसल पर, जब गाँवों में अधिक वाम होता है, अपना वाम होड़ कर चले जाते हैं, इससे उनकी उपस्थिति कारखानों में अनियमित रहती है। निष्टटर्टी गाँवों से आने वाले धर्मिक तो प्रायः ऐसी माम ही अपने गाँव जाया करते हैं, जिससे कारखाने के वाम में बड़ी बाधा पड़ती है।

(IV) शाहानता एवं शिक्षा का अभाव—भारत की समूर्ण जन-संस्था में से केवल १७% व्यक्ति पढ़े-लिये व्यक्तियों में से शौश्योगिक धर्मिकों का भाग बो तात्पर्य दो ही होता। सामान्य शिक्षा का अभाव होते के कारण अन्यांशी यूरु उत्तरदायित्व के माध्यम से कर्तव्य का निष्पादन नहीं कर पाते। साथ ही, भारतीय धर्मजीवियों में जब सामान्य शिक्षा का अभाव है तो शौश्योगिक शिक्षा का अभाव हो, यह कोई आदर्श की बात नहीं। यही नाराज है कि हमारे धर्मजीवी जातिरक्षाही के साथ यन्त्र-शोजारों का उपयोग बढ़ते हैं तथा अपने वाम का महत्व नहीं समझते।

(V) भारतीय धर्मिकों की पूर्ति दद्योगों को उनकी आवश्यकतानुसार नहीं मिलती—भारतीय धर्मिकों में दुश्मन धर्मिकों की अपेक्षा अद्युत्तम धर्मिकों की संख्या अधिक है। इमका एकमात्र कारण यही है कि हमारी प्रशिक्षण जन-संस्था हृषि उद्योग में लगी है। सद १९५१ की जन-संस्था के प्रतुसार, भारत की २५ करोड़ जन-संस्था हृषि पर प्रत्यक्ष अथवा परेश्वर ह्य से निर्भर है तथा ये प्रत्यक्ष संगठित उद्योग, खान उद्योग, धाराधारन, व्यापार एवं बालिक्षण पर निर्भर है।

(VI) रहन-सहन का निम्न स्तर—भारतीय धर्मजीवियों के रहन-सहन का स्तर प्रत्यक्ष गिरा है। इसका प्रधान कारण यह है कि उनको पारितोषण बहुत कम मिलता है। कोई भी व्यक्ति जब तक उनके पास अपनी हमेस्त आवश्यकताओं की सल्लुटि के हेतु साधन न हों, अपने रहन-सहन का स्तर ऊँचा नहीं कर सकता, अतः यह कोई धर्मिकों का नहीं, वरन् उन परिस्थितियों एवं वातावरण का है जिनके अन्तर्गत वे पले हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं।

(VII) धर्मिकों की अक्षमता—भारतीय धर्मिकों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे धर्मिकों की वार्षिकता बहुत कम है। ये

एलेक्जेन्डर मैकरार्ड के अनुसार भारतीय श्रमिक की अपेक्षा एक अंग्रेज श्रमिक ४ गुना धाम करता है, परन्तु भारतीय श्रमिक की अक्षमता का विचार करते हुए हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि श्रमिकों की कुशलता निम्न वातों पर निर्भर करती है—जलवायु, भूति-मद्दति, काम करने की परिस्थिति, रहन-सहन का स्तर तथा थम प्रबन्ध। इन घटकों के विवेचन से ही किसी देश के श्रमिकों को अक्षमता के विषय में समुचित निर्णय किया जा सकता है। वायर करने की परिस्थिति, काम के घटे, यन्त्र-गामग्री, औद्योगिक शिक्षा एवं थम प्रबन्ध आदि कुछ ऐसी वातें हैं जो श्रमिकों के ऊपर निर्भर न रहते हुए उद्योगपतियों और निर्माताओं के ऊपर निर्भर रहती है तथा जिनकी समुचित व्यवस्था की पूर्ण जिम्मेदारी उनके ही ऊपर होती है, इसलिए यह कहना यथार्थ है कि किसी भी देश की 'औद्योगिक क्षमता' की जिम्मेदारी उद्योगपतियों पर निर्भर होती है। इस दृष्टि से यदि इस कस्टी पर भारतीय श्रमिकों की तुलना अन्य देशों के श्रमिकों के साथ कार्यक्षमता में की जाय तो यह स्पष्ट है कि भारतीय श्रमिकों की काम करने की परिस्थिति तथा उसको दी जाने वाली सुविधायें अन्य देशों की तुलना में नहीं के बराबर हैं, अतः श्रमिकों की अक्षमता उनका वैयक्तिक दोष न होते हुए उस परिस्थिति का दोष है जिसमें भारतीय श्रमिक रहता है एवं जिस परिस्थिति में उसे काम करना पड़ता है।

(VIII) भाग्यवादिता—भारतवासी (विशेषतः यहाँ वा श्रमिक वर्ग) बड़े भाग्यवादी हैं। अपने जीवन के सुख-दुःख को वे भाग्य की देन समझते हैं। "हुई है सोई जो राम रचि राखा" में उनका इतना विश्वास है कि वे अपनी उन्नति के लिए पूर्यार्थ करने को प्रपलशील भी नहीं होते। भाग्य में होणा तो गिर जायगा, ऐसा सोचकर वे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं।

### भारतीय श्रमिकों को कुशलता (Efficiency of Industrial Labour)

यथा भारतीय श्रमिक वास्तव में अकुशल है?—भारतीय श्रमिकों को कुशलता उनकी लोकप्रिय विशेषता है। साधारणतः यहीं वहा जाता है कि भारतीय श्रमिक अदक एवं अकुशल हैं। औद्योगिक कर्मीशान के सम्पुख सर एलेक्जेन्डर मैकरार्ड (Sir Alexander Mac Robert) ने अपनी साक्षी में यह वहा कि एक अंग्रेज श्रमिक भारतीय श्रमिक से चौंता कुशल होता है। सर क्लेमेंट सिम्पसन (Sir Clement Simpson) के अनुसार लड्डाकाश्यर की मूर्ती मिल का एक श्रमिक भारतीय मूर्ती कपड़े वी मिल में काम करने वाले २-६७ श्रमिकों की योग्यता के बराबर है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय थम कार्यालय की ओर से की गई जांच इस धारणा को गलत सिद्ध कर देती है। इस जांच से यह प्रकट है कि योरोप की तुलना में हमारे श्रमिकों की अक्षमता निर्विवाद सत्य नहीं है। कुछ उद्योगों में तो वह अन्य देशों के श्रमिकों के बराबर कुशल है। अन्य उद्योगों में भी वह पूरी सरह अक्षम नहीं वहा जा सकता। यदि योरोपीय श्रमिक भारतीय श्रमिकों की अपेक्षा प्रधिक उत्पादन करते हैं तो वे प्रधिक शिक्षा प्राप्त भी होते हैं, उनको अधिक भूति एवं अन्य मुविधायें भी मिलती हैं। दूसरे शब्दों में, भारतीय श्रमिक यदि अदम हैं तो अपने दोष

के कारण नहीं, अपितु उन परिस्थितियों के कारण है जिनमें वह रह रहा है। अक्षयता के मुख्य कारण इस प्रकार हैः—

**भारतीय धर्म की अक्षयता के कारण एवं उन्हें दूर करने के उपाय**

(1) प्रवासी प्रवृत्ति—इस प्रवृत्ति के कारण अधिक फसल के समय तथा अन्य विशेष उत्सवों पर आपने शौच पालने-जाते रहते हैं, जिससे भारत में अभी उक्त स्वायी अधिक वर्ष का उदय नहीं हो पाया है। इनकी इस प्रवृत्ति का यह परिणाम होता है कि वे प्रायः कारबाहों से अनुग्रहित रहते हैं। इससे उत्पादन बड़ा अनिवार्य हो जाता है।

इस दोष को दूर करने एवं प्रौद्योगिक केन्द्रों में अभियों को स्थापी रूप से रहने वा प्रोत्साहन देने के लिए शहरी जीवन का सुधार कर इसे अधिक आकर्षक बनाना चाहिए।

(2) विज्ञा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव—सामान्य ज्ञान का स्तर हमारे अभियों से बहुत नीचा है। मातृ-पिता की अशिक्षा के कारण पर का धारावरण विकाश नहीं होता। इसके अतिरिक्त उत्पत्ति विज्ञा-आणांशी बहुत संकृति है। अभी प्रारंभिक विज्ञा वी सब अगह निश्चलक तथा अनिवार्य नहीं हुई है। विज्ञा न मिलते तो कठुर, अन्धविश्वासी, भाग्यवादी धौर साहस्रीन ही गये हैं। इन सब वार्ताओं से अधिक की अनुशृणुता बढ़ती है। सामान्य विज्ञा के अतिरिक्त हमारे धर्म-जीवियों के लिए विशेष प्रशिक्षण का गुणवत्ता भी नहीं मिलता। अन्य प्रतिशील दार्ढों में, जहाँ अभियों को पर्याप्त रूप से प्रतिक्लिण दिया जाता है, अभियों जटिल से जटिल भौतीन का प्रयोग सरलता से कर सकते हैं, किन्तु भारत में ऐसा नहीं है। हमारे अभियों को मधीनों का उपयोग जानते तथा अन्य देशों में होने वाली अभियों की गतिविधियों को समझने में अधिक शम्भ लगता है। उनकी इस भज्जाता के कारण उत्पादन-कारबाही पर जाती है।

अन्य प्रवृत्तिशील देशों की भौति भारत में भी प्रायः अधिक विज्ञा तो कम से कम अनिवार्य होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक विज्ञान संस्थायें खोलकर शैलिक प्रशिक्षण की सुविधाओं सुधार एवं मुलभ करनी चाहिए। सामान्य विज्ञा से अभियों का मानविक विकास होगा और प्रौद्योगिक विज्ञा से व्यावसायिक अज्ञानता दूर होकर वार्यक्षमता बढ़ेगी।

(3) निर्धनता और निम्न जीवनस्तर—भारतीय अधिक भी दरिद्रता सर्वविदित है। दरिद्रता के कारण उसे भर पेट भोजन एवं पर्याप्त वस्त्र उपलब्ध नहीं होते। ऐसी परिस्थितियों में दृष्टि, फल प्रादि नियुणतावर्द्धक वस्तुओं की वह कल्पना भी कैसे कर सकता है? परिणामस्वरूप कार्यक्षमता गिर जाती है।

अल्लु अभियों की निर्वनता को दूर करने लकड़ा जीवन-स्तर डंडा करने के उपाय सोचता चाहिए। कुटीर-उद्योगों की प्रशिक्षण से मह समस्या वाली सीमा तक हल्ले भी जा सकती है।

(४) अल्प वेतन—इसका भी भारतीय अमिकों की कुशलता पर बुरा प्रभाव हुआ है। दरिद्रता के बारण वे भली प्रकार अपना पेट भी नहीं भर सकते। परिस्थितिवश उनकी आप का बाफी भाग छुरणे चुकाने एवं नशा करने से निकल जाता है और जो शेष रहता है वह उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं होता। अपना स्वास्थ्य बड़ाना तो दूर रहा, पेट भरने वो पर्याप्त रोटी भी उन्हे नहीं मिल पाती। इस प्रकार कार्यक्षमता दिनो-दिन कम होती जाती है।

इस दोष को दूर करने के लिये अमिकों को कम से कम इतनी मजदूरी अवश्य दी जाय, जिससे कि वे अपना तथा अपने परिवार का उचित भरण-पोषण कर सकें।

(५) शारीरिक दुर्बलता—निर्धनता एवं अल्प वेतन के कारण अमिकों का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहता है। अधिक समय तक वे निरन्तर कठिन परिश्रम करने के लिए अपने को असमर्थ पाते हैं। एक बार रोगी होने पर वे अच्छी तरह अपना इलाज भी नहीं करा सकते। भारत के अनेक क्षेत्रों में मलेरिया आदि रोगों से अधिकांश अमिकों पीड़ित रहते हैं। इससे उनकी कार्यक्षमता गिरती है और उत्पादन को भी क्षति पहुँचती है। सन् १९५१ में बम्बई के एक बारखाने में हिंसाब लगा कर देखा गया था कि वहाँ २५·१% अमिकों को जुकाम तथा फैफड़े सम्बन्धी रोग, २६·०% अमिकों को दस्ता, पेविस व हैला आदि, ५·३% को गठिया या बात सम्बन्धी रोग, ०·५% वो मलेरिया, ७·८% को चोट (काम करते समय नहीं), ०·८% को दूत के तथा ३४·२% अमिकों को विविध प्रकार के रोग हुए। निम्नलिखित तालिका में हम कारखाने में इस प्रकार हुई समय की क्षति का अनुमान लगा सकते हैं। यही स्थिति प्रायः भारत के सभी कारखाने और उद्योग में है<sup>१</sup> :—

रोग	प्रत्येक रोग के बारण के समय विनाश का प्रतिशत	प्रत्येक रोग के कारण अनुपातिक दिनों की क्षति
(१) फैफड़ा सम्बन्धी रोग	४०·१	६·२
(२) पाचन सम्बन्धी रोग	२५·६	६·०
(३) मलेरिया	५·४	७·८
(४) मूत्र सम्बन्धी रोग	०·२	६·०
(५) दूत के रोग	१·१	११·७
(६) चोट (काम पर नहीं)	२·७	६·४
(७) विविध	२३·४	७·४

१. देसिये इण्डियन लेवर ईपर बुक (१९५१-५२), पृष्ठ २५४।

इसके अतिरिक्त गर्भ के स्वतन्त्र और स्वच्छ बातावरण से आकर नगरों की गन्धी व संकीर्ण गतियों में रहने, नगरों की विवित परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की नैतिक बुराइयों का आवेद होने, मरिया, जुआ और लप्टावार में फैल जाने तथा प्रब्लेम्सम्बन्धी विषयमालों के परिणामस्वरूप धर्मिकों की क्रियात्मक शक्तियों का पान ही जाता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के इस प्रकार नष्ट ही जाने से उनको वार्षिक सम्पत्ति पर बड़ा धानक प्रभाव पड़ता है।

इस दोष को दूर करने के लिए धर्मिक के लिए विकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध करना चाहिए और मनोरमज्जत के स्वस्य साधन उपलब्ध कर उनका मध्यपात्र एवं जुए का स्वतन्त्र हुड़ाना चाहिये।

(६) जलधारा—इसका भी कार्यक्षमता पर निर्णयात्मक प्रभाव पड़ता है। परिधियम के कार्य के लिए धीरोपण जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन हमारे देश की जलधारा गर्भ प्रदेश की है। गर्भों के मौसम में तिनमिलाती धूप से देर तक कड़ा परिश्रम करना सम्भव नहीं होता। बहुत तथा उराई प्रदेशों की जलवायु तो बड़ी खराब है।

विजितों के पहुँचे एवं नपीकरण यन्त्रों (Humidifiers) आदि कृतिम साधनों को सहायता से यह बढ़िनाई भी कुछ सोमा तक दूर को जा सकती है।

(७) स्वतन्त्रता और आत्मा का प्रभाव—इसका भी धर्मिकों की कार्यक्षमता एक विशेष प्रभाव पड़ता है। कड़े निरीक्षण और आत्मा के प्रभाव में धर्मिक की कार्यक्षमता में बही होना स्वाभाविक है।

इस दोष के निवारण के लिए प्रेरणात्मक भूतियद्वारा (Progressive Wage System) का अनुकरण करना चाहिये।

(८) व्यवस्थाएँ—शर्षाशम्भी डालिम के अनुसार भारतीय धर्मिक जगत में ही जन्मता है, जहाँ में ही उनका पालन-नोरण होता है और जहाँ में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जहाँ प्रगति में व्याधक होने हैं।

परसु, धर्मिकों को शीघ्र से शीघ्र जहाँ मुक्त किया जाय और सहायी आन्दोलन द्वारा उन्हें मित्रव्यवहार का पाठ पढ़ाया जाय।

(९) लाज के दोष घट्टे—यद्यपि कारखाना अधिनियम द्वारा काप के घट्टे का अधिकतम नियन्त्रण कर दिया गया है, किन्तु भारत की गर्भ जलवायु को देखते हुए वे इद भी अधिक हैं। वर्तमान समय में सदा चलने वाले कारखानों में ४४ घट्टों का सप्ताह और मौसमी कारखानों में ५४ घट्टों का एक सप्ताह होता है, लेकिन वह अधिकारियम यदेक टॉटे कारखानों में लागू नहीं होता। असेंगठित उच्चों, बुटीर उद्योगों द्वारा कृप्ति में धर्मिकों के काम करने के घट्टे दोष, अग्नियमित तथा शारीक की इच्छा

पर निर्भर करते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय धर्मिकों की कार्यक्षमता कम होना स्वाभाविक है।

अतः उचित समियम द्वारा इस दोष का निवारण किया जाय।

(१०) काम करने की दशाएँ—भारतीय कारखानों की दशायें, जहाँ हमारे श्रमजीवी कार्य करते हैं, सन्तोषजनक नहीं हैं।

कार्य-कुशलता को स्थिर रखने के लिये स्वच्छ जल, वायु, विश्वास आदि की पूर्ण व्यवस्था होना आवश्यक है।

(११) भरती की दोषपूर्ण पढ़ति—इसके कारण भी श्रमिकों की कार्यक्षमता गिरी हुई है। श्रमिकों की भरती जाँचर करते हैं, जो प्रत्येक भरती होने वाले से दस्तूरी लेते हैं। श्रमिकों वी नियुक्ति, उच्चति एवं एक विभाग से दूसरे विभाग वो स्पानान्तर सब कुछ इम जाँचर पर ही निर्भर है, अतः श्रमजीवियों को नाना प्रकार से उनकी सेवा-शुश्रूपा करने रहता पड़ता है। जाँचरों की आय नई नियुक्तियों पर ही निर्भर होती है, अतः वे तरह-तरह के बहाने बना कर पुरानों को निहालते और नयों को भरती करने रहते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि श्रमिक की कार्यक्षमता कम हो जाती है और उद्योग वा उत्पादन व्यथ बढ़ जाता है।

इस दोष को दूर करने के लिए जाँचर पढ़ति का अन्त करके श्रमिकों की भर्ती वैज्ञानिक आधार पर करनी चाहिये।

(१२) दोषपूर्ण प्रबन्ध—बहुत सीमा तक यह भी श्रमिकों की अक्षमता के लिए उत्तरदायी है। प्रबन्धकों का दुर्व्यवहार, काम का दोषपूर्ण विभाजन, घिसी हुई धन्त्र सामग्री आदि ऐसे दोष हैं, जिनमें कार्य में जी नहीं लगता।

अतः भारतीय श्रमिकों को कार्य-कुलता बढ़ाने के लिए उत्तम मत्तों और दृच्छे माल का प्रयोग आवश्यक है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि कुशल प्रबन्ध के निरोक्षण में उनमें कार्य लिपा जाय।

### भारतीय श्रीद्वयिक श्रमिकों की गृह-समस्या

भोजन और वस्त्र के उपरान्त 'मकान' मनुष्य की तृतीय प्रमुख आवश्यकता है। यो तो हमारो ये तीनो ही समस्यायें गम्भीर हैं, किन्तु मकानों की समस्या, मूल्यतः श्रीद्वयिक नगरों में, बड़ा विकराल रूप धारण करती जा रही है। नगरों की बढ़ती हुई जन-मौज्जा तथा गृह-निवासों की मन्द गति इसके लिए विद्येय रूप से उत्तरदायी है। प्रत्येक वडे श्रीद्वयिक नगर में एक इंच भी भूमि कही खाली नहीं और आवादी बहुत धनों है। नगर निवायियों में कारखानों में काम करने वाला श्रमिक वर्ग सबसे बुरे मकानों में रहता है। धनेक नगरों में तो उनके निवास स्थानों को 'मकान' की संज्ञा देना ही सज्जा की बात है। उन्हे मानव के योग्य नहीं कहा जा सकता। कानपुर में भारत के प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने २ अक्टूबर सद् १९५२ को

श्रमिकों के निवास स्थान का निरोक्षण करते हुए उन्हें 'नरक-बुन्ड' वह ढाला। पंडित नेहरू ने कहा कि भारतीय श्रमिकों की निवास समस्या बहुत ही जटिल है और उनके रहने के स्थान मंती-कुदली गती (Slums) से अच्छे नहीं कहे जा सकते। अब औद्योगिक बेन्द्रो में भी उनकी गंदी वसितायाँ होती हैं, जहाँ चफाई का नाम नहीं, कौठों में सूर्य का प्रशांत नहीं पहुंचता, फर्श में नगी रहती है, रोधनदान का पता नहीं तथा स्वच्छ वायु आ ही नहीं भारती। अधिकार्य श्रमिक ऐसे गन्दे बाहावरण में जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे मकानों में रहने वाले श्रमिकों से दार्यजमता भी कैसे आशा की जा सकती है? ऐसे स्थानों को बम्बई में चॉल (Chawl), मद्रास में चेरी (Cherry), कलकत्ता में बस्ती (Basti) तथा कानपुर में अहाता (Ahata) कहते हैं। अब हम श्रमजीव समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत के प्रमुख औद्योगिक नगरों की औद्योगिक वसितायों का संक्षिप्त परिचय देंगे।

बम्बई ने श्रमिकों की चॉले (Chawls) अत्यन्त ही अस्वास्थ्यकर है, जहाँ एक ही कमरे में ६-७ धमजीबी रहते हैं। उन्हें न तो कोटुभिक बातावरण ही मिलता है और न स्वच्छ वायु तथा प्रकाश ही। श्री हर्स्ट (Hurst) ने इस प्रकार मजदूरों के बसाने की गोदाम में माल भरने के समान बताया है। बम्बई में ७०% से अधिक श्रमिक एक कमरे वाले मकान में रहते हैं, जबकि लद्दन के बेडल ६% श्रमिक १ कमरे वाले मकान में निवास करते हैं। बम्बई के श्रमिकों ने मकानों को पुनः किराये पर देने वी प्रधा है, जिससे उनी आवादी को समस्या और भी बढ़ जाती है। किराये में बढ़त करने के विचार से ४ या ६ श्रमिक एक कोठरी किराये पर ले लेते हैं। उसी के भव्य चारों कोनों में खाना पकाया जाता है। श्री शिवाराव ने लिखा है कि जब बम्बई में मजदूरों की बस्ती में एक लेहो डाक्टर मरीज देखने गई तो उसने देखा कि एक कमरे में ४ गृहस्थियाँ रहती थीं, जिनके सदस्यों की संख्या २४ थी। चारों कोनों में चूल्हे बने हुए थे, सारा कमरा धुयें से काला हो रहा था। बम्बई के औद्योगिक धर्मजीवियों के रहने की दशा के सम्बन्ध में श्रीयुत हर्स्ट का निम्न वर्णन बड़ा हृदय-स्त्रियों है—“रहने की दशाये यहाँ सबसे खराब हैं। एक सकरी गती में, जिसमें कि दो व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते, (लेखक के) पुस्तकों के पश्चात् इतना अन्वेषा था कि हाथ से दर्ढोलने पर कमरे का दरवाजा मिला। उस कमरे में सूर्य का लेघासाक भी प्रकाश न था। ऐसी दशा दिन के १२ बजे थी। एक दियासलाई उसने बै पश्चात् जात हुमा नि ऐसे कमरे में भी अनेक श्रमिक रहते हैं।” धर्म के शाही कमीशन ने तो बम्बई की जातों के सम्बन्ध से बहुत लड़ लिखा है कि इनकी सूखावश्यकता लोड़ने के अतिरिक्त इनमे सुधार के लिए लेखासाक भी गुन्जायदा नहीं है।

अहमदाबाद के धर्म-निवास स्थान भी अधिक सतोषजनक नहीं बहे जा सकते। यहाँ की नगरपालिका ने हरिजनों देश धर्म श्रमिकों के लिए कुछ मकानों वा निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद मिलत हाउसिंग बम्पनी एवं सूती बस्त मिल श्रमजंघ की ओर से भी अच्छी बवास्या की गई है। धर्म-संघ द्वारा निर्मित बौली

में रहने वाले श्रमजीवियों में १०) मासिक किराया लिया जाता है और २० वर्ष के उपरान्त जिस मकान में वे रहते हैं वह उनका हो जाता है। प्रत्येक मकान में दो कमरे एक रसोईघर तथा एक बरामदा है। अहमदाबाद में श्रमिकों की गृहनिर्माण सहकारी समितियाँ भी हैं।

कलकत्ते की दशा भी बम्बई से अच्छी नहीं है। यहाँ बम्बई की अपेक्षा कम दाम पर भूमि मिल जाती है। यहाँ मजदूरों के घर खोपडियों की कतारें हैं, जिन्हें 'बस्टी' कहा जाता है। ये खोपड़े मिल-मार्गिको द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बरन् सीरदार (Sirdar) एवं कुछ मकान मालिकों ने बनवाए हैं। कलकत्ता नगर निवास की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि इन खोपडियों का निर्माण बिना किसी योजना के हुआ है। प्रायः सभी निवास-स्थान बच्चे हैं और थी कैसे (Casey) के शब्दों में "कोई भी मानव वहाँ रहना पसन्द न करेगा।" चारों ओर गन्दगी का साम्राज्य है। मलेरिया और तपेंद्रिक का काफी और रहता है। घरों में न नल है न सप्टास। पूरे मुहल्ले के लिए एक या दो नल तथा एक सण्डास होगा, जिस पर विचारे श्रमजीवी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। छोटी-छोटी बातों पर जैसे—पानी के लिए, नित्य भगड़े-कसाद होते, रहते हैं। सड़कें और गलियाँ खराब, गम्भी, पतली तथा प्रकाशहीन हैं, जिन पर रात्रि में चलना खतरनाक है। गत कुछ वर्षों में सर्वश्री विड्ला जी के सद्यप्रयत्नों के परिणामस्वरूप जूट मिल कर्मचारियों के लिये अच्छे घरों को व्यवस्था की गई है, जिनमें लगभग ५०% जूट-मिल-श्रमिक रहते हैं, किन्तु ये 'बस्टियों' में ही निवास करते हैं, जिनको दशा अत्यन्त दयनीय है।

कानपुर उत्तरी भारत का 'मैनचेस्टर' कहाता है, भत्तेंद्र यहाँ श्रमिकों के निवास के लिए समुचित व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। यद्यपि कानपुर में नगर-पालिका, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट एवं कुछ सेवायोजकों ने श्रमिकों के निवास के लिए आदर्श व्यवस्था की है, किन्तु फिर भी आज यहाँ 'आहते' तथा 'बस्टियाँ' हृष्टिगोचर होती हैं, जिनको दशा अत्यन्त दोचनोय है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से गृह समस्या के निवारणार्थ यहाँ कुछ भी नहीं किया है। हाँ, सन् १९३३-४४ में राज्य सरकार ने २,४०० परिवारों के लिए बवार्टर बनवाने के हेतु इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट को २०३ लाख रुपये का ऋण दिया। तब मे प्रति वर्ष यह संस्था कुछ न कुछ मकान बनवाती रही है, जिनका किराया ५) प्रति माह है। सन् १९३८ की कानपुर थम जांच समिति की रिपोर्ट में पता चलता है, कि यहाँ मेवायोजकों की ओर से केवल ३,००० मकान बनाए गए, जिनमें १०,००० थमिक रहते हैं। सन् १९३८ से सन् १९४३ तक स्थिति में कोई विशेष वर्तन नहीं हुआ है। सन् १९४३ में यहाँ थमिकों की संख्या १,०३,००० थी। इसमें से केवल १०% श्रमजीवियों के रहने के लिये सेवायोजकों ने व्यवस्था की। यहाँ के सेवायोजकों में से विटिला इंडिया कॉर्पोरेशन का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिसने मैक रोहर्टगन्ज तथा भत्तनगर्ज में १,६६० थम-बवार्टर्स बनवाए। इन बवार्टरों में जल, प्रकाश, स्वच्छ वायु आदि की तो सुधारवस्था

है ही, इसके अतिरिक्त प्रत्येक कॉलोनी के लिये एक शिक्षण संस्था एवं डिपैन्सरी भी है। सर्व भ्रा बैग सूबरलैण्ड एण्ड कम्पनी लि० के प्रबन्ध के अन्तर्गत एलगिन मिल्स ने भी अपने अमज्जीवियों के लिये सुन्दर मकानों का निर्माण करवाया है। एलगिन मिल्स के ब्यार्टरो में अन्य सुविधाओं के साथ-साथ बिजली की सेवानी का भी प्रबन्ध है। इसी प्रकार सर्वश्री जुगीमल कम्लापति की ओट से भी उनके अभिको के निवास के लिए एक पृथक कॉलोनी वा निर्माण किया गया है, जिसमें प्रायः सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। कानपुर की नगरपालिका ने भी निम्न कोटि के अभिको के लिये (जैसे भ्रा एवं पार्क तथा सार्वजनिक उद्यानों में काम करने वाले कर्मचारी) निवासी की अच्छी व्यवस्था की है।

इतना होते हुए भी कानपुर को अम-वस्तियों एवं अहातों में सहजे अभिक रहती है। अभ के शाही कमीशन ने अहातों का वर्णन इस प्रकार दिया है—“प्रायः प्रत्येक मकान एक-एक कमरे का है, जिनकी लम्बाई-बैठाई ८ फीट  $\times$  १० फीट है। किसी भी कमरे के आगे बरामदा नहीं है, और प्रत्येक कमरे में ३-४ परिवार रहते हैं। कर्फ़ कच्चा है तथा नभी रहती है। कही भी स्वच्छ वायु, प्रवाय आदि वा प्रवर्ष नहीं है।” पिछले नेहव ने तो इन अहातों को ‘नरक कुण्ड’ की सेजा दी है।

हाटानगर में सर्वश्री टाटा की ओर में लोहे एवं इस्पात उद्योगों में काम करने वाले अमज्जीवियों के लिये लगभग ८,५०० मकान बनवाये गये हैं। प्रत्येक मकान में दो कमरे, एक रसोईघर तथा एक बरामदा है। इसके अतिरिक्त हाटानगर एवं पश्च-सन्दाम भी हैं। सभी मकान बड़े हैं तथा कुछ में बिजली के पंखे भी हैं। यह सब व्यवस्था दक्ष कारोगरों के लिये है, अकुशल अमज्जीवियों के निवास-स्थान बड़े गन्दे एवं असन्तोषजनक हैं।

भद्रास में भी अभिको के निवास स्थान बड़े असन्तोषजनक हैं। कुछ मिल मालिकों ने अभिको के लिये स्वार्टर बनवाये हैं, परन्तु उनमें अनेक अभिक रहता पसन्द नहीं करते, क्योंकि उनके विहङ्ग खुकिया जाऊँ होती रहती है और यदि वे कभी हृद्गत में भाग लें तो क्वार्टर से निकात दिये जायेंगे। ऐसे बातावरण में वे रहता पसन्द नहीं करते।

शोलायुर में अभिकों की गृह-व्यवस्था सन्तोषजनक है। इसी प्रकार भद्रास में भी अभिकों के लिये सुन्दर मकान देने हैं, जिनमें प्रायः सभी बहुमान सुविधायें उपलब्ध हैं। नागपुर की एम्ब्रेस मिल तथा बंगलौर की सूली, उनीं तथा रेशमी बस्ति तिल के अमज्जीवियों के लिये बड़ी गुन्दर गृह-व्यवस्था है। रानीगंड तथा भरिया की बौथले की खानों में काम करने वाले अभिको के लिए जो मकान बनवाये गये हैं वे Miles Board of Health के आदेशानुसार बनवाये गये हैं, अतः मन्तोपञ्चक कहे जा सकते हैं। आसाम के चाय के बगीचों में काम करने वाले अभिको की गृह-दशा अत्यन्त सकते हैं। आसाम के चाय के बगीचों में काम करने वाले अभिको की गृह-दशा अत्यन्त शोकनीय है। वहाँ वही भी स्वच्छता नहीं तथा मतेरिया वा बड़ा बोलबाला है।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि किंचित् क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी नगरों में श्रीयोगिक श्रमिकों की गृह-समस्या अत्यन्त जटिल है। श्रमिकों के निवास स्थानों को देखकर कभी-कभी मतानी (Masani) के शब्द स्मरण हो आने हैं—“दिवद की रथना ईश्वर ने की है, नगरों की मानव ने और श्रम-वस्तियों की जीतान ने।”

बुरो गृह-व्यवस्था के बुधपरिणाम—प्रच्छे घरों का अर्थ है गृह-जीवन की सम्भावना, सुख और स्वास्थ्य तथा दुरे घरों का अर्थ है, गन्दगी, शराबकोरी, बीमारी, आचारहीनता, व्यासिचार और अपराध। इनके लिए भ्रस्ताल, जेल और पालताहानों की आवश्यकता होती है, जहाँ समाज के भ्रष्ट एवं पतित लोगों दो दिपाया जाता है, जो स्वयं समाज की लापरवाही के ही परिणाम हैं। अनुपमुक्त एवं सुविधाहीन घरों के बारण श्रमिकों का धरेलू जीवन नीरस एवं आनन्दरहित हो जाता है। गन्दगी के कारण मलेरिया और तपेंद्रिक जैसी मधानक बीमारियों का जोर रहता है, श्रमिकों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उनके मस्तिष्क संकुचित हो जाने हैं तथा मानसिक विकास का कोई अवसर नहीं रहता। अपूर्ण और गन्दे मधान श्रीयोगिक अशान्ति के भी बारण हैं। एक सबमें दबी दुराई ध्रुविक संस्था में शिशु-मृत्यु है, जो वम्बई की गम्भी वस्तियों में पाई जाती है। मृत्यु संस्था निवास के कमरों के विपरीत अनुपात में है। उदाहरण के लिए सन् १९३६ में एक क्मरे वाले निवास-स्थानों में मृत्यु संस्था ७८.३% थी। सबमें गन्दे स्थानों में मृत्यु दर २६८ प्रति हजार थी, जबकि साधारण दर २०० से २५० प्रति हजार ही थी। भन्त में चॉल के जीवन की भयंकर दशायें तथा गोपनीयता के अभाव के कारण लोग अपने कुटुम्ब को नहीं ला पाते, जिससे श्रम की स्थिरता तथा कार्यकामता पर युप्रभाव पड़ता है। एकाही जीवन व्यतीत होने के कारण उनमें वैश्याग्रमन जैसी दुरी आदतें नैदा हो जाती हैं। जो श्रेष्ठ परिवार सहित रहते हैं वे भी एक कमरे ही के कारण गोपनीयता नहीं रख सकते। एक ही कमरे में पुस्तक-स्त्री के साथ रहने के कारण सबम से जीवन व्यतीत नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियों में महिला श्रमिकों के नैतिक पतन की बड़ी आशका रहती है। डा० राधाकमल मुकर्जी के शब्दों में, “भारतीय श्रीयोगिक वेन्ट्रों की श्रम वस्तियों की दशा इन्हों भयंकर है कि वहाँ मानवता का विवर स होना है, महिलाओं के सतीत्व का नाम होता है एवं देश के नाबी आधार-स्तरम्—शिशुओं का गला घुट जाता है।” अतः श्रम जांच समिति ने सिकारिया की है कि शिशा और श्रीयोगिक सम्बन्धी सहायता की भाँति सरकार को श्रीयोगिक आवास वा भी उत्तरदायित्व सभालना चाहिये।

### गृह समस्या को हल करने के लिए किये गये प्रयत्न

(१) मुधार प्रग्न्यासों व पोर्ट ट्रूस्टों के प्रयत्न—यद्यपि भारत में ‘घर’ सम्बन्धी सुविधायें न्यून हैं और इस सम्बन्ध में दशा बड़ी शोचनीय है, किन्तु ऐसी भी समस्यायें तथा सेवायोजन हैं, जिन्होंने बड़ी मुन्द्र व्यवस्थायें बी हैं। वम्बई में गृह समस्या के निवारणार्थ ‘सुधार प्रग्न्यास’ (Improvement Trust) की स्थापना हुई। इसका काम नई गलियों वा निर्माण, घने क्षेत्रों का विस्तार, समुद्र से भूमि को निकालना,

निरसे प्रचार तर्फ मे सुविदा हो तथा गर्याओं के लिये स्वच्छ मकानों का निर्माण करना था, जिन्हे ट्रस्ट की सीमित शक्ति, नगरनिगम के सहयोग वा कोई उधा मूलिकतियों के विरोध के लागे इने कुछ विदेष संज्ञाना नहीं निलो। फिर भी ट्रस्ट ने कुछ सीना तक प्रशंसनीय कार्य किया। सद १९२० तक नगरपालिका ने भी इन्हे कर्मचारियों के लिये ३,६०० मकान बनवाये तथा २,२०० के लिये स्थीरता दी। पोर्ट ट्रस्ट ने ५,००० व्यक्तियों के लिए मकान बनवाये। इधर नगर की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, जिन्हे सेवायोजनाओं ने प्राप्त अधिकारियों के रहने के लिये प्रयास नहीं किया। सद १९१४-१५ के मुद्रे के उत्तरान्त बम्बई सरकार द्वाया इच्छ समस्या को नुस्खाने के लिए नुविम्बूत योजना तैयार की गई। इसके लिये ६ करोड़ रुपए के वित्त शुरू क्या बम्बई माने वाली सभी व्यापार पर १) प्रति गांड की दर से नगर वर सरकार आवश्यक धन एवं वित्त दिया गया, जिन्हे इस प्रकार निमित चालें (मुख्यतः 'बोरली' की चालें) दस वर्ष तक साली पही रही। इनमें रहने के लिए अधिकारियों के आविष्टि न होने के लिये जारी किया गया—दहाँ तक घुंघने की विठ्ठाई, बाजार सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव, उनका सीमेंट से बना होना—जिसके कारण वे गर्भी में अविक गर्भ तथा जाडे में भरफन्त हुई रहती हैं, जिसके बीची दर तथा प्रकाश सम्बन्धी व्यवस्था और उत्तिष्ठ सुरक्षा का अभाव। इन दोषों को दूर बरने के लिए कुछ प्रयास किए गये हैं। नगर निगम तथा पोर्ट ट्रस्ट भी इनकी विकास योजनामें कार्यान्वयन करने में प्रयत्नरहीं हैं। मई सद १९४७ में बम्बई सरकार ने बोरली पर नवन निर्माण योजना आरम्भ की, जिसमें काम करने वाले एक व्यक्ति दोषा परिवार दोनों के रहने के लिये मकान बनवाए गये हैं। प्रब्र बम्बई में एक क्षेत्रे वाले मकान न रहेंगे।

(२) नित-भातिकों द्वारा किए गए प्रयत्न—जहाँ तक नित-भातिकों वा प्रसन है, कुछ योजनाएँ जैकब सौंठन दिते हैं, प्रमाणे अधिकारियों के लिए मकान देने की व्यवस्था की है। उचित दर पर बाजारानों के सभीप स्थान नितने की विठ्ठाई, इप बात की सुरक्षा का अभाव कि मकान नितने पर अधिक मकान देने वाली नित में ही काम करें तथा स्वयं कर्मचारियों की उन मकानों में रहने की अनिष्ट्या—इन सब कारणों से बाजार के प्रसार में काढ़ी शिपियां आ गई हैं। कर्मचारी इतने ही कि उनकी स्वतन्त्रता में बाधा पड़ने तथा हड़ताल के समर वे निवाल दिये जायें। वे स्वतन्त्र और अनुग्रहन के नितनों को भी प्रत्यन नहीं दरते, जोकि वे उनका महत ही नहीं समझते। बाजार, नागार, खालियर, अट्टनदाराद, मद्रास आदि नगरों में नित-भातिकों वे अधिकारियों के हितों पर अविक घ्यान दिया है। इच्छुक्षम में एन्ट्रेस फिल्स, बाग्युर, जीवांगोरव बॉटन फिल्स खालियर तथा दादा के - अन्यान्य तोहे और इस्मात के बाजारानों के प्रबन्धकों द्वारा किये गये आशाड हम्बन्धी दूसरे प्रदूसनीय हैं। दक्षिण भारत में सहकारी-गृहनिर्माण उपयोगों ने भी इस दिशा में सहहाय अपास दिया।

(३) औद्योगिक श्रमिकों के आवास के लिए राजकीय प्रयत्न—बहुत अधिक समय तक भारत सरकार ने गृह-समस्या की ओर लेशमान भी ध्यान नहीं दिया। परन्तु स्वतन्त्रता के उपरान्त, राष्ट्रीय सरकार के लिए अधिक समय तक मौन रखना सम्भव न था। सदू १९४८ की औद्योगिक नीति सम्बन्धी घोषणा में, औद्योगिक श्रमिकों के लिये गृह-निर्माण पर प्रबन्ध बार बल दिया गया। अप्रैल सदू १९४८ में सरकार ने यह घोषित किया कि वह ३०० करोड़ रुपये की लागत पर अगले १० वर्षों में १० लाख घर बनवायेगी जिनका वितरण इस प्रकार होगा—कारखानों के लिए ७२ लाख, वागानों के लिए २ लाख और जहाजी कर्मचारियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ३ लाख। यद्यपि राज्य सरकारों ने इस योजना का स्वागत किया, परन्तु धनाभाव के कारण कोई प्रगति न हो सकी। सदू १९४९ में एक नई योजना—औद्योगिक आवास योजना—घोषित की गई, जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को अरुण दिए गये।

### पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत गृह-निर्माण को प्रगति

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक राष्ट्रीय आवास कार्पेक्टम के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं के सुगठन का प्रयास किया गया। दो नगर आवास योजनाएं 'आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना' (Subsidised Industrial Housing Scheme) और 'कम आय वाले वर्ग के आवास की योजना' (Low Income Group Housing Scheme)—१,२०,००० आवास इकाइयों के निर्माणार्थ ३८५ करोड़ रु० के व्यय से आरम्भ की गई। इसके साथ-साथ जनसह्य के विशेष वर्गों जैसे विद्यापित व्यक्तियों एवं सरकारी नौकरों के लिये गृह योजनाओं पर भी काम जारी रहा। यह अनुमान लगाया गया है कि सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा पहली योजना अवधि से ७,४२,००० घर बनाए गये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में १२६ करोड़ रु० विभिन्न गृह-योजनाओं के लिए स्वीकार किये गये थे। योजना को सदू १९५८ में संशोधित करने पर यह आयोजन घटाकर ८४ करोड़ रहने दिया गया। किन्तु यह घटोत्तरी वास्तविक व्यय की सीमा को लापू होनी थी, अधिकतम सीमा को नहीं।

(१) आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना—राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से परामर्श लेने के बाद भारत सरकार ने सदू १९५२ में 'आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना' को अन्तिम रूप दिया।

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार आरम्भ में राज्य सरकार को सम्मुख सामग्र देगी, जिसका ५० प्रतिशत आर्थिक सहायता के रूप में होगा तथा शेष ५०% इस के रूप में होगा, जिसे २५ वर्ष में वापिस करना होगा। श्रमिक के आवास की स्वैक्षण योजनाओं के नियोक्ताओं को लागत का २५% आर्थिक सहायता तथा ३७½%

क्रहण के रूप में देने की व्यवस्था है। यह योजना सर्वप्रथम आर्थिक श्रमिकों के लिये स्वीकृत हुई थी, जिन्होंने अब सन् १९५२ के खाल अधिनियम के अनुमार कोयला तथा अन्यका खानों के श्रमिकों द्वारा कुदरत के अन्य स्थान मजदूरों के लिए भी लागू होती है। इस योजना के अन्तर्गत क्रहण तथा अनुदान केन्द्रीय सरकार के हारा, राज्य सरकारों, वैधानिक गृह बोर्ड, आर्थिक नियोक्ताओं तथा रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं द्वारा दिये जाने हैं। अक्टूबर सन् १९६० के अन्त तक राज्य सरकारों, कारखाना मालिकों तथा मजदूरों की सहकारी संस्थाओं द्वारा क्रहण के रूप २२०६५ करोड़ रुपये तथा सहायता के रूप में २००८३ करोड़ रुपये दिये गये और १,३६,४६६ मकानों के लिये स्वीकृति दी गई। दिसंबर सन् १९६० के अन्त तक ६८,००० मकान बनाये जा चुके थे।

(२) कम आय वाले दार्द के लिए गृह योजना—सन् १९५४ में कम आय वालों के लिए सरकारी आर्थिक व्यवस्था दी गई। इस व्यवस्था के अन्तर्गत लोगों को एक लम्बी अवधि के लिए दहुत दम व्याज पर क्रहण देने का प्रवन्ध किया गया। देवल चाही लोगों को इस योजना के अन्तर्गत क्रहण मिल सकता है जिनकी वार्षिक आय ६,०००) से अधिक न हो। इस योजना द्वारा कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को दीर्घकालीन व्याज रहित क्रहण देती है। अधिक से अधिक ५ वर्ष की अवधि के अल्पकालीन क्रहण भी केन्द्रीय सरकार हारा राज्य सरकारों को भूमि का अधिग्रहण एवं विकास करने तथा इसके बाद उसको प्राप्ती के रूप में अन्तर्भुक्त आधार पर आय वाले व्यक्तियों को देचने के लिये उपलब्ध करती है। ३१ मार्च सन् १९६१ तक राज्य सरकारों ने इस योजना के अन्तर्गत ४२,७६ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार से लिया। इस अवधि में ८२,८४८ घर बनाने के लिये स्वीकृति दी गई, ५०,६५६ घर बनाकर रही हो गये तथा २०,०६४ घर बनाने की प्रगति में थे।

(३) बागान मजदूर आवास योजना—सन् १९५१ के 'बागान मजदूर अधिनियम' ने प्रत्येक बागान-मालिक के लिये अपने श्रमिकों के आवास हेतु व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। अप्रैल सन् १९५६ में एक योजना भी उनसी सहायता के लिये (विदेशी, द्वाटे बागान मालिकों के लिए) बनाई गई। इस योजना के अन्तर्गत बागान मालिकों को राज्य सरकारों के माध्यम से मकानों को लागत के ८०% तक व्याज मुक्त क्रहणों के रूप में अर्थिक सहायता देना तय हुआ। सन् १९६० के अन्त तक राज्य सरकारों ने ६८३ घरों के निर्माण के लिए १२,५७ लाख रु० स्वीकार दिये। इनमें से २८८ घर बन गये हैं।

क्रहणों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रतिशूलि देने में असमर्पि होने के कारण बागान मालिक योजना का लाभ उठाने में कठिनाइयाँ अनुभव वर रहे हैं। अतः प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक पूल गारंटी फंड की स्थापना करने, के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखे गए हैं। 'पूल गारंटी फंड' (Pool Guarantee Fund)

का उद्देश्य राज्य सरकारों को बुरे झुण्डों के कारण (जो कि प्रतिभूति सम्बन्धी नियम ढीला करने के फलस्वरूप हड्ड जायें) होने वाली हानि से बचाना है। यह फ़न्ड उस धन से बनाया जायेगा जो कि झुण्डों पर  $\frac{1}{4}\%$  वार्षिक व्याज अधिक लगाकर प्राप्त होगा। यदि फ़ण्ड की सीमा से अधिक हानि हो, तो वह भारत सरकार, राज्य सरकार एवं कमोडिटी के बोर्ड के बीच बराबर-बराबर बैंट जायेगी।

(४) गन्दी बस्तियों के सुधार की योजना—गन्दी बस्तियों के सुधार की योजना (Slum Clearance Scheme) मई सदृ १९५६ में अमल में लाई गई। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को एवं इनके द्वारा घुनिस्पत एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा गन्दी बस्तियों में रहने वाले परिवारों को पुनः आवास के लिए, जिनकी आय बन्धव व कसकता में २५० रु० प्रति माह एवं अन्य स्थानों में १७५ रु० प्रति माह से अधिक नहीं है, वित्तीय सहायता देने का प्रबन्ध है। अभी यह योजना मुख्यतः बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कानपुर और अहमदाबाद में, जहां कि गृह दशायें दुरी हैं और अविलम्ब सुधार चाहती हैं, सीमित है। यदि आवश्यकता हो, अन्य क्षेत्र भी केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, दिसम्बर सदृ १९६० तक राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई १७० योजनाओं पर स्वीकृति मिल चुकी थी, जिनके अन्तर्गत १६००७ करोड़ रु० के ब्यव से ४८,८४१ गृह-इकाइयों (Housing Units) बनाने का प्रस्ताव था। सदृ १९६० के अन्त तक १०,०६५ गृह-इकाइयों का निर्माण हो चुका था तथा ७,७०१ गृह-इकाइयों पर काम जारी था। ४,१२७ घर एवं १०५ दुकानें सदृ १९६० तक बन कर तैयार हो गईं।

अम बस्तियों में मकानों के निर्माणार्थ योजना टोली सदृ १९५८ के मुभाव—गन्दी बस्तियों में सुधार कर मकान बनाने के विषय में राष्ट्रीय विकास-परिषद की योजना समिति ने जो योजना टोली बनाई थी उसके मुभाव निम्न हैं:—

(१) गन्दी बस्तियों की सफाई के लिए सदसे प्रच्छा तरोका यही है कि इस काम के लिये कानून द्वारा निगम मण्डल बनाए जायें, जो स्वायत्त हों और जिनके ऊपर कार्यक्रमों को चलाने का उत्तरदायित्व हो। वे अपने क्षेत्रों में योजनाओं के लिए नीति निर्धारित करें।

(२) आपोजन में मकान बनाने के लिए जो राशि रखी गई है वह केन्द्रीय मकान निगम को दे दी जाय, जिसने वह उसे राज्यों के मकान निगमों में दाँट सुके। केन्द्रीय निगम, राष्ट्रीय भवन निर्माण और केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान-शाला से निवट भाष्पकर रखें।

(३) गन्दी बस्तियों की बाढ़ को रोकने के लिये गांवों से नगरों की ओर जाने की प्रवृत्ति को रोका जाय तथा केन्द्रीय सरकार नगर में नये उद्योग खोलने या किसी उद्योग को बढ़ाने को अनुमति दी जाय तभी दे, जब स्थानीय संस्थाएँ भी इसे स्वीकार कर लें।

(४) जहाँ आवादी बहुत घनी है, वहाँ अधिक योजनार दिए जायें। प्रत्येक नेशन में गन्दी वक्तियों वर्षे सफाई के लिए बहुत योजना बनाई जाय।

(५) मकानों के लिए न्यूनतम स्तर स्थापित किया जाय और एन्डी वक्तियों वे सभी मकानों को जांच की जाय।

(६) मकानों के निर्माण का व्यय कम होना चाहिए।

(७) ग्राम आवास योजना (Village Housing Projects Scheme)—  
यह योजना सन् १९५७ में प्रारम्भ की गई। इसके अन्तर्गत सामुदायिक विकास खण्डों ऐ लगभग ५,००० चुने हुए गाँवों में द्वितीय योजनाविधि के अन्दर हाउसिंग प्रोजेक्ट स्थापित करने थे। यह योजना सहायता-प्राप्त आत्म-सहायता के सिद्धान्त (Principle of aided self help) पर बनाई गई है। निर्माण लागत को तुम पा २,००० हॉ (दोतों में जो भी बम हो) की वित्तीय सहायता छहण के रूप में दी जाती है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित Rural Housing Cells द्वारा खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा टेक्नीकल सहायता निशुल्क देने की व्यवस्था है। Rural Housing Cells लगभग सभी राज्यों में (गुजरात व असम-काशीर की छोड़ कर) बन गये हैं। लगभग ३,७०० गाँव चुने ये, जिसमें से १,६०० गाँवों का सर्वे व योजनाकरण दिसम्बर भर १९६० तक पूर्ण हो गया है। राज्य सरकारों ने १५,२०० घरों के निर्माण के लिये २१८ लाख रु० के अधिक के छहण स्वीकृत किये हैं। इसमें से १२८ लाख रु० बास्तव में दिया जा चुका है, ३,००० घर बन कर तैयार हो गये हैं तथा ८,००० घर बनने की प्रयत्नी में हैं।

(८) भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना—प्रश्नवर सन् १९६६ में प्रचलित की गई यह योजना बड़े पैमाने पर भूमि का अधिग्रहण और विकास करके प्लाट बनाकर उचित कीमतों पर गृह-निर्माणार्थी वो (विशेषतः कम आय वाले वर्ग को) देखते में राज्य सरकारों को विशेष सुविधा हेतु उन्हे छहण देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के अन्य उद्देश्य भी है, जैसे भूमि के मूल्यों में स्थायित्व बनाना, नगर विकास का विवेकीकरण करना और आत्म-निर्भर मिथित उपनिवेशों को प्रोत्ताहव देना।

इस योजना के मत्तर्गत १५ करोड़ रु० वी सीमा तक सहायता का बापदा किया गया, जबकि वास्तविक आम द्वितीय योजना अवधि में २०६० करोड़ हॉ तक सीमित रहा गया। इसमें से राज्य सरकारीं ने ३८ लाख रु० सन् १९६८-६९ में तथा १०८३ करोड़ रु० १९६०-६१ में लिया है।

मध्यवर्गीय जनता के लिए आवास योजना बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत ६,००१ से १२००० हॉ तक आर्थिक आप वाले व्यक्तियों वो या उनको सहकारी समितियों को गृह निर्माण सम्बन्धी अद्दण दिए जाते हैं। जब वीमा विषय ने इस उद्देश्य के लिये १० करोड़ रु० दिए हैं। दिसम्बर सन् १९६० तक ३,५८६ घरों के

निर्माण हेतु ४०८७ करोड़ रु० की सीमा तक ऋण-सहायता स्वीकृत की गई। वास्तविक ऋण २४३ करोड़ रु० दिया गया। ४७७ मकान बन कर तैयार हुये।

राज्य सरकारों द्वाया अपने कर्मचारियों को पर्याप्त आवास सुविधा प्रदान करने में सहायता करने के लिये एक किराया-गृह-योजना (Rental Housing Scheme) बनाई गई है। इस उद्देश्य के लिए जीवन बीमा निगम ने ७ करोड़ रु० उपलब्ध किये हैं। दिसम्बर सन् १९६० तक २,४६० घरों के लिये २००८ करोड़ रु० स्वीकृत किया गया और ७३४ मकान बनाये गये।

**राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन**—जुलाई १९५४ में एक राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन बनाया गया, जिसका उद्देश्य भवन-निर्माण की लागत को कम करने के उपायों को ढान-बीन करना है। वह सस्ती निर्माण सामग्री का विकास करता है तथा अपने अनुसन्धान परिणामों का प्रचार करता है। इसके अन्तर्गत कुछ प्रादेशिक संगठन भी कार्य कर रहे हैं।

### तृतीय पंचवर्षीय योजना में आवास व्यवस्था —

निजी क्षेत्र में आवास की व्यवस्था के अतिरिक्त, भारत सरकार की गृह-निर्माण सम्बन्धी योजना निम्न ६ बगों से सम्बन्धित है—(i) श्रीयोगिक कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था करना, (ii) निम्न-आय-वर्गीय व्यक्तियों के लिये आवास की व्यवस्था करना (Low-income-group housing), (iii) गन्दी बस्तियों की सफाई करना, (iv) गृह-निर्माण के हेतु भूमि की प्राप्ति करना, (v) श्रामीण क्षेत्रों में आवास की व्यवस्था करना, और (vi) बायान-शमिकों के हेतु आवास की व्यवस्था करना। आवास सम्बन्धी इन सुविधाओं के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में १२० करोड़ रुपये पृथक रखा गया है। इसके अतिरिक्त रेल, डाक व तार एवं सुरक्षा विभागों की अलग-अलग गृह-निर्माण सम्बन्धी योजनायें हैं।

यद्यपि गृह समस्या पर अब उचित ध्यान दिया जा रहा है तथापि जो कुछ हो रहा है उससे समस्या कम भले ही हो जाय, किन्तु पूर्णतः नहीं गुलझ सकती। श्रामीण आवास और मध्यम आय वाले लोगों के लिये आवास के हेतु बहुत कम अर्थ-व्यवस्था की गई है। श्रीयोगिक गृहों के किराये भी इतने अधिक हैं कि साधारण शमिक उन्होंने वहन नहीं कर सकता है, अतः कार्यक्रम में उपयुक्त सुधार करने आवश्यक हैं।

### STANDARD QUESTIONS

1. Briefly trace the origin of labour problems in India.
2. Summarise carefully the principal characteristics of Indian Industrial labour.
3. Write a full note on the Migratory character of Indian Industrial labour.
4. Indian Industrial labour is proverbially inefficient. Comment and suggest measures to improve the efficiency of Indian labourers.

## हमारी कुछ प्रमुख अम-समस्याएँ (II)

(Labour Problems II)

अम कल्याण से आगय, इसका महत्व एवं विभिन्न पक्षों द्वारा आपेक्षित अम कल्याण कार्य

'अम-कल्याण कार्य' वा अभिप्राय उन समस्त कार्यों से होता है, जो कि बानूब द्वारा दी गई वेतन इत्यादि अनेक सुविधाओं के अतिरिक्त अम की सुविधा तथा उसके शारीरिक, मानसिक व सामाजिक हित के विकास की हड्डि से किये जाने हैं। 'अभिक-कल्याण कार्य' के सेत्र को व्याख्या करने हुए अम जीव समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अम-कल्याण कार्यों के अन्तर्गत अभिक की दौदिक शारीरिक, नैतिक एवं आधिक विकास के बारों का समावेश होना चाहिए। ये कार्य चाहे नियोक्ता, सरकार या अन्य संस्थाओं द्वारा किये जायें तथा साधारण अनुबन्ध-त्वक सम्बन्ध ग्रन्थवा विद्यान के अन्तर्गत अभिकों को जो मिलना चाहिए उसके अतावा किये गये हो। इस प्रकार इस परिभाषा के अन्तर्गत हम आवास-यज्ञस्या, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधायें, अच्छा भोजन (कैन्टीन के आप्रोजेन सहित), प्रारम्भ एवं मनो-रंजन की सुविधायें, सहशारी समितियाँ, घाम घर एवं लिनु-गृह, शौचालय की व्यवस्था, सबेतन धृष्टियाँ, सामाजिक बीमा, प्रॉविडेण्ट फाड, सेवा निवृत्ति वेतन आदि सुविधाओं का समावेश कर सकते हैं।

**भारत में अम कल्याण कार्य की आवश्यकता**

भारतवर्ष में अभिको के हेतु कल्याण-कार्य की बहुत आवश्यकता है। यहाँ वा अभिक अकृत्यल है और अन्न देशों की तुलना में उसकी कार्यसमता न्यून है। अभिको को सन्तुष्ट और मुक्ति करने के लिये उनकी परिस्थिति में सुधार करनी चाहिए। हमारी हड्डि से अभिकों की केवल नकद भजदूरी बढ़ाने से ही कोई विशेष ताभ न होगा, क्योंकि इससे उनकी कार्य-निपुणता पर कोई गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ता। सम्भव है कि नकद राशि को बे जुए और नरों में उड़ा दें। इसके विपरीत

यदि कल्याण-कार्य के हारा उनको लाभ पहुंचाया जायगा तो हमें विश्वास है कि उनकी कार्यक्षमता अवश्य देखी जाएगी।

भारत में श्रम कल्याण कार्य की अवश्यकता के सम्बन्ध में निम्नलिखित दलीलें दी जा सकती हैं :—

(१) औद्योगिक शान्ति की स्थापना—इस विषय में दो मत नहीं हो सकते कि कल्याण-कार्य की चिस्तृत व्यवस्था से श्रम एवं पूँजी के बोच निश्चितम सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं। जब श्रमिक को इस बात का अनुभव होने लगता है कि सेवा-योजक तथा राज्य उनके ही कल्याण के लिये अनेक योजनायें कार्यान्वयित कर रहे हैं, तो उनके मन में एक स्वस्थ बातावरण पैदा हो जाता है, जिससे औद्योगिक शान्ति की स्थापना में बढ़ा योग मिलता है।

(२) श्रमिक के उत्तरदायित्व में वृद्धि—श्रम-कल्याण कार्य की व्यवस्था से श्रमिक यह अनुभव करने लगते हैं कि वे उद्योग के एक अनुयायी हैं। अन वे संस्था के विकास में विशेष रुचि लेने लगते हैं, उनके उत्तरदायित्व में वृद्धि की भावना से सेवायोजकों वो गी बढ़ा लाभ होता है।

(३) सेवायोजकों का आवरण बनना—जिस औद्योगिक संस्था में कल्याण कार्य की योजनायें लागू होती हैं, वहाँ की सेवायें अपेक्षाकृत अधिक आकर्षक हो जाती हैं और अधिकांश श्रमिक वही वार्य करना पसन्द करते हैं। इससे स्थायी श्रम शक्ति की वृद्धि होती है।

(४) औद्योगिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग—आज प्रायः भभी विवेकर्णी ल सेवायोजक इस बात का अनुभव करने लगे हैं कि कल्याण-कार्य औद्योगिक व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। यह श्रमिकों के हृदय में ग्रात्मनौरव की भावना प्रेरित करता है।

(५) मानसिक क्रान्ति—कल्याण कार्य की व्यवस्था श्रम एवं पूँजी की मानसिक क्रान्ति के हारा उनके हृदय-परिवर्तन का एक थोड़ा साधन है।

(६) कार्य क्षमता में वृद्धि—कल्याण-कार्य में श्रमिकों की कार्यक्षमता में निश्चय ही वृद्धि होती है।

(७) सामाजिक युए—अन्त में यह लिखना अनावश्यक न होगा कि कल्याण-कार्य की व्यवस्था में अनेक सामाजिक कुर्यांति-दा भी निचारण होता है और इस प्रवार समाज भी लाभान्वित होता है। श्रमिक समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। वैनटीन में सस्ते व सन्तुलित भोजन की मुविधा से श्रमिकों के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। स्वस्थ मनोरंजन के हारा उनकी अनेकों दुरी आदतें (जैसे मदिरापान, जूपा खेलना आदि) दूर हो जाती है, चिकित्सा सम्बन्धी मुविधाओं से श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, इत्यादि।

इन लाभों से ही प्रेरित होकर टैक्सटायल लेवर इन्डस्ट्रीज कमेटी ने कहा था—“कार्बक्समता का उपर्युक्त स्तर केवल वही हो सकता है जहाँ धर्मिक शारीरिक हृष्टि से स्वस्य तथा मानसिक हृष्टि से सन्तुष्ट हो। इसका तात्पर्य यह है कि केवल वही धर्मिक कुशल हो सकते हैं जिनके लिये शिक्षा, आवास, भोजन तथा वैद्यादि का उचित प्रबन्ध हो।” इसी हृष्टि में हमारे देश में दम्भद विश्वविद्यालय ने श्रम समस्याओं एवं कल्याण कार्य के अध्ययन तथा शिक्षा के लिये विशेष प्रबन्ध किया। श्री टाटा ने भी वाँखे सूत आँक इकॉनॉमिक्स एवं सोशल साइंसेज की रणनीता इसी उद्देश्य में ही की है।

श्रम कल्याण की दिशा में श्राधुनिक प्रयत्न

भारतवर्ष में अभी तक वितना भी अम-इल्माएं किया गया है उनका थ्रेय मुख्यतः तीन संस्थाओं को है—(I) केन्द्रीय सरकार, (II) राज्य सरकार, (III) उद्योगपति और (IV) अनिक संघ। अब हम इन संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य का विशद् विवेचन करेंगे।

(१) केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित कल्याण कार्य—युद्धोपरान्त (सन् १९३६-४५) के नियम संकार ने अमिको की ओर ध्यान दिया। उसके पूर्व सन् १९२२ में बम्बई में एक अखिल भारतीय धर्म-हितकारी सम्मेलन के बुलावाने के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण प्रयत्न उसने नहीं किया था, लेकिन अब उसने कुछ ठोस बदन बढ़ाये हैं। सन् १९४२ में एक धर्म हितकारी सलाहकार और उसकी सहायता के अन्य धर्म-हितकारी नियुक्त किये। सन् १९४४ में कोयला खानों के अमिको के लिये एक हितकारी कोष खोला, जिसके द्वारा अमिको के मनोरंजन, चिकित्सा और शिक्षा का प्रबन्ध किया गया। सन् १९४६ में अध्रक खान अमिक हितकारी कोष अधिनियम पास कर दिया गया। साथ ही, सरकार ने अन्य वास्तुओं का निर्माण किया जिसके आधार पर कारखानों के अमिको वे लिये मकानों की व्यवस्था, वाम के घटे, रोशनीदान, मशीनों को ढक कर रखना, चिकित्सा, उपहार-गृह और जिशु-गृहों की व्यवस्था की गई। देखभाल के लिये नियक रखे गये। ५०० या इससे अधिक अमिक वाले कारखानों में अधिक हितकारी अफसर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई। सरकार अपने कारखानों में धर्म हितकारी कोष स्थापित करने के साथ-साथ व्यक्तिगत शोषणिक कारखानों में कोष स्थापित करने के प्रयत्न कर रही है। यह कोष अमिको के लिये हितकारी सेवाये जुटाने में व्यय किया जाता है। सन् १९५४ में स्वार्यो धर्म समिति ने भी धर्म-हितकारी कोष की स्थापना पर बल दिया। यह कोष केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित करना चाहिए। इसके अन्तर्गत कारखाने, ट्रामवे तथा मोटर बस सेवायें, आन्तरिक स्टीम जलवान, कोयला व अध्रक की खानों के अतिरिक्त सब खानें, देन छूप, उचान, जन कार्य, सिचाई तथा विद्युत सम्बन्धित किये गये हैं। वाचनालय, त्रिवेक्षण कर्मचारियों तथा बन्दरगाहों पर वाम करने वाले अमिको के लिये भी विभिन्न प्रकार की हितकारी सुविधायें दी गई हैं।

योजना कमीशन ने भी अम-कल्याण कार्यों के महत्व को भली भाँति समझा है, अतः उन्होंने पंचवर्षीय योजना में इन कार्यों के लिये ७ करोड़ रुपया व्यय करने का निश्चय किया था। द्वितीय आयोजन में केवल श्रमिकों के कल्याणार्थ २६ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में देश में १३ लाख घर बनाये गये। युद्धोत्तर काल में श्रमिकों के लिये सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों, सरकारी गृह निर्माण समितियों, उद्योगपतियों तथा गृह निर्माण बोर्डों की आर्थिक सहायता देकर गृह बनवाये। प्रथम आयोजन काल में कुल ३८५ करोड़ रुपया गृह निर्माण पर व्यय किया गया और द्वितीय आयोजन में १२० करोड़ की व्यवस्था की गई है। उदानों तथा अधक व कोवसे की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए घर बनवाये जा रहे हैं। ये घर अम मन्त्रालय के अन्तर्गत बन रहे हैं। इसी प्रकार अन्य केन्द्रीय तथा राज्य मन्त्रालय अपने-अपने विभागों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये घर बनवाने की योजनाएं चला रहे हैं। द्वितीय आयोजना काल में देश में कुल १६ लाख घर बनवाये जायेंगे।

(II) राज्य सरकार हारा किये अम-कल्याण कार्य—केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी श्रमिकों के कल्याण के लिये बहुत कुछ दिया है। इस दिशा में कार्य का श्रीगणेश तो प्रथम-दिव्य युद्ध के बाद ही हो गया था और सन् १९३७ में भी कांग्रेसी सरकारों ने इन कार्यों के प्रति बड़ी उचित दिलाई थी, किन्तु कोई सराहनीय कार्य नहीं हो सका। हाँ, युद्धोत्तर काल में अवश्य प्रान्तीय सरकारों का ध्यान इस ओर गया और स्वराज्यता प्राप्ति के बाद तो राज्य सरकारों ने इस दिशा में बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। अब हम भारत के कुछ औद्योगिक राज्यों में होने वाले अम-कल्याण कार्यों पर प्रकाश ढालेंगे।

वम्बई राज्य—वम्बई राज्य में अम-कल्याण के लिए सबसे पहले सन् १९३६-४० के बजट में १,२०,००० ह० का आयोजन किया गया था, जिसमें कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये। सन् १९४६-५० के बजट में किसी कार्य के लिये १०,६८,०८३ रुपये स्वीकार किये गये। सन् १९५१-५२ में इस राज्य में ५४ कल्याण-केन्द्र थे—५ 'क' थेरो के, ११ 'ख' थेरो के, ३६ 'ग' थेरो के और २ 'घ' थेरो के। ये चार थेरियाँ मुविधाग्रो के आधार पर बनाई गई हैं। 'क' थेरो के कल्याण केन्द्रों में निम्न सुविधायें प्रदान की जाती हैं—५६०० के लिये मैदानी तथा भीतरी लेल स्थियों की सिलाई तथा बढ़ाई, बच्चों के लिये नर्सरी स्कूल, स्नो-पुरुषों के लिए अलग-अलग स्नानागार, भोजनालय, पुस्तकालय, वाचनालय तथा माह में एक बार फिल्म दिखाने का प्रबन्ध। अन्य थेरों के केन्द्रों में सुविधायें बहुत होती हैं। वम्बई नगर से १८ केन्द्र हैं, शोलासुर और अहमदाबाद में ६-६ केन्द्र हैं। सन् १९५३-५४ में वम्बई राज्य ने अम-कल्याण कोष अधिनियम पास कर दिया। अम-कल्याण के कार्य संचालन के लिए १४ सदस्यों की एक सभा बनाई गई। सन् १९५७ के बजट में ३८७८

लाल रुपये का अनुदान देना स्वीकार किया गया, जिसमें से २७.६७ लाल रुपये श्रीधरिंगिक प्रशिक्षण के लिए दिये गये। एक सराहनीय कार्य बम्बई राज्य ने यह किय है कि श्रमिकों में से ही नेताओं का निर्माण किया जाये और इसके लिये उन्हे बम्बई, अहमदाबाद तथा शोलापुर में शिक्षा दी जाती है। इस वर्ष में राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत ५,७,४२७ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा इत्यादि की सुविधा प्रदान की गई। श्रम-कल्याण कार्यों द्वारा इस प्रदेश के श्रमिकों को काफी लाभ पहुंचा है और उनकी क्षमता में योग्यता बढ़ि हुई है।

**उत्तर प्रदेश**—इस प्रदेश में सन् १९३७ में प्रथम बार कांग्रेस मन्दिरपट्टल की स्थापना हुई तथा कानपुर में ४ कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये। १९४७ के बाद इस दिशा में सराहनीय प्रगति हुई है। सन् १९४८ में इस राज्य में श्रम-कल्याण केन्द्रों की संख्या ४४ थी। सुविधाओं के विचार से उनकी ३ श्रेणियाँ की गई हैं— श्र. व और स। प्रथम श्रेणी के केन्द्रों में एक एलोर्यो का चिकित्सालय, पुस्तकालय व बाचनालय, स्थियो के लिए सिलाई व कडाई की कक्षाएँ, भीतरी और बाहरी खेल संगीत, रेडियो, प्रसूति-गृह इत्यादि की व्यवस्था होती है। द्वितीय श्रेणी के केन्द्रों में भी लगभग यही सुविधायें होती हैं। यहाँ होम्योपैथी का चिकित्सालय होता है। तृतीय श्रेणी के केन्द्रों में पुस्तकालय व बाचनालय, खेलकूद तथा रेडियो इत्यादि होते हैं। श्रम-हितकारी केन्द्रों पर मुफ्त में सिवेसा भी दिलाये जाते हैं। कभी-कभी श्रमिकों वा कार्यक्रम शालिल भारतीय रेडियो लखनऊ व इलाहाबाद पर भी होता है। द्वानीमिद व दंगल आयोजित किये जाते हैं, जिनमें विजेता श्रमिकों को पुरस्कार व प्रगति-पत्र देकर प्रोत्साहित किया जाता है। चलाई कक्षाएँ, प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएँ तथा स्थियों के लिये व्यावसायिक शिक्षा भी इन केन्द्रों द्वारा चलाई जाती है।

सन् १९५४ में कानपुर में श्रमिकों के हितार्थ एक टी० बी० का संस्थान स्थाना गया है। इसके अतिरिक्त विकिस्तों के एक संचयन्दल का भी निर्माण किया गया है। जुलाई सन् १९५४ में केन्द्रीय सामाजिक-हितकारी बोर्ड के आधार पर U. P. Social Welfare State Advisory Board की भी स्थापना कर दी गई है। गृह-हृषि निर्माण कार्य को उत्तर-प्रदेश में तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम श्रेणी के श्रमिकों के लिए कानपुर तथा लखनऊ में क्रमशः २,२१६ व ५६० पर सन् १९५५-५६ में बने, जो श्रमिकों को दिये भी गये हैं। द्वितीय श्रेणी में कानपुर में ३,७५० श्रमिकों का निर्माण किया गया है। तृतीय श्रेणी में कानपुर, आगरा, फौरोजाबाद, गृहों का निर्माण किया गया है। इलाहाबाद, मिर्जापुर, सहारनपुर तथा बनारस में ७,४०० मकान बनाने की योजना है। श्रमिक-राज्य-बीमा योजना, जो जिनमें से पांच हजार घरों का निर्माण हो चुका है। श्रमिक-राज्य-बीमा योजना, जो सन् १९५० में कानपुर पर लागू की गई थी, अब उस नगर के लालों श्रमिकों को सन् १९५५ में कानपुर पर लागू की गई थी, अब उस नगर के लालों श्रमिकों को सन् १९५५-५६ में आगरा, लखनऊ तथा सहारनपुर में २० लाभ पहुंचा रही है। सन् १९५५-५६ में आगरा, लखनऊ तथा सहारनपुर में २०

हजार श्रमिकों को भी इसके अन्तर्गत ले लिया है। स्त्रियों की देवभाल के लिये एक महिला अधिकारी (Women Labour Welfare Superintendent) की नियुक्ति की गई है। उत्तर-प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २५३१ करोड़ रुपये को निर्धारित धन राशि में से अम-कल्याण पर १४२५ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

**पश्चिमी बंगाल**—सन् १९४० में बंगाल राज्य में १० अम कल्याण केन्द्र खोले गये, जिनकी संख्या बढ़ते-बढ़ते सन् १९४५ में ४१ हो गई। विभाजन के बाद इनकी संख्या ३० रह गई। इन केन्द्रों पर भी चिकित्सा, मनोरंजन, सेल-कूद, शिक्षा और सिलाई आदि की सुविधायें उपलब्ध हैं। लगभग ४५ हजार व्यक्ति प्रतिदिन इन केन्द्रों पर जाते हैं तथा लगभग १६,६४४ बच्चे और ६,४४८ प्रोड प्रातः तथा सन्ध्याकालीन कक्षाओं में शिक्षा पाते हैं। कलकत्ता, हावड़ा तथा सीरामपुर में श्रमिकों के लिये बाटर बनवाये जा रहे हैं। राज्य में इस समय १५ चिकित्सालय श्रमिकों के लिये कार्य कर रहे हैं। चाय के बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये केन्द्रीय चाय बोर्ड ने सन् १९४५-४६ में एक साल रुपया कल्याण-कार्यों के लिये दिया था। इससे मुख्यतः हिन्दू तथा बच्चों का कल्याण होगा। सन् १९५७ में पुस्तियावाग तथा बाग डोगरा में कल्याण-केन्द्र और खोले गए हैं, जूट मिलों के श्रमिकों की आधिक तथा सामाजिक दशा में काफी सुधार हो गया और उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुई है।

**पश्च राज्य**—भारत के अन्य राज्यों में भी अम-कल्याण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। पंजाब के नगरो (अमृतसर, लुधियाना, अम्बाला, बठाला, जालन्धर तथा अब्दुल्लापुर) में इनकी स्थापना हुई है। मध्य-प्रदेश में हिंगनधाट, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम; मद्रास में नीलगिरि, बोयम्बहूर तथा करियार रोड (उडीसा), राजस्थान में गंगानगर, जोधपुर और कृष्णगढ़ में भी केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

इसमें बोई सन्देह नहीं कि अम-कल्याण कार्यों की ओर केन्द्रीय व राज्य सरकारों का ध्यान बढ़ता ही जा रहा है। भारत का प्रत्येक राज्य अपने को 'कल्याण-वारी राज्य' (Welfare State) कहता है, जिन्हुंने समस्या की गुणना को देखते हुए यह वहा जा सकता है कि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है।

(III) उद्योगपतियों द्वारा कल्याण कार्य—उद्योगपतियों के बाद उद्योगपतियों ने श्रमिकों के प्रति कुछ विशेष जागरूकता दिलाई है, लेकिन उनके अम-कल्याणकारी प्रयत्न अधिकाश में श्रमिकों के हित के प्रति दया-भावना पर आधारित हैं। जहाँ तक उद्योगपतियों के हितोंकोण का प्रश्न है, वे अब तक कल्याण-कार्य को अमज़ोवियों को फैसाने के लिये एह 'मृग मरीचिका व जाल' के रूप में उपयोग करते रहते हैं। इन कार्यों को करते हुए वे एक प्रकार से श्रमिकों के ऊपर यानों

अहसान सा करते हैं। यद्यपि अधिकांश में उच्चोगपति आज भी बड़े अनुदार हैं और वे व्यवसाय-कार्यों में होने वाले व्यय को आर्थिक लागत नहीं मानते, बिन्दु कुछ उद्योग-पति उदार व प्रगतिशील भी हैं, जो इस व्यय को विनियोग समझ कर करते हैं, जो भविष्य में उनकी बड़ी हुई उत्पादन क्षमता के रूप में उन्हे दृढ़तः मिल जाता है। अब हम ऐसे ही उद्योगपतियों द्वारा किए हुए व्यवसाय-कार्य की भावी प्रसूति करेंगे।

**सूती बस्त्र मिल उद्योग—बम्बई में सूती मिलों में विवितात्म, जलपानगृह स्थापित किये गये हैं।** कुछ मिलों ने आवृत्तिवर्तम अस्ताल भी हैं। इनके अतिरिक्त बाहरी-भीतरी खेलों की सुविधा, सहकारी समितियाँ, बाल एवं ब्रौड वित्तालय, प्रॉबी-डेन्ट फण्ड को योजना आदि सुविधाओं की व्यवस्था भी देश के लगभग सभी मिलों में की गई है। इस हाप्टि से नागपुर का एम्प्रेस मिल, दिल्ली का देहती बलौय एण्ड जनरल मिल्स व बिडला कॉटन मिल्स, खालियर का जीवाजी राव कॉटन मिल्स, मद्रास के वॉर्क्स एण्ड कर्नाटक मिल्स, बंगलौर वा बंगलौर बुलियन कॉटन एण्ड सिल्क मिल्स तथा मदुरा मिल्स कम्पनी ने अस्तपन्न सराहनीय कार्य किये हैं।

**जूट उद्योग—जूट उद्योग अब हितकारी कार्यों को करने वाली एक मात्र संस्था भारतीय जूट मिल संघ है, जिसने हजारीबाग, कनकोनाडा, सोरामपुर, टीटागढ़ और भद्रेश्वर में अमरहितकारी केन्द्रों की स्थापना की है। इन केन्द्रों पर बाटरी-भीतरी खेल-कूदों की व्यवस्था की जाती है। संघ की ओर से पाच प्रायमिक पाठ-शालायें भी चल रही हैं। जूट मिलों ने व्यक्तिगत रूप से भी हितकारी कार्यों में योग दिया है। सभी जूट मिलों में एक विवितात्म है। सात मिलों में प्रसूताओं के लिये वित्तिनिक हैं। ५१ मिलों में शिशुगृह एवं ४५ जूट मिलों में जलपानगृह खोले गये हैं।**

जली मिलों में बड़े कारखानों ने सभी उत्तम व्यवस्थायें उत्पन्न हैं और छोटी मिलों में न्यूनतम कानूनी सुविधाओं का प्रबन्ध है।

**इंजीनियरिंग उद्योग में १,००० या इससे अधिक श्रमिक वाले सभी कारखानों में विवितात्म हैं।** जहाज-जहा स्वी श्रमिक हैं वहां शिशु-गृह भी बने हैं। जलपानगृह तो सभी कारखानों में मिलते हैं। १०० से ऊर श्रमिक वाले कारखानों में प्रावीडेन्ट फण्ड योजना लागू है। टाटा आयरल एण्ड स्टील कम्पनी जमशेदपुर विदेश उल्लेखनीय है। इसमें ४०० पर्यंग वाला अस्ताल, प्रसूतागृह एवं ६ प्रसूति वित्तिनिक हैं। बम्परी की ओर से ३ हाईस्कूल, १० मिडिल स्कूल और २५ प्रामिक स्कूल खोले गये हैं। २ बड़े जलपानगृह हैं। विशाल क्रोडा-श्वल, मुस्त तिनेमा, महारायी उपभोक्ता भण्डार व हाकलाने आदि की आदर्श व्यवस्था है। अन्य कारखानों में भी इसी प्रकार व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

कोयता तथा अभ्रक की खानों में अमिक द्वितकारी कोप कानून द्वारा बनाये जा रुके हैं, जिनके अन्तर्गत अम-हितकारी कार्य हो रहे हैं। कौतार की सोना जाकर्ता है, जिनके अन्तर्गत अम-हितकारी कार्य हो रहे हैं। आसाम तथा पर्विचर्मी चंगल के खानों में भी अम-हितकारी कार्य हो रहे हैं। आसाम तथा पर्विचर्मी चंगल के

अधिकांश वडे चाय उद्योगों में वडे-त्रडे अस्थताल बने हैं। इनमें भी जो व्यवस्थाएँ की गई हैं, वे अत्यन्त अपर्याप्त हैं। इसी प्रकार की न्यूनाधिक व्यवस्थाएँ अन्य उद्योगों में भी की गई हैं, परन्तु श्रमिकों की आवश्यकताओं को देखने हुये ये अत्यन्त अपर्याप्त हैं।

(IV) अम-संघों द्वारा किये हुये कल्पाण कार्य—भारतीय अम-संघों वी शक्ति अभी तक अधिकाशतः अपने वेतन तथा काम करने की दशाओं के सम्बन्ध में उच्चोग-पतियों से संवर्प करने में ही लगी रही, अतएव कल्पाण-कार्य की दिशा में रचनात्मक कार्य करने के लिए उन्हें कम सुअवसर मिला। यही नहीं, दयनीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी वे इस दिशा में कुछ करने में असमर्प रहे। जब अमिक द्वय अपना पेट नहीं भर सकता तो उसके संघ किस प्रकार सम्भव हो सकते हैं? कल्पाण-कार्य की व्यवस्था के लिये काफी धन की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी कुछ अम-संघों ने इस दिशा में अनुकरणीय कार्य किये हैं, जिनमें अहमदाबाद सूतो वस्त्र मिल अम-संघ, मजदूर-सभा बानपुर एवं मिल मजदूर संघ इन्दौर के नाम उल्लेख-नीय हैं।

**अहमदाबाद टेक्सटायल धम-संघ**—इस संघ को लगभग ७५% आप कल्पाणा-कार्यों पर ही व्यव होती है। इस संघ के तत्वावधान में २५ ऐमे केन्द्र स्थापित किये गये हैं जहाँ श्रमिक एकत्रित होकर सामृद्धिक व सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। प्रथेक केन्द्र में एक पुस्तकालय तथा वाइनालय है। इसके अतिरिक्त यह ७५ सहायता-घनुदान प्राप्त याचनालयों एवं सचल पुस्तकालयों का भी संचालन करता है। अहमदाबाद की प्रमुख श्रम वस्तियों में भी कोडास्थल भी संघ की ओर से स्थापित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत सदस्यों की चिकित्सा के लिये एक ऐलोवैकिं, होम्योपैथिक तथा एक भायुवैदिक औषधालय है। संघ द्वारा संगठित ६ विकास संस्थायें भी नगर में चल रही हैं, जिनमें से ६ मूल, २ अध्ययन भवन (Study Homes) तथा एक वालितादों के लिए छात्रावास हैं। प्रनिर्दिष्ट श्रमिकों के बच्चों को सहायता देकर उन्हें उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्तमाहित किया जाता है। संघ द्वारा संगठित चार ज्ञावसाधिक प्रशिक्षण यातारा भी है। सन् १९५२ में इस संघ ने एक बैंक तथा एक सहकारी उप-भोक्ता भव्यार भी खोला। इस विवरण से स्पष्ट है कि अहमदाबाद धम-संघ ने कल्पाणा-कार्य की दिशा में सुराहनोप कार्य किया है।

कानपुर मजदूर-सभा ने भी मजदूरों के वल्याणार्व द्रुतकालय, वाचनालय तथा चिकित्सालय की स्थापना की है। इन्हीं प्रिय मजदूर संघ ने अन-वल्याण केन्द्र की स्थापना की है। इस केन्द्र की तीन शास्त्रार्थ है—वाल मन्दिर, महिला मन्दिर तथा बन्धा मन्दिर। वाल मन्दिर में श्रमिकों के बड़बों की सिजा, उनके सिए स्वास्थ्य, ऐत-नूद व कीड़ाहरन यादि तथा सास्कृतिक विकास के लिए संग्रह, नूद तथा प्रभिन्न इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। बन्धा मन्दिर में श्रमिक-बालिकाओं को

प्रारम्भिक शिक्षा, खेल-कूद व स्वास्थ्य, सिनार्ट-वडाई तथा अन्य गृह-विज्ञान सम्बन्धी जातों के पढ़ाये जाने आदि की व्यवस्था है। महिला मन्दिर में महिलाओं के हेतु प्रौढ़-शिक्षा, रायावस्थायिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार इत्यादि की व्यवस्था की गई है।

उपर्युक्त अन्तर्भूतों के अतिरिक्त देश के ऐल कर्मचारी संघ भी अपने सदस्यों के लिए इत्याणु-कार्य की व्यवस्था करते हैं—जैसे, बलब सोलना, सहकारी समितियों की स्थापना करना, मुकदमों की पंखी करना, इत्यादि। उत्तर-प्रदेश में भारतीय श्रम संघ (Indian Federation of Labour) ने अनेक श्रम कल्याण-केन्द्रों की स्थापना की है। आसाम के चाय के बगीचों से काम करने वाले श्रमिकों के लिये बैन्डिय सरकार की सहायता से 'बैन्डिय भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कॉर्पोरेशन' ने कुछ श्रम-कल्याण-कार्यों का आयोजन किया है। अन्त में, हम यह कह सकते हैं कि श्रम श्रमिक वर्ग काफी जागरूक हो गया है और वह स्वयं संघीय शक्ति से अपने पैरों पर खड़ा होने की चेष्टा कर रहा है, किन्तु अभी तक श्रमिक-संघों ने जो कुछ भी किया है, उसे संतोषजनक एवं पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

### संयुक्त राष्ट्र-संघ एवं भारत में श्रम-कल्याण कार्य

संयुक्त राष्ट्र-संघ विश्व के सभी देशों के श्रमिकों के कार्यों में रुचि रखता है। इस संस्था ने भारत तथा अन्य दक्षिणी-पूर्वी एशियाई देशों के अमज़ोवियों के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिये सराहनीय कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र-संघ ने भारतीय बालकों के कल्याणार्थ मार्च सद १९५४ तक लगभग ६० लाख डालर व्यय किया। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कल्याण-कार्यों का संयुक्त राष्ट्र संघ के भारूद द्वारा कल्याण-कार्यों से सम्बन्धित एक योजना से सम्बन्ध रख दिया गया था। इस योजना के अन्तर्गत सद १९५५-५६ में स्वास्थ्य निरोक्षकों तथा दवाईयों के प्रशिक्षण तथा उन्हें चिकित्सा सम्बन्धी पर्याप्त सज्जा से सुसज्जित करने में २० लाख डालर व्यय किए गए।

संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोप (U. N. I. C. E. F—United Nations International Children's Emergency Fund) भारत में माताओं तथा बच्चों वो दूध वितरित करने तथा प्रसूतिगृहों एवं बाल कल्याण-केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। इसमें से १० लाख डालर दूध-वितरण, भलेरिया-नियन्त्रण एवं ट्रूफिश निवारण पर व्यय किया जा चुका है। इस धन का अधिकांश भाग भारतीय गांधी तथा श्रमिक बलियों में व्यय हो रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत बैन्डीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों को दोपरांत में से उनका भाग देती है। इसमें में पश्चिमी बगाल को १२५ लाख डालर, केरल को १०० लाख डालर, दिहार को २ लाख डालर तथा उत्तर प्रदेश को भी २ लाख डालर दिये जा चुके हैं। ये राज्य सरकारें पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कल्याणकारी कार्यों की अपनी योजनाओं पर धन का उपयोग माताओं तथा बच्चों

के कल्याण-कार्यों पर कर रही हैं। गांधी के लिये दाइयों को प्रशिक्षित करके उन्हें सज्जा (Kit) प्रदान करना योजना का मूल उद्देश्य है। इस सज्जा में वे सभी वस्तुएँ सम्मिलित होगी, जिनकी कि प्रसव के समय आवश्यकता पड़ सकती है। उत्तर संस्था ने ऐसी १४,००० सज्जाएँ विश्व के २७ राष्ट्रों को देने की योजना बनाई है, जिसमें प्रकेते भारत को ६,००० सज्जाएँ मिलेंगी। आकाश ही नहीं, बरन् पूर्ण विश्वास है कि इन प्रयत्नों से भारतीय श्रमिकों को बड़ा लाभ होगा। इस समय श्रमिक-वस्तियों में मातृ-मृत्यु तथा बाल-मृत्यु के ऊँचा होने के कारण अपार मानव संहार हो रहा है, अतएव इस योजना के परिणामस्वरूप संहार न होकर मानवीय कल्याण की दृष्टि होगी।

### पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत श्रम-कल्याण

(१) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम-कल्याण—प्रथम पंचवर्षीय योजना में श्रम-कल्याण के लिये ६३१ करोड़ रुपये आयोजित किये गये थे। चाय बागानों के श्रमिकों के हितार्थ केन्द्रीय चाय मण्डल (Central Tea Board) को ४ लाख रुपये दिये गये थे। ७६,६७६ क्वार्टर बनवाने की योजना स्वीकार की गई थी, जिसमें से १६,१६५ बम्बई में, २१,७०६ उत्तर प्रदेश में, ५,६२६ हैदराबाद में, ५,१८१ भूघ-प्रदेश में और ३,४४४ मध्य-भारत व अन्य राज्यों में बनाये जाने थे। प्रथम योजना के अन्त तक ४०,००० मकान बन कर तैयार हो चुके हैं।

भई सन् १९५४ में सरकार ने १२८ घरों के निर्माण के लिये १,६७,६५० रुपये का अनुदान दिया था। इसमें से १८,६०० रुपए बम्बई राज्य को दिये गए और इसके अतिरिक्त ३७,८०० रुपये छह के रूप में दिये गये थे। जुलाई सन् १९५४ में आघू प्रदेश की चीनी मिल को १,०१,२५० रुपए का अनुदान और १,५८,३४२ रुपये का छह दिया गया। इसी योजना के अन्तर्गत अगस्त सन् १९५४ में केन्द्रीय सरकार ने १०,२२६ मकानों के निर्माण के लिए ३,१४,३५,२१७ रुपये की आधिक राहायता दी, जिसमें से उत्तर-प्रदेश को लगभग २ करोड़ रुपये मिले थे। निम्नतालिका से यह स्पष्ट है कि उत्तर-प्रदेश राज्य में इस योजना के अन्तर्गत कितने मकानों का निर्माण किया गया :—

नगर	मकानों की संख्या
बानपुर	३,४००
आगरा	१,२६६
फिरोजाबाद	१,०००
सहारनपुर	६०४
इलाहाबाद	५०४
बनारस	५००
मिर्जापुर	६६
योग	७,४००

बम्बई राज्य को अधिकों के ब्वार्टर बनवाने के हेतु १,०७,४६,००० रुपये दिये गए थे, जिनसे २,३८८ ब्वार्टर बनवाये गये हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ३५२ कल्पाणि केन्द्रों की स्थापना की गई।

(II) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कल्याण-कार्य—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम कल्याण कार्यों के लिये २६१६ करोड ८० का आयोजन किया गया था—केन्द्रीय सरकार के लिये १६ करोड ८० व जेव प्रदेशीय सरकारी के लिये। अधिकों के ब्वार्टरों का विरागण करने के लिये ५० करोड ८० पृथक से आयोजित थे और चार बांगानों के अधिकों के लिये ११,००० मिलिन बनाने के हेतु २ करोड ८० भी उक्त राशियों से अतिरिक्त थे। 'खान श्रम कल्याण कोष' (Coal Mines Labour Welfare Fund) से ८ करोड ८० गृह-निर्माण पर व्यय किये जाने थे।

अधिकों का जीवन-स्तर ऊँचा करने, एकता और सफाई को और उनकी स्वच बढ़ाने के लिये एक नई शिक्षा पद्धति को आवश्यकता है। जुआ खेलने, शराब, ताड़ी तथा अन्य मादक वस्तुओं की जलत छुड़ाने के लिए फ़िल्मों द्वारा शिक्षा देना अधिक हितकारी होगा। इस हेतु सब १६६०-६१ तक १०० फ़िल्म (Audio Visual Films) तैयार होने की आशा है। कारखानों के श्रमकल्पाणि विभाग और राजकीय श्रम कल्याण केन्द्र ऐसी फ़िल्मों के दिसाने का प्रबन्ध करते हैं।

सब १६५६ में श्रोतोगिक शिक्षा के लिए १०,३०० व्यक्तियों को सुविधायें प्राप्त थीं। द्वितीय योजना अवधि से १६,७०० व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अधिक प्रबन्ध किया गया। प्रशिक्षण की अवधि भी बड़ा दी गई है। काम सीखने की शिष्यत्व योजना (Apprenticeship Scheme) ब्लाई गई। इसके अन्तर्गत सब १६६०-६१ तक लगभग ५,००० व्यक्ति भरती किए गए। यह ट्रेनिंग उद्योगों की आवश्यकतानुसार २ से ५ वर्द्द तक चलेगी। ट्रेन्ड व्यक्तियों द्वारा कारखानों में कार्य करने पर उत्पादन स्वभावतः बढ़ जावेगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १,३२० श्रम कल्पाणि केन्द्र लोडे गये।

(III) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत—तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित मैंगनोज एवं लोहा खानों के लिये विशेष कोष स्थापित किये गये हैं। ऐसे ही कोष कोयला व अन्यका खानों के लिये पहले ही संगठित किये जा चुके हैं। ये अधिकों के कल्याण सम्बन्धी कार्य करने के लिये धन की व्यवस्था करते हैं।

उक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि भारत में अधिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि करने तथा उनके लिये कल्याण कार्यों की व्यवस्था के बहुत कुछ प्रश्न विषये जा रहे

है। किन्तु समस्या की गम्भीरता व गुरुता को देखते हुये यह कहा जा सकता है कि इस दिशा में अभी तक जो कुछ भी किया गया है वह बहुत ही थोड़ा है। सच बात तो यह है कि विभिन्न श्रमिक संनियमों में दी गई कल्याण सुविधाओं का न्यूनतम भी आज श्रमिकों को अधिकात् में नहीं मिल पाता। अतः सर्वप्रथम तो पूर्वस्थित संनियम को ही सच्चे अर्थ में कार्यान्वयित करने की आवश्यकता है। दूसरे, श्रमिकों की समस्या को सुलझाने के लिए यह भी नितान्त आवश्यक है कि एक मानवीय हृषिकोण उत्पन्न किया जाय। तभी भारतीय श्रमिक विश्व के अन्य देशों के श्रमिकों के समान निपुण व विलिङ्ग होकर देश का आर्थिक उत्थान कर सकेंगे।

### STANDARD QUESTIONS

1. Define the scope of 'labour welfare work' and discuss its importance.
2. State briefly how welfare work has developed in India. Describe briefly the welfare activities undertaken by the various agencies in India for the labouring classes.
3. How far has the United Nations Organisation promoted labour welfare in India?
4. Briefly summarize the welfare work done by the trade union organisations in India.



## भारत में सामाजिक सुरक्षा (Social Security in India)

भारत में सामाजिक सुरक्षा की प्रावश्यकता—भारत में सामाजिक सुरक्षा की महिमा के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा जाय, कम ही होगा। भारतीय श्रमिकों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। औद्योगिकरण के सभी सतरों का उन्हे सामना करना पड़ रहा है, जैसे—बीमारी, बेकारी आदि। हमारे अमज्जीवियों में संगठन की भी बहुत कमी है, जैसे असितिहास, अज्ञानी एवं दरिद्र हैं। अपने पैरों पर छड़ा होना उन्हे नहीं आता। इस हाण्ट से अन्य उद्योगशील देशों की अपेक्षा भारतीय श्रमिकों की दशा अधिक खराब है, प्रतएव सामाजिक सुरक्षा का प्रायोजन अनिवार्य हो जाता है।

भारत में श्रमी तक क्या हुआ?—भारत में स्वास्थ्य वीमे की आवश्यकता सर्वप्रथम सन् १९२७ में अनुभव की गई, जबकि लगभग २ वर्ष पूर्व सन् १९२५ में मन्त्रार्थद्वय श्रम-कार्यालय में औद्योगिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रस्ताव द्वितीय किया गया था, किन्तु फिर भी कोई वास्तविक कार्यवाही उस समय नहीं की गई। तत्पश्चात् सन् १९३०-३१ में औद्योगिक श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था पर रोक लगाया गया था तथा इसके लिये एक स्वयंस्थ वीमे पर एक योजना भी तैयार की। दुर्भाग्यवश उस समय वह योजना ताक में रख दी गई। सन् १९४० में अनिवार्य चन्दे हारा बीमारी घांटोंप की योजना बनाने का निश्चय किया गया। तृतीय अमरंत्री सम्मेलन ने इस योजना के सम्बन्ध में यह निश्चय किया कि वस्त्र व्यवसाय तथा इंजीनियरिंग उद्योग के श्रमिकों वो बीमारी सम्बन्धी वीमे की मुविधायें दी जायें। इस निर्णय को कार्यान्वयन करने के लिए बी० पी० अदारकर की नियुक्ति की गई। प्रोफेसर अदारकर ने अपनी रिपोर्ट सन् १९४४ में प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 'कर्मचारी राजीवीय बीमा संस्थापन' बनाया गया, जो सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिये ठोस बदम है।

सामाजिक सुरक्षा के लिये वर्तमान समय में निम्नलिखित आयोजन हैं—

(i) श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम।

- (ii) बोल माइन्स प्रॉबीडेन्ट फण्ड एवं बोनस स्कीम एकट ।
- (iii) मातृत्व लाभ अधिनियम ।
- (iv) प्रॉबीडेन्ट फण्ड एकट सन् १९५२ ।
- (v) श्रमिक राज्य बीमा अधिनियम ।

(I) श्रमिक शक्ति पूर्ति अधिनियम सन् १९२३—यह अधिनियम (संशोधनों सहित) अब जम्मू व काश्मीर राज्य को छोड़कर सारे भारत में लागू होता है। जिन कर्मचारियों का वेतन ४००) मासिक से अधिक है अथवा जो कर्कश है, उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। वास्तव में रेल, कारखाने, खाने, नाविक व समुद्र पर बाम करने वाले कुछ अन्य श्रमिकों, डाक या तार, नहर, चाव, रबड़, कहवा तथा सिनकोना के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों, विद्युत, स्टेशनों, गोदामों, वेतन पाने वाले, भोटर ड्राइवरों आदि तथा ऐसे सभी कारखाने जहाँ १० या इससे अधिक श्रमिक काम करते हैं तथा शक्ति का भी प्रयोग होता है एवं ऐसे कारखानों में जहाँ शक्ति का प्रयोग तो नहीं होता, किन्तु ५० या अधिक श्रमिक काम करते हैं यह अधिनियम लागू होता है। राज्य सरकारें इसे किसी भी क्षेत्र के श्रमिकों पर, यदि वे इनके काम को खतरनाक समझती हैं, लागू कर सकती है। मद्रास एवं उत्तर-प्रदेश सरकारों ने इसे मशीन से चलने वाली गाड़ियों, माल लादने तथा उतारने वाले श्रमिकों और विद्युत प्रयोग करने वाले सभी कारखानों पर लागू कर दिया है। जो श्रमिक राज्य बीमा अधिनियम या श्रमिकों के राज्य बीमा कॉर्पोरेशन की ओर से मुश्किलिया पाने का अधिकारी है, वह इस अधिनियम का लाभ नहीं उठा सकेगा।

यदि श्रमिकों को काम करते समय किसी दुर्घटना से बोई चोट लग जाये तो मालिक द्वारा हर्जाना दिया जायगा। यदि चोट ७ दिन से पहले ठीक होने वाली हो या जिनमें श्रमिक का दोष हो और मृत्यु न होने पावे तो मालिक बोई हर्जाना देने के लिये बाध्य नहीं। अधिनियम की सूची नं० ३ में दिया हुआ कोई व्यावसायिक रोग हो जाने पर भी हर्जाना दिलाया जायेगा, हर्जाने की मात्रा चोट की प्रकार एवं श्रमिक की मासिक मजदूरी पर निर्भर होती है।

यह अधिनियम बड़े संतोष की वस्तु है। आवश्यकता इस बात की है कि उसे अधिक से अधिक श्रमिकों पर लागू किया जाय और हर्जाने की रकम नियमित रूप से दिलाई जाय। इस अधिनियम के ग्राधार पर श्रमिकों के हर्जाना सनियम कुछ राज्यों में भी पास किये हैं।

(II) कोषला खान प्रॉबीडेन्ट फण्ड योजनाये—इन योजनाओं के अन्तर्गत श्रमिकों को अपनी वैसिक मजदूरी के ६५% की दर से चन्दा देना पड़ता है। इस आसाय के लिये वैसिक मजदूरी से मौहगाई भत्ता, नवद व वस्तुओं के रूप में अन्य रियायतें भी सम्मिलित की जाती हैं। सेवायोजकों को भी श्रमिकों के वरावर चन्दा देना पड़ता है। यह योजना आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, म० प्र०, उड़ीसा राजस्थान

व द३० दंगाल में लागू होती है। फण्ड की कुल राशि अक्षूबर सद १६६० में २३ करोड़ थी।

(III) मातृत्व लाभ अधिनियम—भारत में एक बड़ी संस्था मे स्त्रियाँ मजबूरी करती हैं। प्रसव-काल से पहले और बाद मे विशाग एवं पौष्टिक भोजन न मिलने के बारण उनकी बड़ी संस्था मे मृत्यु होती है। बच्चों की मृत्यु तंत्र्या बढ़ने का कारण भी यही है। मातृत्व लाभ की समस्या मानवता एवं सामाजिक पहलु से ही नहीं, धार्मिक पहलु से भी महत्वपूर्ण है। इहने पर भी भारत में अभी तक कोई ऐसा अधिनियम अखिल भारतीय स्तर पर नहीं बनाया गया है जो मातृत्व लाभ की सुविधाये प्रदान करता हो। भारत मे अभी तक जो प्रयत्न हुए हैं वे व्यक्तिगत राज्यों मे ही हुए। सर्वप्रथम बम्बई मे मातृत्व लाभ अधिनियम पास हुआ। इसके बाद रायल अम कमीशन के सुझावों पर अन्य प्रान्तों मे भी जैसे, मद्रास (सद १६३४), उ० प्र० (सद १६३८), बांगल (सद १६३९), पंजाब (सद १६४३), मालवा (सद १६४४), विहार (सद १६४५) ने भी इन अधिनियमों को बनाया। केन्द्रीय सरकार ने (सद १६४१) मे बाय करने वाली स्त्रियों के लिये मातृत्व लाभ अधिनियम बनाया। अब लगभग सभी राज्यों मे ये अधि नियम बन चुके हैं।

मातृत्व लाभ अधिनियमों के अन्तर्गत स्त्रियों को प्रसव के पहले और बाद मे लाभ दिया जाने लगा है। साम की दर और सक्षम की अवधि विवरित झल्लों ने अलग-अलग है। उदाहरण के लिये, आसाम मे १५० दिन काम करने पर, विहार प्रीर उत्तर-प्रदेश मे ६ महीने काम करने पर, महाराष्ट्र व गुजरात, बंगल, पंजाब प्रीर मध्य-प्रदेश मे ६ महीने काम करने पर तथा मद्रास मे २४० दिन काम करने पर ये कोई स्वी लाभ प्राप्त कर सकती है। लाभ की दर भी भिन्न-भिन्न है। आसाम के जाय उद्योगों मे प्रसव के पहले १) प्रति सप्ताह है, तथा बाद मे १।) प्रति सप्ताह है जिनको कुल धन राशि १।) से अधिक नहीं होनी चाहिए। बंगल, मद्रास, महाराष्ट्र व गुजरात, विहार तथा मध्य-प्रदेश मे न्यूनतम ॥) प्रति दिन है। पंजाब मे १२ आठा प्रति दिन या अनुपातिक दैनिक आय रखी गई है।

सभ्य तथा विद्याम के अलावा दोनों शौर डाक्टरी सहायता के रूप मे अन्य लाभ भी स्वी धर्मियों को दिए जाते हैं। काम करने सक्षम सियुद्धों को रहने के लिए दिशु-मृहों की भी व्यवस्था है। उत्तर-प्रदेश का अधिनियम स्त्रियों के गर्भपात होने पर ३ सप्ताह सर्वेतिक सुरुद्धी की आज्ञा देता है।

इन अधिनियमों का पालन करने के लिए नियोगको की नियुक्ति की गई है। लालिको को प्रतिवर्ष इन लाभों की रिपोर्ट खखार को भेजनी पड़ती है। किर भी यह बहुत बेग़ा कि इन अधिनियमों मे बुझ दोष है। मालिकों पर ही लाभ देने का उत्तरदायित होने से यह लोग इनमे अनियन्त्रिता करते हैं। लाभ का रूप सभ्ये मे होने से स्त्रियों दूर, औपर्युक्त आदि से बचित रह जाती है। गर्भवती होने का समोचार प्रियते पर मालिक स्त्री को छलग कर देते हैं या कुमारियों को ही नोकरी पर रखते

है। बहुत सी स्त्रियों के नाम ही रजिस्टर में नहीं जिखते। इन दोषों को दूर करना स्वतन्त्र भारत की चहुंमुखी उपति के लिए बहुत आवश्यक है।

प्रसूति संरक्षण के लिये एक समान स्तर निर्धारित करने के उद्देश्य से लोक-सभा में प्रसूति लाभ अधिनियम ( Maternity Benefit Bill ), १९६० रखा गया था। वह उन सभों कारखानों, खानों व बगानों को लागू होगा जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं होता।।

( IV ) कर्मचारी प्रॉब्रीडेन्ट फण्ड—कर्मचारी प्रॉब्रीडेन्ट बीमा फण्ड अधिनियम, १९५२, जो पहले मूलत ६ प्रमुख उद्योगों को लागू होता था, अब ४१ अन्य उद्योगों को भी लागू होता है, जिनमें बागान ( आसाम के चाय बागानों को छोड़कर ) खाने, अखबार, दियास्लाई के बारखाने, सड़क मोटर यातायात संस्थान आदि मुख्य है। अधिनियम उन्हीं कारखानों व संस्थानों को लागू होता है जो कि अनुसूचित उद्योगों में कार्य-संलग्न हैं और जिनमें ५० या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं तथा जो ३ वर्ष से अधिक पुराने हो गये हैं। जो श्रमिक १ वर्ष से लगातार काम करते रहे हैं या एक वर्ष में कम से कम २४० दिन कार्य किया है और जिनकी मासिक मजदूरी ( मंहगाई भत्ता व राशन का नकद मूल्य सहित ) ५०० रु० प्रति माह से अधिक नहीं है उनको अनिवार्य रूप से फण्ड में अपनी वेसिक मजदूरी के ६½% की दर से चन्दा देना पड़ता है। सेवायोजक को भी इतनी ही रकम ऐसे श्रमिकों के सम्बन्ध में देनी पड़ती है। नवम्बर सन् १९६० तक उक्त नियमन ८,००० संस्थाओं में लागू हो रहा था। फण्ड में चन्दा देने वाले श्रमिकों की संख्या २६ लाख थी तथा प्रॉब्रीडेन्ट फण्ड चन्दों की रकम २५००-३५० करोड़ रु० थी। ६३-६६ करोड़ रु० फण्ड से कठोर के रूप में या दावों के भुगतान में दिया गया है। इस प्रकार १८६-१८६ करोड़ रु० ( ब्याज सहित ) दोप रहा। एक विशेष रिजर्व फण्ड भी बनाया गया है, जिसमें से मृत्यु व स्थाई असर्वता की दशा में लाभ दिया जायेगा।

उक्त अधिनियम को सन् १९६० में संशोधित किया गया। इस संशोधन के निम्न उद्देश्य थे—(i) एकट को २० या अधिक कर्मचारों रखने वाली छोटी इकाइयों को लागू करना, (ii) १ वर्ष तक संस्थाओं पर एकट लागू रखने की अवधि बढ़ाना जबकि न्यूनतम कर्मचारी संख्या १५ तक गिर जाय, (iii) किसी संस्थान की शाखाओं व विभागों को एक ही संस्थान मानना, (iv) श्रमिकों के चन्दे की गणना के लिये मौसमी कारखानों में Rationing Allowances को भी सम्मिलित करना, (v) ५० से कम कर्मचारों रखने वाली सहकारी संस्थानों को मुक्त रखना, और (vi) २० से ५० तक अधिक रखने वाले छोटे कारखानों को अधिनियम के दायित्व से ५ वर्ष तक मुक्त रखना।

( V ) श्रमिकों का राज्य बीमा अधिनियम—यह अधिनियम भारत के सब राज्यों पर लागू होता है। यह सन्नियम ऐसे स्थायी बाखानों के उन श्रमिकों एवं

दलकों पर लागू होता है, जिनकी मासिक आम ४००) तक है और जो फैस्टरे एकट के अन्तर्गत आते हैं। इसमें लगभग २० लाख श्रौद्धोगिक श्रमिकों को लाभ पहुँच रहा है। इसमें राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वे चाहे तो इसे अपने राज्य में श्रौद्धोगिक, व्यापारिक, कृषि एवं प्रब्ल संस्थाओं पर लागू कर सकती हैं। हा इसके लिए उन्हें पहले केन्द्रीय सरकार की मान्यता लेना अनिवार्य होगा। इस समियम के प्रनुसार ही दिल्ली में कर्मचारी राजकीय बीमा प्रमण्डल (Employees' State Insurance Corporation) की स्थापना सद १९४८ में की गई।

**शासन प्रबन्ध**—यह प्रमण्डल एक शासकीय प्रमण्डल है, जिसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों के प्रतिनिधि भी होंगे। इसी प्रकार इसमें केन्द्रीय संसद एवं डाक्टर-पेटो के प्रतिनिधि होंगे। प्रमण्डल का शासन-प्रबन्ध एक स्थाई समिति (Standing Committee) के हाथ में है। इसमें भी मालिकों और श्रमिकों के बराबर-बराबर प्रतिनिधि हैं। श्रौद्धोग्चार सम्बन्धी सुविधाओं के मामले में सलाह देने के लिये भी एक डाक्टरी परिषद् (Medical Benefit Council) बनाई गई है। बड़े अधिकारी वर्ग की नियुक्ति, हिसाब एवं उनकी जांच आदि का अधिकार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त है।

प्रमण्डल की अर्ध-प्रबन्धस्था के हेतु एक 'कर्मचारी राज्य बीमा फण्ड' खोला गया है, जो मालिकों और श्रमिकों के बन्दे से बनेगा तथा इसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकार भी सहायता के रूप में कुछ धन राशि देंगी। श्रमिकों एवं मालिकों के बन्दे की दरें उनकी आयु के प्रनुसार निश्चित की गई हैं। इस हेतु श्रमिकों को उनकी प्राय के प्रनुसार द शेंखियों में बांटा गया है।

### आगोपित व्यक्तियों को सुविधायें

सामाजिक बीमा की इस योजना के प्रन्तर्गत आगोपित व्यक्तियों ने पांच प्रकार की सुविधायें दी जाएँगी—

(१) श्रौद्धोग्चार सम्बन्धी सुविधायें—इस कार्य के लिए उन स्थानों में जहाँ भी यह योजना लागू होगी, प्रारोप प्रमण्डल द्वारा श्रौद्धोग्चारों का आयोजन होगा तथा कुछ चलते-फिरते श्रौद्धोग्चार सम्बन्धी सुविधाओं को दर से (जो भी दर छोड़ी हो) १२ सप्ताह तक प्रमूलि लाभ भित्रा रहेगा तथा गर्भविस्था में श्रौद्धोग्चार सुविधायें दी जाएँगी।

(२) मातृत्व सम्बन्धी लाभ—ये सुविधायें ही-श्रमिकों को प्रमूलि सम्बन्धी बीमारी में दी जायेंगी। ऐसी दशा में श्री-श्रमिकों को १२ आठा प्रतिदिन की दर से अवधि श्रौद्धोग्चार सम्बन्धी सुविधाओं को दर से (जो भी दर छोड़ी हो) १२ सप्ताह तक प्रमूलि लाभ भित्रा रहेगा तथा गर्भविस्था में श्रौद्धोग्चार सुविधायें दी जाएँगी।

(३) मारोपता लाभ—कारखाने में काम करते समय होने वाली दुर्घटना की वजह से अधिकारी उस कारखाने से सम्बन्धित किसी रोग का धिकार हो जाने से

यदि कोई श्रमिक काम करने के अधिकारी हो जाता है तो उसे आगोप प्रमाणिल द्वारा धर्मजीवी क्षति-पूर्ति संशियम के अनुसार सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

(४) श्रमिकों पर आधिक व्यक्तियों के लिए लाभ—यदि किसी कारखाने के आगोपित व्यक्ति की कारखाने में होने वाली किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में उन आधिकों को (अयवा उनकी विधवा एवं बच्चों को) वार्षिक वृत्ति (Annuity) के रूप में कुछ राशि दी जायगी।

(५) बीमारी सम्बन्धी लाभ—इसके अनुसार यिस श्रमिक वा बीमा है उसे डाक्टरी प्रमाण-पत्र के आधार पर समय के अनुसार नकद स्पष्टा मिलता है। प्रथम दो दिन तक कुछ नहीं मिलता और उसके बाद यदि १५ दिन तक रोग चलता रहे तो आधिक सहायता मिलनी प्रारम्भ हो जाती है। ३६५ दिन के निरन्तर काल में आधिक से अधिक ५६ दिन तक यह लाभ मिल सकता है। इस लाभ की दर श्रमिक के दैनिक वेतन का  $\frac{1}{2}$  होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह अधिनियम बड़ा विस्तृत है। ३१ दिसम्बर सन् १९५२ को कानपुर तथा दिल्ली में इस योजना से सामान्यित होने वाले श्रमिकों को संख्या क्रमशः १,०६,४२२ और ५३,४२४ थीं। कानपुर की जन-संख्या के आधार पर श्रमिकों के लिए २३ डिसेंप्सिरियाँ इस प्रकार स्थापित की गईं कि प्रत्येक श्रमिक को कोई न कोई डिसेंप्सिरी पास पढ़े। इसके अतिरिक्त कानपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए जो चलते-फिरते अस्पताल भी हैं, जहाँ पर कुशल चिकित्सक कार्य करते हैं। ११ जुलाई सन् १९५४ से नागपुर में भी योजना सामान्यित की गई है। इससे नागपुर में लगभग २५,००० श्रमिक लाभान्वित होते हैं। ६ अक्टूबर सन् १९५३ को भारत के द्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने श्रमिक राज्य बीमा योजना का उद्घाटन बम्बई में किया। इससे  $\frac{1}{2}$  लाख श्रोद्योगिक श्रमिक लाभ उठावेंगे इसी प्रकार भृत्य-भारत में इन्दौर, ग्वालियर तथा रतलाम नगरों में भी श्रोद्योगिक श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना १४ अक्टूबर से लागू की गई है। उत्तर-न्देश में ग्रामरा, सहनक तथा सहारनपुर नगरों में भी राज्य योजना जनवरी सन् १९५६ में लागू कर दी गई है। भारत सरकार इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि यह योजना शेष भारत पर भी लागू कर दी जाए। बास्तव में यह योजना एशिया भर में अपने प्रकार की प्रथम है और देश में पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में एक शुभ प्रयत्न है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रगति—सन् १९५०-५१ से इस योजना के अन्तर्गत बर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधायें उनके परिवारों को भी मिलनी शुरू हो गईं। सबसे पहले यह निलंबन मैसूर राज्य ने किया। उसके बाद भृत्य राज्यों ने भी उसका अनुकरण किया। सभी राज्यों में (गुजरात और दिल्ली

के संघ क्षेत्र को छोड़कर) लगभग १५ लाख ७० हजार वर्गिक्षि इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सद १९५६-६० के अवधि में कर्मचारियों का अंशदान ४०० करोड़ रु० और मालिकों का अंशदान ३०१६ करोड़ रु० था। बीमित व्यक्तियों को विभिन्न लाभों के रूप में २०६८ करोड़ रु० दिया गया—बीमारी लाभ २०२२ करोड़, प्रसूति लाभ १३५६ लाख रु०, २६०८५ लाख रु० असमर्थता लाभ और २७६ लाख आश्रित लाभ। बीमित कर्मचारियों के ४०८८ लाख परिवारों को आन्ध्र प्रदेश, आसाम विहार, मध्य-प्रदेश, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश और दिल्ली के संघ क्षेत्र से चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं दी जा रही हैं।

भारत में रोग बीमे की योजना—यहाँ श्री अदारकर की रिपोर्ट पर सद १९४८ में अधिक राजकीय बीमा अधिनियम पास किया गया था, जिसका उद्देश्य अन्य लाभों के अलावा बीमारी और प्रसूति के लिये भी अधिकों को कुछ लाभ प्रदान करना था। यह तभी कारखानों को लागू होता है। यह उन सब लोगों पर लागू होती है जो मजदूरी पर किसी कारखाने में काम करते हों और जिनकी आमदनी ४००) से अधिक नहीं है। योजना के प्रशासन के लिये एक कॉर्पोरेशन कार्यम कर दिया गया है। अधिक राजकीय बीमा फाउंड में सेवायोजक व सेवायुक्तों के चन्दों और केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों, स्थानीय सत्राओं, व्यक्तियों हारा दी गई ग्रांट, दान व डेंड की रकमें शामिल की जाती है। केन्द्रीय सरकार कॉर्पोरेशन को प्रथम पाँच वर्षों तक कॉर्पोरेशन के प्रशासन व्ययों के दो-तिहाई के बराबर रकम की वार्षिक ग्रांट देगी। अपना और अपने सेवायुक्त के चन्दे को रकम चुकाने का भार अधिनियम ने सेवा-योजनों पर डाल दिया है। हाँ, उस अवधि के लिये कोई चन्दा नहीं लिया जायेगा, जिसमें कि कोई सेवा नहीं की गई है और न मजदूरी देनी पड़ी है। बीमित व्यक्ति को, आवधिक मुश्तान के रूप में चिकित्सा लाभ पाने का अधिकार होगा, यदि एक उचित रूप से नियुक्त चिकित्सक उसकी बीमारी के लिए प्रमाण-पत्र दे दे। बीमारी के लाभ की दैनिक दर उसकी आसत दैनिक और मजदूरी के आधे के बराबर है। इस लाभ की अधिकतम अवधि ३६५ दिन में ५६ दिन है। पहले दो दिनों के लिये कोई लाभ नहीं दिया जाता। हाँ, उस दशा में मिल सकता है जबकि अधिक १५ दिन के भीतर ही दुआरा बीमार पड़ जाता है।

प्रसूति काल में एक बीमित स्त्री अधिक को १२ अन्ने प्रतिदिन को दर से प्रसूति-लाभ दिया जाता है। प्रसूति लाभ को अवधि १२ हन्ने है। एक बीमित व्यक्ति को, जिसे रोजगार सदृचारी चोट के कारण स्थायी या असमर्पित हो गई है, असमर्थता लाभ पाने के अधिकार है।

एक बीमित व्यक्ति को किसी भी सप्ताह के लिए, जिसमें उसने चन्दे दिये हैं, रोग, प्रसूति या असमर्थता सम्बन्धी लाभ पाने का अधिकार है, चिकित्सा लाभ में निशुल्क चिकित्सा शामिल है, जो कि बीमा इस्पेनारी में इलाज की सुविधा के रूप

में या वीमा डाक्टर को घर पर जाकर देखने की सुविधा या निसी अस्पताल या अन्य संस्था में भर्ती होकर इलाज कराने की सुविधा के रूप में हो सकती है। कॉर्पोरेशन चाहे तो चिकित्सा लाभ बोमित व्यक्ति के परिवार को भी विस्तृत कर सकता है।

प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों को देखते हुए अभी यह वीमा-योजना देश के प्रमुख-प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में ही लागू की गई है।

भारत के लिए स्वास्थ्य या वीमे की योजना—इस आशय के लिए एक कॉर्पोरेशन बनाया जायेगा, जो कि वीमे के आशय के लिए एक श्रमिक राजकीय वीमा निधि संचय करेगा, जिसमें सेवायोजकों व सेवायुक्तों के चन्दे और केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों, स्थानीय सत्ताओं, व्यक्तियों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा दिये गये अनुदान दान भेट शामिल की जायेगी। प्रथम पांच वर्षों तक केन्द्रीय सरकार प्रशासन व्ययों के दो-तिहाई के बराबर रकम की ग्रांट प्रति वर्ष कॉर्पोरेशन को दिया करेगी। सभी कारखानों व संस्थाओं पर यह वीमा योजना लागू होगी। सेवायोजकों पर अपने व अपने श्रमिकों के चन्दे कॉर्पोरेशन में जमा कराने का भार होगा। हाँ, श्रमिकों वा चन्दा वे उसकी मजदूरी में फाट सकेंगे। जो श्रमिक १) प्रति दिन से कम मजदूरी पाने हैं। उनको चन्दा नहीं पड़ेगा। चन्दा उस अवधि के लिये देख होगा, जिसमें कि मजदूर काम पर लगा हो या छुट्टी पर हो या तात्पावनी अथवा हड्डताल के कारण काम में असमर्थ हो।

बोमित व्यक्ति को वीमारी-लाभ किसी भी लाभ की अवधि में तभी मांगने का अधिकार होगा जबकि उसी चन्दा अवधि में, उसके साप्ताहिक चन्दे रोजगार की अवधि के कम से कम दो-तिहाई हफ्तों के लिए देय हो। न्यूनतम् १२ चन्दों की सीमा है। वीमारी की अवधि में वीमारी लाभ निर्धारित दरों के लिये दिये जायेंगे। वीमारी के पहले दो दिनों के लिए कोई लाभ न दिया जायेगा। हाँ, उस दशा में दिया जा सकता है जबकि १५ दिन के अन्दर वह दुबारा वीमार पड़ जाये। यह लाभ १ वर्ष में अधिक से अधिक ५६ दिन तक लिया जा सकता है। एक बोमित व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य को जिसकी दशा ऐसी है कि चिकित्सा और देख-भाल आवश्यक है, चिकित्सा-लाभ (Medical benefit) पाने का अधिकार होगा। यह चिकित्सा-लाभ या तो बाहरी मरीज (Out Patient) के रूप में या डाक्टर द्वारा घर जाकर अथवा अन्दर-मरीज (In Patient) के रूप में इलाज कराने की सुविधा के रूप में दिया जायेगा। इसके लिए केन्द्रीय सरकार योग्य डाक्टर, सर्जन, विशेषज्ञ, विशेष अस्पताल आदि की व्यवस्था करेगी। संयोजक विसी सेवायुक्त को लाभ पाने की अवधि में नौकरी से नहीं निकल मरेंगे और न सभा दे नवेंगे।

### STANDARD QUESTIONS

1. Discuss the need of Social Insurance for workers in India and give the various measures of social insurance existing in India.
2. Describe briefly the constitution and functions of the Indian Employee State Insurance Corporation and examine its actual working and the scope of extending its activities.



**GOVERNMENT COLLEGE LIBRARY**

अनुभवी बृद्ध व्यक्तियों के उचित पथ-प्रदर्शन का लाभ नहीं मिल पाता। दूसरे, उनके अभाव में उत्पादनशीलता भी घटती है।

(इ) हमारी औसत आयु भी अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है।

(ई) देश में युवा एवं प्रौढ़ों की जन-संख्या ५३·४% है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश के ३६·३७ करोड़ व्यक्तियों में से केवल १८ करोड़ व्यक्ति ही काम करने वाले हैं, अतः जितने व्यक्ति उत्पादन में संलग्न हैं उनके अतिरिक्त लगभग 'तने ही व्यक्तियों का पोषण भी उन्हीं को करना पड़ता है।

(३) भारत में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही अधिक है।

#### (VI) भाषाओं के आधार पर विभाजन

सद १९६१ की जन गणना के अनुसार देश में कुल ८४५ भाषायें अथवा बोलियाँ बोली जाती हैं, जिनमें ७२० भारतीय भाषाये या बोलियाँ (इनमें से प्रत्येक के भाषियों की संख्या १ लाख से कम है) तथा ६३ गैर भारतीय भाषायें हैं। ६१ प्रतिशत जनता संविधान में उल्लिखित १४ भाषाओं में से किसी न किसी एक भाषा को बोलती है। दिल्ली, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश को छोटकर शेष भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या १०·८८ करोड़ थी। हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी तथा पंजाबी बोलने वालों की संख्या १४·६६ करोड़ थी।

#### (VII) धर्म के आधार पर वितरण (१९५१)

निम्नलिखित तालिका से भारत के विभिन्न धर्मावलम्बियों की संख्या वा अनुमान लगाया जा सकता है:—

धर्म	संख्या (लाखों में)	कुल जन-संख्या का प्रतिशत
१. हिन्दू	३०,३२	८४·६६
२. मुस्लिम	३,५४	६·६३
३. ईसाई	८२	२·३०
४. सिवाय	६२	१·७४
५. जैन	१६	०·४५
६. बौद्ध	२	०·०६
७. जोरोस्ट्रियन	१	०·०३
८. अन्य धर्मावलम्बियाँ (ट्राइवल)	१७	०·४७
९. अन्य धर्मावलम्बियाँ (नॉन ट्राइवल)	१	०·०३
योग	३५,६७	१००·००

## (VIII) व्यावसायिक आधार पर वितरण

सन् १९५०-५१ में ३५-६३ करोड़ जनसंख्या में से देश में १४३२ करोड़ व्यक्तियों के रोजगार में संलग्न होने का अनुमान लगाया गया है—१०-३६ करोड़ व्यक्ति कृषि सम्बन्धी कार्यों में, १५३ करोड़ व्यक्ति खनिज तथा हस्तशिल उद्योगों में, १०१ करोड़ व्यक्ति वाणिज्य, वीमा, वैविंग, यातायात तथा परिवहन उद्योगों में, ६४ साल व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में, ३६ लाख व्यक्ति सरकारी नौकरियों में तथा २६ लाख व्यक्ति घरेलू नौकरियों में। इतने स्पष्ट हैं कि भारत एक इन प्रधान देश है, जिसकी लगभग ७०% जनसंख्या कृषि पर अवलम्बित है तथा ये व्यवसायों में लगी हुई है।

व्यावसायिक आधार पर जन-संरक्षण के वितरण से इस देश के आर्थिक विकास का अनुभान लगाया जा सकता है। सन् १९५१ की जनगणना के अनुसार भारत की ३५-६३ करोड़ की जन-संख्या में से देश में १४३२ करोड़ व्यक्तियों के रोजगार में संलग्न होने का अनुभान लगाया गया है—१०-३६ करोड़ व्यक्ति कृषि सम्बन्धी कार्यों में, १५३ करोड़ व्यक्ति खनिज तथा हस्तशिल उद्योगों में, १०१ करोड़ व्यक्ति वाणिज्य, वीमा तथा वैविंग और यातायात तथा संचार साधनों में, ६४ साल व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में, ३६ लाख व्यक्ति सरकारी नौकरियों में तथा २६ लाख व्यक्ति घरेलू वेबासी में सगे हैं। प्रत्येक १०० भारतीयों (आर्थित व्यक्ति सहित) में से ४७ भूमिधर किसान, ६ वास्तकार, १३ भूमिहीन मजदूर तथा १ जमीदार या जबकि उद्योगों या बन्य कृषि जन्य व्यवसायों, वाणिज्य, परिवहन और विविध व्यवसायों में लगभग १०, ६, २ और १२ व्यक्ति लगे हुये हैं।

व्यावसायिक विवरण का आर्थिक सहज—सन् १९५१ की जनगणना सम्बन्धी आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि हमारा देश मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, जिसकी समांग ७०% जनसंख्या कृषि पर अवलम्बित है तथा उद्योग-धन्यों में लगे हुए व्यक्ति १०% से भी कम हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से ऐसी व्यवस्था अपेक्षा कही जा सकती, क्योंकि यदि दुर्भाग्य से जिसी वर्ष कृषि की फसल खराद हो जावे तो समस्त देश का आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। कृषि में संलग्न व्यक्ति की दशा भी सन्तोपकरक नहीं जाहीं जा सकती। उनमें प्रति १,००० कृषकों पीछे ४०२ ऐसे किसान हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है। इन्हें जमीदारों द्वारा भूमि लेनी पड़ती है। जमीदारी उन्मूलन के पहले जमीदारों द्वारा इनका अत्य-